IndiaCode

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020

(2020 का अधिनियम संख्यांक 35)

[28 सितम्बर, 2020]

व्यवसाय संघ, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजन की शर्तें, औद्योगिक विवादों के अन्वेषण तथा परिनिर्धारण और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों से संबंधित विधियों का समेकन और संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 है ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ; और इस संहिता के भिन्न-भिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी और ऐसे किसी उपबंध में इस संहिता के प्रारंभ के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उस उपबंध के प्रवृत्त होने के प्रति निर्देश है ।

परिभाषाएं ।

2. इस संहिता में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "अपील प्राधिकारी" से समुचित सरकार द्वारा नियुक्त ऐसा प्राधिकारी अभिप्रेत है जिसे ऐसे क्षेत्र में ऐसे कृत्यों का निर्वहन करने के लिए उस सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) "समुचित सरकार" से—

(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में, या किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से सरोकार रखने वाले, जिसे इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए या रेल स्थापन, जिसके अंतर्गत मेट्रो रेल भी हैं, खान, तेल क्षेत्र, महापत्तन, वायु परिवहन सेवाएं, दूर-संचार, बैंककारी और बीमा कंपनी या कोई निगम या केन्द्रीय अधिनियम द्वारा स्थापित अन्य प्राधिकरण या कोई केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मूल उपक्रमों द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई स्वशासी निकाय, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार, यथास्थिति, ऐसे स्थापन, निगम, अन्य प्राधिकरण, पब्लिक सेक्टर उपक्रम या कोई कंपनी, जिसमें केन्द्रीय सरकार द्वारा कम से कम इक्यावन प्रतिशत समादत्त शेयर पूंजी धारित की जाती है, के प्रयोजनों के लिए संविदाकारों के स्थापन सम्मिलित हैं, अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर उपक्रमों के लिए समुचित सरकार बनी रहेगी, यद्यपि इस संहिता के प्रारंभ के पश्चात्, उस पब्लिक सेक्टर उपक्रम में केन्द्रीय सरकार की धारित राशि पचास प्रतिशत साधारण शेयर से कम हो जाए ;

(ii) किसी अन्य औद्योगिक स्थापन के संबंध में, जिसके अन्तर्गत राज्य पब्लिक सेक्टर उपक्रम, मूल उपक्रम द्वारा स्थापित समनुषंगी कंपनियां और राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके नियंत्रणाधीन स्वशासी निकाय, राज्य सरकार भी हैं :

परन्तु किसी औद्योगिक स्थापन में, जहां ऐसा विवाद पहली बार पैदा हुआ है, किसी ठेकेदार और ठेकेदार के माध्यम से नियोजित ठेका श्रमिक के मध्य विवाद की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जिसका ऐसे औद्योगिक स्थापन पर नियंत्रण है, समुचित सरकार होगी ;

(ग) "मध्यस्थ" के अन्तर्गत अधिनिर्णायक भी है ;

(घ) "औसत वेतन" से किसी कर्मकार को संदेय मजदूरी का औसत अभिप्रेत है, जो—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे मासिक संदाय किया जाता है, उन तीन पूरे कलैंडर मास में ;

(ii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे साप्ताहिक संदाय किया जाता है, उन चार पूरे सप्ताह में ;

(iii) ऐसे कर्मकार की दशा में, जिसे दैनिक संदाय किया जाता है, उन

बारह पूरे कार्य दिवस में,

उस तारीख से पूर्ववर्ती तारीख को, जब औसत वेतन संदेय होता है, यदि उस कर्मकार ने, यथास्थिति, तीन पूरे कलैंडर मास या चार पूरे सप्ताह या बारह पूरे कार्य दिवस तक काम किया है, और जहां ऐसी गणना नहीं की जा सकती है, वहां औसत वेतन की गणना किसी कर्मकार को संदेय मजदूरी के औसत के रूप में की जाएगी जो उस कालावधि के दौरान, जिसमें उसने वास्तव में काम किया है ;

(ङ) "अधिनिर्णय" से धारा 44 में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक अधिकरण या धारा 46 में निर्दिष्ट राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद या उससे संबंधित किसी प्रश्न का अंतरिम या अंतिम अवधारण अभिप्रेत है, और इसके अंतर्गत धारा 42 के अधीन किया गया कोई माध्यस्थम् अधिनिर्णय भी है ;

1949 का 10

(च) "बैंककारी कंपनी" से बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 5 में यथा परिभाषित कोई बैंककारी कंपनी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत भारतीय

1989 का 39

लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 3 के अधीन स्थापित भारतीय आयात-निर्यात बैंक, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का

1970 का 5

अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी

1980 का 40

नया बैंक, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 की धारा 3 के अधीन गठित कोई तत्स्थानी नया बैंक भी सम्मिलित हैं ;

(छ) "प्रमाणकर्ता अधिकारी" से अध्याय 4 के उपबंधों के अधीन किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी के कृत्यों का पालन करने के लिए समुचित सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा नियुक्त कोई अधिकारी अभिप्रेत है;

(ज) "बंदी" से नियोजन के किसी स्थान या उसके किसी भाग को स्थायी रूप से बंद करना अभिप्रेत है;

(झ) "सुलह अधिकारी" से धारा 43 के अधीन नियुक्त कोई सुलह अधिकारी अभिप्रेत है;

(ञ) "सुलह कार्यवाही" से इस संहिता के अधीन किसी सुलह अधिकारी द्वारा की गई कोई कार्यवाही अभिप्रेत है ;

(ट) "नियंत्रित उद्योग" से ऐसा कोई उद्योग अभिप्रेत है जिसका नियंत्रण किसी केन्द्रीय अधिनियम द्वारा लोकहित में संघ द्वारा समीचीन घोषित किया गया है;

1961 का 52

(ठ) "कर्मचारी" से ऐसा कोई व्यक्ति (प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के अधीन नियोजित प्रशिक्षु से भिन्न) अभिप्रेत है जो किसी कुशल, अर्धकुशल या अकुशल, शारीरिक, संक्रियात्मक, पर्यवेक्षीय, प्रबंधकीय, प्रशासनिक, तकनीकी या भाड़े या पारिश्रमिक के लिए लिपिकीय कार्य, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित हों, करने के लिए किसी औद्योगिक स्थापन द्वारा नियोजित है और इसके अंतर्गत ऐसा व्यक्ति भी है जो समुचित सरकार द्वारा कर्मचारी घोषित किया गया हो, परन्तु इसके अंतर्गत संघ के सशस्त्र बल का कोई सदस्य नहीं है ;

(ड) "नियोजक" से ऐसा कोई व्यक्ति, जो अपने स्थापन में, चाहे प्रत्यक्षत: या किसी व्यक्ति के माध्यम से या उसकी ओर से या किसी व्यक्ति की ओर से एक

या अधिक कर्मचारी या कर्मकार को नियोजित करता है और जहां केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा ऐसे स्थापन को चलाया जाता है, वहां इस निमित्त विभागाध्यक्ष द्वारा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकारी या जहां कोई प्राधिकारी इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं है, वहां विभागाध्यक्ष, और स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाए जाने वाले किसी स्थापन के संबंध में, प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अभिप्रेत है और जिसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) किसी ऐसे स्थापन के संबंध में, जो एक कारखाना है, कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ढ़) में यथापरिभाषित कारखाने का अधिभोगी और जहां कोई व्यक्ति उक्त अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के खंड (च) के अधीन कारखाने के प्रबंधक के रूप में नामित किया गया है, वहां इस प्रकार नामित व्यक्ति ; 1948 का 63

(ii) किसी अन्य स्थापन के संबंध में, वह व्यक्ति जो या प्राधिकारी, जिसका स्थापन के कार्यों पर अंतिम नियंत्रण है या रखता है और जहां उक्त कार्य किसी प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को सौंपे गए हैं, वहां ऐसा प्रबंधक या प्रबंध निदेशक ;

(iii) ठेकेदार ; और

(iv) किसी मृत नियोजक का विधिक प्रतिनिधि है ;

(ढ़) किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, "कार्यपालक" से ऐसा निकाय, चाहे वह किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है जिसे किसी व्यवसाय संघ के कार्यों का प्रबंधन सौंपा गया हो ;

(ण) "नियत अवधि नियोजन" से किसी नियत अवधि के लिए नियोजन की किसी लिखित संविदा के आधार पर किसी कर्मकार को वचनबंध करना अभिप्रेत है :

परन्तु—

(क) उसके कार्य के घंटे, मजदूरी, भत्ते और अन्य फायदे, वही कार्य या उसी प्रकृति का कार्य करने वाले किसी स्थायी कर्मकार से कम नहीं होंगे ;

(ख) वह, उसके द्वारा की गई सेवा की अवधि के अनुसार आनुपातिक रूप से, किसी स्थायी कर्मकार को उपलब्ध सभी कानूनी फायदों के लिए पात्र होगा, चाहे उसके नियोजन की अवधि कानून में अपेक्षित नियोजन की अर्हित अवधि तक विस्तारित भी न हो ; और

(ग) यदि वह संविदा के अधीन एक वर्ष की अवधि के लिए सेवा प्रदान करता है तो वह उपदान के लिए पात्र होगा ;

(त) "उद्योग" से किसी नियोजक और कर्मकार (चाहे ऐसे कर्मकार को ऐसे नियोजक द्वारा सीधे या किसी अभिकरण, जिसके अंतर्गत ठेकेदार भी हैं, के माध्यम से नियोजित किया गया है) के बीच सहयोग से मानवीय आवश्यकताओं या इच्छाओं को पूरा करने की दृष्टि से माल या सेवाओं के उत्पादन, पूर्ति या वितरण के लिए किया गया कोई व्यवस्थित क्रियाकलाप अभिप्रेत है (जो केवल आध्यात्मिक

या धार्मिक प्रकृति की आवश्यकताएं या इच्छाएं न हों), भले ही—

(i) ऐसे क्रियाकलाप को करने के प्रयोजन के लिए किसी पूंजी का विनिधान किया गया हो या नहीं, या

(ii) ऐसा क्रियाकलाप कोई अभिलाभ या लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से किया जाता है या नहीं,

किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं है—

(i) किसी पूर्त, सामाजिक या परोपकारी सेवा में पूर्णत: या सारत: लगे हुए संगठनों के स्वामित्वाधीन या उनके द्वारा प्रबंध की जा रही संस्थाएं ; या

(ii) समुचित सरकार के प्रभुत्वसम्पन्न कृत्यों से संबंधित समुचित सरकार का कोई क्रियाकलाप, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के रक्षा अनुसंधान, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष संबंधी विभागों द्वारा चलाए जा रहे सभी क्रियाकलाप भी हैं ; या

(iii) कोई घरेलू सेवा ; या

(iv) कोई अन्य क्रियाकलाप, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ;

(थ) "औद्योगिक विवाद" से नियोजकों और नियोजकों के बीच या नियोजकों और कर्मकारों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच कोई विवाद या मतभेद अभिप्रेत है, जो नियोजन या गैर-नियोजन या नियोजन के निबंधनों या किसी व्यक्ति की श्रम की शर्तों से संबंधित है और जिसके अंतर्गत किसी व्यष्टि कर्मकार तथा किसी नियोजक के बीच ऐसे कर्मकार की सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या पर्यवसान से संबंधित या इससे उद्भूत कोई विवाद या मतभेद भी है ;

(द) "औद्योगिक स्थापन या उपक्रम" से ऐसा कोई स्थापन या उपक्रम अभिप्रेत है, जिसमें कोई उद्योग चलाया जाता है :

परन्तु जहां किसी स्थापन या उपक्रम में अनेक क्रियाकलाप किए जाते हैं और ऐसे क्रियाकलापों में से केवल एक ही क्रियाकलाप उद्योग है या कुछ क्रियाकलाप उद्योग हैं, तो—

(i) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम की कोई इकाई जो उद्योग के रूप मे किसी क्रियाकलाप को कर रही है, ऐसे स्थापन या उपक्रम की अन्य इकाई या इकाइयों से, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप को नहीं कर रही हैं या करने में सहायता नहीं कर रही हैं, पृथक्करणीय हैं, ऐसी इकाई को एक पृथक् औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा जाएगा;

(ii) यदि ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी इकाई में किया जाने वाला प्रमुख क्रियाकलाप या प्रमुख क्रियाकलापों में से प्रत्येक क्रियाकलाप एक उद्योग है और ऐसे स्थापन या उपक्रम या उसकी किसी इकाई में चलाए जा रहे अन्य क्रियाकलाप या अन्य क्रियाकलापों में का प्रत्येक क्रियाकलाप ऐसे प्रमुख क्रियाकलाप या क्रियाकलापों के चलाए जाने या चलाए जाने में सहायता करने के प्रयोजन के लिए पृथक्करणीय नहीं है, यथास्थिति, संपूर्ण स्थापन या उपक्रम या उसकी इकाई को एक औद्योगिक स्थापन या उपक्रम समझा

जाएगा;

(ध) "बीमा कंपनी" से बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 2 में यथापरिभाषित कोई कंपनी अभिप्रेत है ; 1938 का 4

(न) "कामबंदी" (इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों सहित) से किसी ऐसे कर्मकार को, जिसका नाम उसके औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसकी छंटनी नहीं की गई है, कोयला, विद्युत या कच्चे माल की कमी या स्टाक के संचयन या मशीनरी के ठप्प हो जाने के कारण या प्राकृतिक विपत्ति या किसी अन्य संबंधित कारण से, नियोजन देने में किसी नियोजक की असफलता, इंकार या असमर्थता अभिप्रेत है ।

स्पष्टीकरण—प्रत्येक कर्मकार, जिसका नाम औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जो किसी दिन काम के प्रसामान्य घंटे के दौरान उस समय, उस प्रयोजन के लिए नियत समय पर, औद्योगिक स्थापन में काम करने के लिए स्वंय उपस्थित होता है और उसके ऐसे उपस्थित होने के दो घंटे के भीतर नियोजक द्वारा रोजगार नहीं दिया जाता है, तो इस खंड के अर्थ के अन्तर्गत उस दिन के लिए उसकी कामबंदी की गई समझी जाएगी :

परन्तु यदि कर्मकार को किसी दिन की किसी पारी के प्रारंभ में रोजगार दिए जाने के बजाय उससे कहा जाता है कि वह उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के दौरान उस प्रयोजन के लिए उपस्थित हो और तब उसे रोजगार दिया जाता है तो उसकी उस दिन के केवल आधे भाग के लिए कामबंदी मानी जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि उसके इस प्रकार उपस्थित होने के पश्चात् भी उसे ऐसा कोई रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसके बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि उस दिन की पारी के दूसरे अर्धभाग के लिए कामबंदी की गई है और वह उस दिन के उस भाग के लिए पूरी आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते का हकदार होगा ।

(प) "तालाबंदी" से नियोजन के स्थान का अस्थायी रूप से बंद करना या नियोजक द्वारा कार्य का निलंबन, या उसके द्वारा किसी संख्या में नियोजित व्यक्तियों की किसी संरक्षा को नियोजन में रखने से इन्कार करना अभिप्रेत है ;

(फ) "महापत्तन" से भारतीय पत्तन अधिनियम, 1908 की धारा 3 के खंड (8) में यथापरिभाषित कोई महापत्तन अभिप्रेत है ; 1908 का 15

(ब) "मेट्रो रेल" से मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) अधिनियम, 2002 की धारा 2 के खंड (1) के उपखंड (झ) में यथापरिभाषित मेट्रो रेल अभिप्रेत है ; 2002 का 60

(भ) "खान" से खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान अभिप्रेत है ; 1952 का 35

(म) "राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण" से धारा 46 के अधीन गठित कोई राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(य) "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" से धारा 14 में निर्दिष्ट वार्ताकारी

संघ या वार्ताकारी परिषद् अभिप्रेत है;

(यक) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का अर्थ इसके व्याकरणिक रूपभेद और सजातीय पदों सहित तद्नुसार लगाया जाएगा ;

(यख) "पदाधिकारी" के अंतर्गत, किसी व्यवसाय संघ के संबंध में, उसकी कार्यपालिका का कोई भी सदस्य है, किन्तु उसके अंतर्गत कोई संपरीक्षक नहीं आता है ;

(यग) "विहित" से इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

1989 का 24

(यघ) "रेल" से रेल अधिनियम, 1989 की धारा 2 के खंड (31) में यथापरिभाषित रेल अभिप्रेत है ;

(यङ) "रजिस्ट्रीकृत कार्यालय" से किसी व्यवसाय संघ का कार्यालय अभिप्रेत है जो इस संहिता के अधीन उसके मुख्यालय के रूप में रजिस्ट्रीकृत है ;

(यच) "रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ" से इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ अभिप्रेत है;

(यछ) "रजिस्ट्रार" से धारा 5 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यवसाय संघ का कोई रजिस्ट्रार अभिप्रेत है;

(यज) "छंटनी" से नियोजक द्वारा चाहे किसी भी कारण से किसी कर्मकार की सेवा समाप्ति अभिप्रेत है, जो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए गए दंड से भिन्न हो, किन्तु इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(i) कर्मकार की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ; या

(ii) अधिवार्षिकी की आयु हो जाने पर कर्मकार की सेवानिवृत्ति ; या

(iii) नियोजक और संबद्ध कर्मकार के बीच हुए नियोजन संविदा की समाप्ति पर उसका नवीकरण न किए जाने या उस निमित्त उसमें अंतर्विष्ट किसी अनुबंध के अधीन ऐसी संविदा का पर्यवसान किए जाने के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा की समाप्ति ; या

(iv) नियत अवधि नियोजन की अवधि पूरी होने के परिणामस्वरूप कर्मकार की सेवा की समाप्ति ; या

(v) लगातार खराब स्वास्थ्य के आधार पर कर्मकार की सेवा की समाप्ति ;

(यझ) "समझौता" से सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में किया गया कोई समझौता अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से अन्यथा नियोजक और कर्मकार के बीच हुआ कोई ऐसा लिखित करार भी है जहां ऐसे करार पर उसके पक्षकारों ने ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, हस्ताक्षर किए हों और उसकी एक प्रति समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को और सुलह अधिकारी को भेज दी गई हो ;

(यञ) "स्थायी आदेश" से पहली अनुसूची में दिए गए विषयों से संबंधित

आदेश अभिप्रेत हैं ;

(यट) "हड़ताल" से किसी उद्योग में नियोजित व्यक्तियों के किसी निकाय द्वारा मिलकर काम बंद कर देना या कुछ व्यक्तियों का, जो इस प्रकार नियोजित हैं, या नियोजित रहे हैं, काम करते रहने से या नियोजन स्वीकार करने से सम्मिलित रूप से इन्कार करना या सामान्य मति से इन्कार करना अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत किसी उद्योग में नियोजित पचास प्रतिशत या उससे अधिक कर्मकारों का किसी निश्चित दिवस पर सम्मिलित रूप से आकस्मिक छुट्टी पर रहना भी है ;

(यठ) "व्यवसाय संघ" से कोई ऐसा समुच्चय अभिप्रेत है जो चाहे अस्थायी हो या स्थायी, कर्मकारों और नियोजकों के बीच या कर्मकारों और कर्मकारों के बीच के या नियोजकों और नियोजकों के बीच के संबंधों को विनियमित करने के प्रयोजन के लिए या किसी व्यवसाय या कारबार के संचालन पर निर्बंधित शर्तें अधिरोपित करने के लिए प्राथमिक रूप से बनाया गया है, और इसके अंतर्गत दो या अधिक व्यवसाय संघों का कोई परिसंघ भी है :

परन्तु इस संहिता के अध्याय 3 के उपबंधों का निम्नलिखित पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा—

(i) भागीदारों के बीच किसी करार पर, जो उनके स्वयं के कारबार के लिए हो ; या

(ii) किसी नियोजक और उसके द्वारा नियोजित व्यक्तियों के बीच किसी करार पर जो ऐसे नियोजन के बारे में हो ; या

(iii) किसी कारबार की गुडविल के विक्रय या किसी वृत्ति, व्यवसाय या हस्तशिल्प में शिक्षण के प्रतिफल में किसी करार पर ;

(यड) "व्यवसाय संघ विवाद" से दो या दो से अधिक व्यवसाय संघों के बीच या किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच आपस में उत्पन्न कोई विवाद अभिप्रेत है ;

(यढ़) "अधिकरण" से धारा 44 के अधीन गठित कोई औद्योगिक अधिकरण अभिप्रेत है ;

(यण) "अनुचित श्रम व्यवहार" से दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई भी व्यवहार अभिप्रेत है ;

(यत) "असंगठित सेक्टर" का वही अर्थ होगा, जो असंगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 की धारा 2 के खंड (ठ) में उसका है ; 2008 का 33

(यथ) "मजदूरी" से वह सभी पारिश्रमिक अभिप्रेत हैं, जो चाहे वेतन, भत्ते या अन्यथा के रूप में हो, धन के रूप में अभिव्यक्त या इस प्रकार अभिव्यक्त किए जाने योग्य हो, जो, यदि रोजगार के निबंधन अभिव्यक्त या विवक्षित की पूर्ति हो गई होती तो, उसके नियोजन या ऐसे नियोजन में किए गए कार्य की बाबत उसे संदेय होता, और इसके अंतर्गत निम्नलिखित हैं,—

(i) मूल वेतन ;

(ii) महंगाई भत्ता ;

(iii) प्रतिधारण भत्ता, यदि कोई हो,

किन्तु, इसके अंतर्गत निम्नलिखित नहीं हैं—

(क) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन संदेय कोई बोनस, जो नियोजन के निबंधनों के अधीन संदेय पारिश्रमिक का भाग नहीं है ;

(ख) किसी गृहवास-सुविधा का या लाइट, जल, चिकित्सीय परिचर्या या अन्य सुख-सुविधा के प्रदाय का या समुचित सरकार के साधारण या विशेष आदेश द्वारा मजदूरी की संगणना से अपवर्जित किसी सेवा का मूल्य ;

(ग) किसी पेंशन या भविष्य-निधि में नियोजक द्वारा संदत्त कोई अभिदाय और ब्याज, जो उस पर प्रोद्भूत हुआ हो ;

(घ) कोई वाहन भत्ता या किसी यात्रा रियायत का मूल्य ;

(ङ) किसी नियोजित व्यक्ति को उसके नियोजन की प्रकृति द्वारा उस पर हुए विशेष व्यय को चुकाने के लिए संदत्त कोई राशि ;

(च) मकान किराया भत्ता ;

(छ) पक्षकारों के बीच किसी अधिनिर्णय या समझौता अथवा किसी न्यायालय या अधिकरण के आदेश के अधीन संदेय पारिश्रमिक ;

(ज) कोई अतिकालिक भत्ता ;

(झ) कर्मचारी को संदेय कोई कमीशन ;

(ञ) नियोजन की समाप्ति पर संदेय कोई उपदान ; या

(ट) कर्मचारी को संदेय कोई छंटनी प्रतिकर या अन्य सेवानिवृत्ति फायदा या नियोजन की समाप्ति पर उसे किया गया कोई अनुग्रहपूर्वक संदाय :

परन्तु इस खंड के अधीन मजदूरी की संगणना करने के लिए, यदि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को खंड (क) से खंड (झ) के अधीन किए गए कोई संदाय, इस खंड के अधीन संगणित सभी पारिश्रमिकों के आधे या ऐसे अन्य प्रतिशत से, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, अधिक हो जाती हैं तो ऐसी रकम, जो ऐसी आधी रकम या इस प्रकार अधिसूचित प्रतिशत से अधिक होती है, को पारिश्रमिक समझा जाएगा और तदनुसार उसे इस खंड के अधीन मजदूरी में जोड़ दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि सभी महिला-पुरुषों के लिए समान मजदूरी के प्रयोजन के लिए और मजदूरी के संदाय के प्रयोजन के लिए खंड (घ), खंड (च), खंड (छ) और खंड (ज) में विनिर्दिष्ट परिलब्धियों को मजदूरी की संगणना के लिए लिया जाएगा ।

स्पष्टीकरण—जहां किसी कर्मचारी को उसे संदेय पूर्णत: या भागत: मजदूरी के स्थान पर, उसके नियोजक द्वारा वस्तु के रूप में कोई पारिश्रमिक दिया जाता है, तो वस्तु के रूप में ऐसे पारिश्रमिक के मूल्य को, जो उसको संदेय कुल मजदूरी के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक नहीं है, ऐसे कर्मचारी की मजदूरी का एक भाग समझा जाएगा ;

1961 का 52

(यद) "कर्मकार" से कोई ऐसा व्यक्ति (शिक्षु अधिनियम, 1961 की धारा 2 के खंड (कक) के अधीन यथापरिभाषित किसी शिक्षु के सिवाय) अभिप्रेत है, जो किसी

उद्योग में भाड़े या पारिश्रमिक के लिए कोई शारीरिक, अकुशल, कुशल, तकनीकी संक्रियात्मक, लिपिकीय या पर्यवेक्षीय कार्य करने के लिए नियोजित है, चाहे नियोजन के निबंधन अभिव्यक्त हों या विवक्षित और जिसके अंतर्गत श्रमजीवी पत्रकार और अन्य समाचारपत्र कर्मचारी (सेवा की शर्तें) और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1955 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित श्रमजीवी पत्रकार तथा 1955 का 45
विक्रय संवर्धन कर्मचारी (सेवा शर्त) अधिनियम, 1976 की धारा 2 के खंड (घ) में 1976 का 11
यथापरिभाषित विक्रय संवर्धन कर्मचारी भी हैं तथा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में इस संहिता के अधीन किसी कार्यवाही के प्रयोजनों के लिए, जिसके अन्तर्गत ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी उस विवाद के संबंध में या उसके परिणामस्वरूप पदच्युति, सेवोन्मुक्ति या छंटनी या अन्यथा सेवा समाप्ति कर दी गई है या जिसके पदच्युति, सेवोन्मुक्त या छंटनी होने से वह विवाद हुआ है, किन्तु इसके अतंर्गत कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आता है—

(i) जो वायुसेना अधिनियम, 1950 या सेना अधिनियम, 1950 या 1950 का 45
नौसेना अधिनियम, 1957 के अधीन है ; या 1950 का 46
1957 का 62

(ii) जो पुलिस सेवा में या किसी कारागार के अधिकारी या अन्य कर्मचारी के रूप में नियोजित है ; या

(iii) जो मुख्यतः प्रबंधकीय या प्रशासनिक हैसियत से नियोजित है; या

(iv) जो पर्यवेक्षी हैसियत में नियोजित है और जो प्रतिमास अठारह हजार रुपए से अधिक मजदूरी या कोई ऐसी रकम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए, आहरित कर रहा है :

परन्तु अध्याय 3 के प्रयोजनों के लिए, "कर्मकार"—

(क) से व्यवसाय या उद्योग में नियोजित सभी व्यक्ति अभिप्रेत है ; और

(ख) के अंतर्गत अंसगठित कर्मकार सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008 2008 का 33
की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कर्मकार भी है ।

अध्याय 2

द्विपक्षीय मंच

कार्य समिति ।

3. (1) किसी औद्योगिक स्थापन की दशा में, जिसमें एक सौ या उससे अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित रहे हैं, तो समुचित सरकार, साधारण या विशेष आदेश द्वारा नियोजक से, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, नियोजक के प्रतिनिधियों और स्थापन में लगे हुए कर्मकारों से मिलकर बनने वाली कार्य समिति का गठन करने की अपेक्षा कर सकेगी :

परन्तु ऐसी समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, नियोजक के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी ।

(2) कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन, स्थापन में नियोजित कर्मकारों में से और धारा 9 के उपबंधों के अनुसार रजिस्ट्रीकृत उनके व्यापार संघ, यदि कोई हो, के परामर्श से ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

IndiaCode

(3) कार्य समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह नियोजक और कर्मकारों के बीच मैत्री और अच्छे संबंध को सुनिश्चित करने और बनाए रखने के उपाय बढ़ाए और इस उद्देश्य के लिए ऐसे मामलों पर, जिनमें उनका सामान्य हित या सरोकार है, समीक्षा करे तथा ऐसे मामलों की बाबत राय के संबंध में किसी तात्विक मतभेद का समाधान करने का प्रयास करे ।

शिकायत निवारण समिति ।

4. (1) प्रत्येक औद्योगिक स्थापन, जिसमें बीस या अधिक कर्मकार नियोजित हैं, वहां व्यष्टिक शिकायतों से उत्पन्न विवादों के समाधान के लिए एक या अधिक शिकायत निवारण समितियां होंगी ।

(2) शिकायत निवारण समिति, नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों, जो ऐसी रीति में चुने जाएं, जो विहित की जाए, की समान संख्या से मिलकर बनेगी ।

(3) शिकायत निवारण समिति के अध्यक्ष का चयन, प्रत्येक वर्ष वैकल्पिक रूप से चक्रानुक्रम के आधार पर नियोजक और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों में से किया जाएगा ।

(4) शिकायत निवारण समिति के सदस्यों की कुल संख्या दस से अधिक नहीं होगी :

परन्तु शिकायत निवारण समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(5) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई आवेदन, किसी व्यथित कर्मकार द्वारा शिकायत निवारण समिति के समक्ष, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसे विवाद का वाद हेतुक उत्पन्न होता है, एक वर्ष के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फाइल किया जा सकेगा ।

(6) शिकायत निवारण समिति, उपधारा (5) के अधीन आवेदन की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर अपनी कार्यवाहियां पूरी कर सकेगी ।

(7) उपधारा (5) के अधीन फाइल किसी आवेदन पर शिकायत निवारण समिति का विनिश्चय, समिति के बहुमत के दृष्टिकोण के आधार पर किया जाएगा, परन्तु यह तब जबकि कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले आधे से अधिक सदस्य ऐसे विनिश्चय पर सहमत हों, अन्यथा यह समझा जाएगा कि समिति किसी विनिश्चय पर नहीं पहुंच सकी है ।

(8) ऐसा कर्मकार, जो शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त समिति में कोई समाधान नहीं हुआ है, वह, यथास्थिति, शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर या उस तारीख से, जिसको उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है, सुलह अधिकारी को व्यवसाय संघ के माध्यम से, जिसका वह सदस्य है, ऐसी शिकायत के सुलह के लिए कोई आवेदन ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, फाइल कर सकेगा ।

(9) जहां कोई नियोजक, किसी व्यष्टिक कर्मकार को सेवोन्मुक्त, पदच्युत, उसकी

छंटनी या अन्यथा सेवाओं को समाप्त कर देता है, तो उस कर्मकार और उसके नियोजक के बीच ऐसी सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी, या समाप्ति के संबंध में या उससे उद्भूत कोई विवाद या मतभेद, इस बात के होते हुए भी कि न तो अन्य कर्मकार न ही कोई व्यवसाय संघ विवाद का पक्षकार है, औद्योगिक विवाद समझा जाएगा ।

(10) इस धारा या धारा 53 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई कर्मकार, जैसा कि उपधारा (5) में विनिर्दिष्ट किया गया है उस तारीख से, जिसको उसने विवाद में सुलह के लिए समुचित सरकार के सुलह अधिकारी को आवेदन किया है, पैंतालीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात्, उसमें निर्दिष्ट विवाद के न्यायनिर्णयन के लिए अधिकरण को सीधे आवेदन कर सकेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर, अधिकरण को उस विवाद पर न्यायनिर्णयन की शक्तियां और अधिकारिता वैसी ही होगी, जैसे कि धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन फाइल किए गए आवेदन के संबंध में अधिकरण को है ।

(11) उपधारा (10) में निर्दिष्ट आवेदन, अधिकरण को, उपधारा (9) में यथा विनिर्दिष्ट सेवोन्मुक्ति, पदच्युति, छंटनी या अन्यथा सेवा की समाप्ति की तारीख से दो वर्ष की समाप्ति के पूर्व किया जाएगा ।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार ।

5. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, किसी व्यक्ति को व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार और अन्य व्यक्तियों को व्यवसाय संघ का अपर रजिस्ट्रार, व्यवसाय संघ का संयुक्त रजिस्ट्रार तथा व्यवसाय संघ का उप-रजिस्ट्रार नियुक्त कर सकेगी, जो रजिस्ट्रार की ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेंगे और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

(2) राज्य सरकार द्वारा किए गए किसी आदेश के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जहां व्यवसाय संघ का कोई अपर रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ का संयुक्त रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ का उप-रजिस्ट्रार ऐसे क्षेत्र के भीतर, जिसमें व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन करते हैं, वहां व्यवसाय संघ के ऐसे अपर रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ के संयुक्त रजिस्ट्रार या व्यवसाय संघ के उप-रजिस्ट्रार को इस संहिता के प्रयोजनों के लिए उस व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार समझा जाएगा ।

रजिस्ट्रीकरण के लिए मानदंड ।

6. (1) किसी व्यवसाय संघ के कोई भी सात या उससे अधिक सदस्य व्यवसाय संघ के नियमों पर उनके नामों के हस्ताक्षर करके और अन्यथा इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करके रजिस्ट्रीकरण के संबंध में, इस संहिता के अधीन व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन कर सकेंगे ।

(2) कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ तब तक रजिस्ट्रीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक ऐसे औद्योगिक स्थापन या उद्योग में लगे हुए या नियोजित कर्मकारों का कम से कम दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, इसमें से जो भी कम हो, जिसके साथ व्यवसाय संघ जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं हैं ।

(3) जहां किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है, वहां ऐसा आवेदन, केवल इस तथ्य के कारण कि आवेदन की

तारीख के पश्चात् किसी समय पर, किन्तु व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण से पहले, कुछ आवेदक, किन्तु उन व्यक्तियों की कुल संख्या से आधे से अधिक नहीं हैं, जिन्होंने आवेदन किया था, व्यवसाय संघ के सदस्य नहीं रहे हैं या जिन्होंने आवेदन करके उनको असंबद्ध होने की लिखित सूचना रजिस्ट्रार को दी है, अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा ।

(4) कर्मकारों के किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ में सभी समयों पर कर्मकारों के दस प्रतिशत से अन्यून या एक सौ कर्मकार, इनमें जो भी कम हो, किसी औद्योगिक स्थापन या उद्योग जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, में लगे हुए हैं या नियोजित हैं, कम से कम सात सदस्यों के अधीन रहते हुए उसके सदस्य के रूप में बने रहेंगे ।

व्यवसाय संघ के गठन या नियमों में अन्तर्विष्ट किए जाने वाले उपबंध ।

7. कोई व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार तब तक नहीं होगा, जब तक कि उसकी कार्यपालिका का इस संहिता के उपबंधों के अनुसार गठन न किया गया हो और व्यवसाय संघ के नियम निम्नलिखित विषयों के लिए उपबंध न करते हों, अर्थात् :—

(क) व्यवसाय संघ का नाम ;

(ख) वे संपूर्ण उद्देश्य, जिनके लिए व्यवसाय संघ स्थापित किया गया है ;

(ग) वे संपूर्ण प्रयोजन, जिनके लिए व्यवसाय संघ की साधारण निधियां उपयोज्य होंगी, जिनमें से वे सभी प्रयोजन ऐसे प्रयोजन होंगे जिनको ऐसी निधियां इस संहिता के अधीन विधिपूर्वक उपयोज्य हैं ;

(घ) व्यवसाय संघ के संदस्यों की किसी सूची का रखरखाव और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा उसके निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ङ) ऐसे साधारण सदस्यों, (उनके शिल्प या प्रवर्ग को विचार में लाए बिना) का प्रवेश जो, यथास्थिति, ऐसे औद्योगिक स्थापन, उपक्रम या उद्योग या किसी औद्योगिक स्थापन की इकाइयों, शाखाओं या कार्यालयों में, जिनसे वह व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए या नियोजित व्यक्ति होंगे और ऐसे मानद या अस्थायी सदस्यों का प्रवेश, जो ऐसे कर्मकार नहीं हैं, जिन्हें धारा 21 के अधीन व्यवसाय संघ की कार्यपालिका बनाने के लिए पदाधिकारी होने के लिए अनुज्ञात नहीं किया गया है ;

(च) ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा, ऐसे अभिदान का संदाय, जो विहित किया जाए ;

(छ) वे शर्तें, जिनके अधीन कोई सदस्य, किसी ऐसे फायदे का हकदार होगा जिसे नियमों द्वारा आश्वस्त किया गया है और जिनके अधीन किसी सदस्य पर कोई जुर्माना या समपहरण अधिरोपित किया जा सकेगा ;

(ज) व्यवसाय संघ के सदस्यों की वार्षिक साधारण निकाय बैठक, ऐसी बैठक का कार्य संचालन, जिसके अन्तर्गत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों का निर्वाचन भी है ;

(झ) वह रीति, जिसमें व्यसाय संघ की कार्यपालिका के सदस्यों और अन्य पदाधिकारियों को प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में एक बार निर्वाचित किया जाएगा और उन्हें हटाया जाएगा तथा आकस्मिक रिक्तियों का भरा जाना ;

(ञ) व्यवसाय संघ की निधियों की सुरक्षित अभिरक्षा, उसके लेखाओं का ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, वार्षिक संपरीक्षा और व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा लेखाबाहियों के निरीक्षण के लिए पर्याप्त सुविधाएं ;

(ट) वह रीति, जिसमें नियमों को संशोधित किया जाएगा, उनमें फेरफार किया जाएगा या उन्हें विखंडित किया जाएगा ; और

(ठ) वह रीति, जिसमें व्यवसाय संघ को विघटित किया जा सकेगा ।

रजिस्ट्रीकरण, नाम में परिवर्तन के लिए आवेदन और उसकी प्रक्रिया ।

8. (1) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रत्येक आवेदन, रजिस्ट्रार को इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित संलग्न होंगे—

(क) ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा ;

(ख) ऐसे नियमों को अंगीकृत करने वाले व्यवसाय संघ के सदस्यों के द्वारा संकल्प की प्रति के साथ व्यवसाय संघ के नियमों की प्रति;

(ग) रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने के लिए आवेदकों को प्राधिकृत करने वाला व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत किए गए संकल्प की एक प्रति ; और

(घ) किसी व्यवसाय संघ की दशा में, जो कोई परिसंघ या व्यवसाय संघों का कोई केन्द्रीय संगठन है प्रत्येक सदस्य व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा, पृथक् रूप से बैठक करके, जिसमें व्यवसाय संघों के परिसंघ या केन्द्रीय संगठन का गठन करने के लिए सहमत हुए हों, अंगीकृत संकल्प की एक प्रति ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अंगीकृत संकल्प से किसी ऐसे व्यवसाय संघ की दशा में जो व्यवसाय संघों का परिसंघ या केन्द्रीय संगठन है, प्रत्येक व्यवसाय संघ सदस्य के सदस्यो द्वारा पृथक रूप से बैठक में अंगीकृत संकल्प अभिप्रेत हैं ।

(2) जहां कोई व्यवसाय संघ अपने रजिस्ट्रीकरण के लिए कोई आवेदन करने से पूर्व एक वर्ष से अधिक समय से विद्यमान रहा है, वहां व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का एक साधारण विवरण, जिसे ऐसे प्ररूप में तैयार किया हो और जिसमें ऐसी विशिष्टियां अन्तर्विष्ट हों जो विहित की जाएं, आवेदन के साथ रजिस्ट्रार को देगा ।

(3) रजिस्ट्रार, स्वयं का यह समाधान करने के प्रयोजन के लिए कि आवेदन इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन करता है और व्यवसाय संघ, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकरण का हकदार है, तो अतिरिक्त सूचना की मांग कर सकेगा तथा ऐसी सूचना प्रस्तुत किए जाने तक व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर सकेगा ।

(4) यदि वह नाम, जिसके अधीन व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण कराने का प्रस्ताव किया जाना है, किसी विद्यमान रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम के समान है या रजिस्ट्रार की राय में किसी विद्यमान व्यवसाय संघ के नाम के इतना निकट सादृश है कि ऐसे नाम से जनता या किसी व्यवसाय संघ के सदस्यों के प्रवंचित होने की संभावना है तो रजिस्ट्रार, आवेदन करने वाले व्यक्तियों से व्यवसाय संघ के नाम को

परिवर्तित करने की अपेक्षा करेगा और जब तक ऐसा परिवर्तन नहीं किया जाता है व्यवसाय संघ को रजिस्टर करने से इंकार कर देगा ।

व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण और उसका रद्द किया जाना ।

9. (1) रजिस्ट्रार का, यह समाधान हो जाने पर कि व्यवसाय संघ ने रजिस्ट्रीकरण के संबंध में इस अध्याय के उपबंधों की सभी अपेक्षाओं का पालन किया गया है, व्यवसाय संघ को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रखे जाने वाले रजिस्टर में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन के साथ संलग्न विवरण में अंतर्विष्ट व्यवसाय संघ से संबंधित विशिष्टियों को रजिस्टर में दर्ज करके रजिस्टर करेगा ।

(2) जहां रजिस्ट्रार, किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का कोई आदेश करता है वहां वह, आवेदक व्यवसाय संघ को ऐसे प्ररूप में, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रीकरण का एक प्रमाणपत्र जारी करेगा, जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि व्यवसाय संघ इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया गया है ।

(3) यदि रजिस्ट्रार ने किसी व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी कर दिया है तो वह उस व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां, ऐसे प्ररूप में जो विहित की जाएं, इस निमित्त बनाए गए रजिस्टर में प्रविष्ट करेगा ।

1926 का 16

(4) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 के अधीन रजिस्ट्रीकृत प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसके पास इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व विधिमान्य रजिस्ट्रीकरण है, को इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत किया हुआ समझा जाएगा :

परन्तु ऐसा व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार के पास एक विवरण फाइल करेगा कि व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का गठन धारा 7 के अनुसार अद्यतन व्यवसाय संघ के नियमों के साथ इस संहिता के अनुसार हैं और रजिस्ट्रार अपने अभिलेखों को तदनुसार संशोधित करेगा ।

(5) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रार द्वारा, निम्नलिखित मामलों में वापस लिया जा सकेगा या रद्द किया जा सकेगा,—

(i) ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, सत्यापित व्यवसाय संघ के आवेदन पर ; या

(ii) व्यवसाय संघ द्वारा इस संहिता या इसके अधीन बनाए गए नियमों या अपने गठन या नियमों के उपबंधों के उल्लंघन के संबंध में उसके द्वारा प्राप्त सूचना पर ; या

(iii) यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि व्यवसाय संघ के सदस्य के कुल कर्मकारों का दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकार, जो भी कम हो, से कम हो गए हैं :

परन्तु उन आधारों को विनिर्दिष्ट करते हुए, जिन पर किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द करने का प्रस्ताव किया जाता है, साठ दिन से अनधिक की लिखित में पूर्व सूचना, व्यवसाय संघ के आवेदन से अन्यथा भिन्न रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किए जाने के पूर्व, रजिस्ट्रार द्वारा व्यवसाय संघ को दी जाएगी ।

(6) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रजिस्ट्रार द्वारा वहां रद्द कर दिया जाएगा, जहां किसी अधिकरण ने ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण को रद्द करने का कोई आदेश किया है ।

(7) किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र को रद्द करते समय, रजिस्ट्रार ऐसा करने के कारणों को अभिलिखित करेगा और संबद्ध व्यवसाय संघ को लिखित में संसूचित करेगा ।

रजिस्ट्रीकरण न किए जाने या रजिस्ट्रीकरण को रद्द किए जाने के विरुद्ध अपील ।

10. (1) धारा 9 के अधीन किसी व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने से रजिस्ट्रार द्वारा इंकार करने से या उक्त धारा की उपधारा (5) के अधीन रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र रद्द किए जाने से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, अधिकरण को अपील कर सकेगा :

परन्तु अधिकरण, इस उपधारा के अधीन अपील करने हेतु विहित परिसीमा के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा, यदि अपीलार्थी अधिकरण का यह समाधान कर देता है कि ऐसा विलंब पर्याप्त कारण से या अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण हुआ है ।

(2) अधिकरण, संबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, अपील को खारिज कर सकेगा या रजिस्ट्रार को यह निदेश देते हुए कोई आदेश पारित कर सकेगा कि वह व्यवसाय संघ को रजिस्टर करे और, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के रद्दकरण के आदेश को अपास्त करे तथा ऐसे आदेश की एक प्रति रजिस्ट्रार को भेज सकेगा ।

व्यवसाय संघ को संसूचना और उसकी रजिस्ट्रीकरण विशिष्टियों में परिवर्तन ।

11. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को सभी संसूचनाएं और नोटिस, रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में यथाप्रविष्ट व्यवसाय संघ के मुख्यालय के पते पर, ऐसी रीति में भेजे जाएंगे, जो विहित की जाए ।

(2) व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रार को सूचित करेगा, यदि ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्यों की संख्या कुल कर्मकारों के दस प्रतिशत या एक सौ कर्मकारों, जो भी कम हो से कम हो जाती है ।

(3) व्यवसाय संघ, रजिस्ट्रीकरण के लिए अपने आवेदन में और अपने गठन या नियमों में दी गई विशिष्टियों में किसी परिवर्तन के बारे में रजिस्ट्रार को ऐसी रीति में सूचित करेगा, जो विहित की जाए ।

रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का निगमन ।

12. प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, उस नाम का, जिसके अधीन उसे रजिस्ट्रीकृत किया गया है, एक निगमित निकाय होगा और उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा, उसकी एक सामान्य मुद्रा होगी, जिससे उसे जंगम और स्थावर संपत्ति दोनों को ही अर्जित और धारित करने की तथा संविदा करने की शक्ति होगी, और उक्त नाम से वह वाद लाएगा और उस पर वाद लाया जाएगा ।

कतिपय अधिनियमों का रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों को लागू न होना ।

13. निम्नलिखित अधिनियमों के उपबंध, अर्थात् :—

(क) सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 ; 1860 का 21

(ख) सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1912 ; 1912 का 2

(ग) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 ; 2002 का 39

(घ) कंपनी अधिनियम, 2013 ; और 2013 का 18

(ङ) किसी राज्य में तत्समय प्रवृत्त सहकारी सोसाइटियों से संबंधित कोई अन्य तत्स्थानी विधि,

किसी भी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ को लागू नहीं होंगे और पूर्वोक्त अधिनियमों में से किसी अधिनियम के अधीन ऐसे किसी व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रीकरण शून्य होगा ।

वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् की मान्यता ।

14. (1) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ वाले किसी औद्योगिक स्थापन में, औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ ऐसे विषयों पर, जो विहित किए जाएं, बातचीत करने के लिए, यथास्थिति, एक वार्ताकारी संघ या एक वार्ताकारी परिषद् होगी ।

(2) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में, इस अध्याय के उपबंधों के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों का केवल एक व्यवसाय संघ काम कर रहा हो, वहां ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोजक ऐसे मानदंडों के अध्यधीन, जो विहित किए जाएं, ऐसे व्यवसाय संघ को कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा ।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ कार्य कर रहे हैं तो ऐसे व्यवसाय संघ, जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, इक्यावन प्रतिशत या अधिक कर्मकार सत्यापित हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन कर रहे हैं, को औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा कर्मकारों के एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता दी जाएगी ।

(4) यदि किसी औद्योगिक स्थापन में, इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत कर्मकारों के एक से अधिक व्यवसाय संघ कार्य कर रहे हैं और ऐसे किसी भी व्यवसाय संघ के पास उस औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, इक्यावन प्रतिशत या अधिक कर्मकार सत्यापित नहीं हैं जो उस व्यवसाय संघ का समर्थन कर रहे हैं तो औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर बातचीत करने के लिए एक वार्ताकारी परिषद् का गठन किया जाएगा, जो ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों से मिलकर बनेगी जिनके पास उस औद्योगिक स्थापन के इस प्रकार सत्यापित मस्टर रोल में कुल कर्मकारों के कम से कम बीस प्रतिशत कर्मकारों का समर्थन है और ऐसे प्रतिनिधित्व में ऐसे कुल कर्मकारों के प्रत्येक बीस प्रतिशत के लिए एक प्रतिनिधि होगा और शेष के लिए सदस्यता संगणना के पश्चात् प्रत्येक बीस प्रतिशत पर एक प्रतिनिधि होगा ।

(5) जहां उपधारा (1) में निर्दिष्ट विषयों पर किसी नियोजक और उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद् के बीच कोई बातचीत की जाती है वहां ऐसी बातचीत के परिणामस्वरूप कोई करार किया जाना कहा जाता है, यदि उस पर ऐसी वार्ताकारी परिषद् में के व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों के बहुमत द्वारा सहमति हो जाती है ।

(6) उपधारा (2) या उपधारा (3) के अधीन दी गई कोई मान्यता या उपधारा (4) के अधीन गठित वार्ताकारी परिषद्, यथास्थिति, मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्ष या ऐसी अतिरिक्त अवधि के लिए, जो कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक न हो, जो पारस्परिक रूप से नियोजक और व्यवसाय संघ द्वारा विनिश्चित की जाए, विधिमान्य होगी ।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा किसी वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को उपलब्ध कराई जाने वाली प्रसुविधाएं ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं ।

व्यवसाय संघ की साधारण निधि के उद्देश्य, पृथक् निधि की संरचना और सदस्यता फीस ।

15. (1) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की साधारण निधियों को विहित उद्देश्यों से भिन्न किन्हीं अन्य उद्देश्यों पर खर्च नहीं किया जाएगा ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ पृथक् रूप से उद्गृहित किए गए अभिदायों या उस निधि में किए गए अभिदायों से, एक पृथक् निधि का गठन कर सकेगा, जिससे ऐसे उद्देश्य, जो विहित किए जाएं, को अग्रसर करने के लिए, उसके सदस्यों के नागरिक और राजनीतिक हितों के संवर्धन करने के लिए संदाय किया जा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन गठित निधि के लिए अभिदाय हेतु किसी सदस्य को विवश नहीं किया जाएगा और किसी सदस्य को, जो उक्त निधि में अभिदाय नहीं करता है, व्यवसाय संघ के अन्य सदस्यों की तुलना में (सिवाय उक्त निधि के नियंत्रण या प्रबंधन के संबंध में) उक्त निधि में उसके अभिदाय न करने के कारण व्यवसाय संघ के किन्हीं फायदों से अपवर्जित नहीं किया जाएगा या प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी नि:शक्तता या किसी अलाभ की स्थिति में नहीं रखा जाएगा और व्यवसाय संघ में शामिल करने के लिए उक्त निधि में अभिदाय की कोई शर्त नहीं होगी ।

(4) व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा संदेय किया गया अभिदान वह होगा, जो विहित किया जाए ।

कतिपय दशाओं में सिविल वाद से उन्मुक्ति ।

16. (1) कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही, किसी ऐसे कार्य के बारे में, जो किसी औद्योगिक-विवाद को, जिसके व्यवसाय संघ का कोई सदस्य एक पक्षकार है, ध्यान में रखते हुए या उसे अग्रसर करने में किया गया है, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के या उसके किसी पदाधिकारी या सदस्य के विरुद्ध किसी सिविल न्यायालय में केवल इसी आधार पर नहीं की जाएगी कि ऐसा कार्य, नियोजन की संविदा को भंग करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को उत्प्रेरित करता है या वह किसी अन्य व्यक्ति के व्यवसाय, कारबार या नियोजन में या किसी अन्य व्यक्ति की उसकी अपनी पूंजी या उसके अपने श्रम को अपनी इच्छानुसार व्ययन करने के अधिकार में हस्तक्षेप करता है ।

(2) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, किसी औद्योगिक विवाद को ध्यान में रखते हुए या उसे अग्रसर करने में उस व्यवसाय संघ के किसी अभिकर्ता द्वारा किए गए किसी अपकृत्य के संबंध में किसी सिविल न्यायालय में किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में दायी नहीं होगा, यदि यह साबित हो जाता है कि उस व्यक्ति ने व्यवसाय संघ की कार्यपालिका की जानकारी के बिना या उस कार्यपालिका द्वारा दिए गए अभिव्यक्त अनुदेशों के प्रतिकूल कार्य किया था ।

व्यवसाय संघ के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आपराधिक षडयंत्र ।

17. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का कोई भी पदाधिकारी या सदस्य व्यवसाय संघ के किसी ऐसे उद्देश्य को, जो धारा 15 में यथा विनिर्दिष्ट है, अग्रसर करने के प्रयोजन के लिए सदस्यों के बीच हुए किसी करार के बारे में, जब तक कि वह करार किसी अपराध को करने का करार न हो, भारतीय दंड संहिता की धारा 120ख की उपधारा (2) के अधीन दंडनीय नहीं होगा । 1860 का 45

करारों की प्रवर्तनीयता ।

18. तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सदस्यों के बीच का कोई करार केवल इस तथ्य के कारण शून्य या शून्यकरणीय नहीं होगा कि उस करार के उद्देश्यों में से कोई उद्देश्य व्यापार का अवरोधक है :

परन्तु इस धारा की कोई बात उन शर्तों से संबद्ध किसी करार के भंग के लिए, जिन पर व्यवसाय संघ के कोई सदस्य अपना माल बेचेंगे या नहीं बेचेंगे, कारबार का संव्यवहार करेंगे या नहीं करेंगे, काम करेंगे या नहीं करेंगे, नियोजन करेंगे या नहीं करेंगे या नियोजित किए जाएंगे या नहीं किए जाएंगे, नुकसानी दिला पाने या उसे वसूल करने के प्रयोजन के लिए संस्थित किसी विधिक कार्यवाही को ग्रहण करने के लिए किसी सिविल न्यायालय को समर्थ नहीं बनाएगी ।

व्यवसाय संघ की बहियों के निरीक्षण का अधिकार ।

19. किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की लेखा बहियां और उसके सदस्यों की सूची व्यवसाय संघ के किसी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा निरीक्षण के लिए ऐसे समयों पर खुली रहेंगी, जो व्यवसाय संघ के नियमों में उपबंधित किए जाएं ।

व्यवसाय संघ की सदस्यता के लिए अप्राप्तवय के अधिकार ।

20. कोई व्यक्ति, जिसने चौदह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है और किसी गैर-परिसंकटमय उद्योग में नियोजित है, व्यवसाय संघ के किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का सदस्य हो सकेगा और यथापूर्वोक्त के अधीन रहते हुए, किसी सदस्य के सभी अधिकारों का उपभोग कर सकेगा और सभी लिखतों का निष्पादन कर सकेगा तथा ऐसी सभी जानकारियां दे सकेगा, जिनका नियमों के अधीन निष्पादन किया जाना या दिया जाना आवश्यक है ।

व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की निरर्हता ।

21. (1) कोई व्यक्ति, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या उसका कोई अन्य पदाधिकारी चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित होगा, यदि—

(i) उसने अठारह वर्ष की आयु प्राप्त नहीं की है ;

(ii) वह किसी अपराध के लिए, जिसमें नैतिक अधमता अंतर्वलित हो, भारत के किसी न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध और कारावास से दंडादिष्ट किया गया है, जब तक कि उसको छोड़े जाने के पश्चात् पांच वर्ष की कालावधि न बीत गई हो ;

(iii) अधिकरण ने यह निदेश दिया है कि वह उसमें विनिर्दिष्ट किसी अवधि के लिए किसी व्यवसाय संघ के पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिए निरर्हित होगा ।

(2) मंत्रिपरिषद् का कोई सदस्य या संघ या किसी राज्य में लाभ का कोई पद धारण करने वाला कोई व्यक्ति (जो किसी ऐसे स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वचनबंध या नियोजित नहीं है) किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का सदस्य या अन्य पदाधिकारी नहीं होगा ।

व्यापार संघों के विवादों का न्यायनिर्णयन ।

22. (1) जहां कोई विवाद—

(क) एक व्यवसाय संघ और दूसरे व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(ख) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जो व्यवसाय संघ के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकरण, प्रशासन या प्रबंध या पदाधिकारियों के निर्वाचन से संबंधित व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(ग) एक या अधिक ऐसे कर्मकार, जिन्हें सदस्य के रूप में प्रवेश से इंकार किया गया है और व्यवसाय संघ के बीच उठता है ; या

(घ) किसी ऐसे व्यवसाय संघ के संबंध में है, जो व्यवसाय संघों का एक परिसंघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत पदाधिकारी के बीच उठता है,

IndiaCode

वहां आवेदन, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, उस क्षेत्र पर जहां व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय स्थित है, ऐसे विवादों के न्यायनिर्णयन की अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को किया जा सकेगा ।

(2) अधिकरण से भिन्न किसी सिविल न्यायालय को, उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी विवाद के संबंध में कोई वाद या अन्य कार्यवाहियां ग्रहण करने की शक्ति नहीं होगी ।

उद्योग से संबंधित पदाधिकारियों का समानुपात ।

23. (1) किसी असंगठित क्षेत्र में प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की कुल संख्या के आधे से अन्यून ऐसे व्यक्ति होंगे, जो किसी स्थापन या उद्योग में, जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं :

परन्तु समुचित सरकार विशेष या साधारण आदेश द्वारा यह घोषित कर सकेगी कि इस धारा के उपबंध आदेश में विनिर्दिष्ट किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी वर्ग को लागू नहीं होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "अंसगठित सेक्टर" से कोई ऐसा सेक्टर अभिप्रेत है जिसे समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(2) उपधारा (1) में जैसा अन्यथा उपबंधित उसके सिवाय, किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सभी पदाधिकारी, सिवाय कुल पदाधिकारियों की संख्या का एक-तिहाई या पांच से अनधिक इनमें से जो भी कम हो, ऐसे व्यक्ति होंगे, जो ऐसे स्थापन या उद्योग में जिससे व्यवसाय संघ संबंधित है, वास्तव में लगे हुए हैं या नियोजित हैं ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी कर्मचारी का, जो सेवानिवृत हो गया है या जिसकी छंटनी कर दी गई है, यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी व्यवसाय संघ में कोई पद धारण करने के प्रयोजन के लिए बाहरी व्यक्ति है ।

नाम में परिवर्तन, समामेलन, परिवर्तन की सूचना और उसका प्रभाव ।

24. (1) कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, अपने सदस्यों की कुल संख्या के कम से कम दो-तिहाई की सम्मति से और उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अपना नाम परिवर्तित कर सकेगा ।

(2) कोई दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, समामेलित हो सकेंगे ।

(3) अपने नाम में परिवर्तन करने वाला व्यवसाय संघ, नाम परिवर्तन करने की दशा में सचिव द्वारा और सात सदस्यों द्वारा तथा समामेलन की दशा में, हर एक व्यवसाय संघ, जो इसका पक्षकार है, के सचिव और सात सदस्यों द्वारा प्रत्येक नाम परिवर्तन की और प्रत्येक समामेलन की हस्ताक्षरित लिखित सूचना रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी और जहां समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय किसी भिन्न राज्य में स्थित है, वहां ऐसे राज्य के रजिस्ट्रार को, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी जाएगी ।

(4) यदि प्रस्तावित नाम उसी नाम के सदृश है, जिसके द्वारा कोई अन्य विद्यमान व्यवसाय संघ रजिस्ट्रीकृत किया गया है या रजिस्ट्रार की राय में यह ऐसे नाम के इतना सदृश है कि उससे जनता को या किसी भी व्यवसाय संघ के सदस्य को प्रवंचित करना संभाव्य है तो रजिस्ट्रार उस नाम के परिवर्तन को रजिस्टर करने से इंकार कर देगा ।

(5) उपधारा (4) में यथा उपबंधित के सिवाय, रजिस्ट्रार का यदि यह समाधान हो जाता है कि नाम परिवर्तन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है, तो

धारा 9 की उपधारा (3) में निर्दिष्ट रजिस्टर में नाम परिवर्तन को दर्ज करेगा और यह नाम परिवर्तन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(6) उस राज्य के रजिस्ट्रार का, जिसमें समामेलित व्यवसाय संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि समामेलन के बारे में इस संहिता के उपबंधों का अनुपालन हो गया है और उसके द्वारा बनाया गया व्यवसाय संघ धारा 9 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किए जाने का हकदार है, तो उस व्यवसाय संघ को रजिस्टर करेगा और समामेलन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(7) किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नाम में किया गया परिवर्तन, व्यवसाय संघ के किन्हीं अधिकारों या बाध्यताओं पर प्रभाव नहीं डालेगा और न ही उस व्यवसाय संघ द्वारा या उसके विरुद्ध की गई किसी विधिक कार्यवाही को त्रुटियुक्त बनाएगा और कोई भी ऐसी विधिक कार्यवाही, जो उसके पूर्व नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकती थी या प्रारंभ की जा सकती थी, उसके नए नाम से उसके द्वारा या उसके विरुद्ध चालू रखी जा सकेगी या प्रारंभ की जा सकेगी ।

(8) दो या अधिक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघों का समामेलन ऐसे व्यवसाय संघों में से किसी के अधिकार पर या उनमें से किसी लेनदार के किसी अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा ।

विघटन ।

25. (1) जब कोई रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ विघटित किया जाता है, तब उस व्यवसाय संघ के सात सदस्यों द्वारा और उसके सचिव द्वारा विघटन की हस्ताक्षरित सूचना विघटन के चौदह दिन के भीतर, रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी, और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि विघटन व्यवसाय संघ के नियमों के अनुसार किया गया है तो वह सूचना उसके द्वारा रजिस्ट्रीकृत की जाएगी और वह विघटन ऐसे रजिस्ट्रीकरण की तारीख से प्रभावी होगा ।

(2) जहां किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ का विघटन रजिस्ट्रीकृत किया गया है और विघटन होने पर व्यवसाय संघ के नियम व्यवसाय संघ की निधियों के वितरण के लिए उपबंध नहीं करते हैं, वहां रजिस्ट्रार उन निधियों को सदस्यों के बीच ऐसी रीति से विभाजित करेगा, जो विहित की जाए ।

वार्षिक विवरणी ।

26. (1) प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ—

(क) ऐसी विहित तारीख से ठीक पूर्ववर्ती 31 दिसंबर को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की सभी प्राप्तियों और व्यय की विशिष्टियों को तथा ऐसे 31 दिसंबर को विद्यमान व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों को अंतर्विष्ट करने वाला एक साधारण विवरण, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व, ऐसे प्ररूप में, ऐसी रीति में संपरीक्षित और ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो विहित किया जाए, रजिस्ट्रार को प्रतिवर्ष भेजेगा ;

(ख) खंड (क) में निर्दिष्ट साधारण विवरण के साथ रजिस्ट्रार को, उस वर्ष के दौरान, जिसको ऐसा साधारण विवरण निर्दिष्ट करता है, व्यवसाय संघ द्वारा किए गए पदाधिकारियों के परिवर्तन दर्शित करने वाला एक विवरण भेजेगा, जिसके साथ व्यवसाय संघ के नियमों की, उसे प्रेषण करने की तारीख तक की एक संशोधित प्रतिलिपि भी रजिस्ट्रार को भेजेगा ।

(2) रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियमों में किए गए प्रत्येक परिवर्तन की एक प्रतिलिपि, ऐसा परिवर्तन करने के पन्द्रह दिन के भीतर रजिस्ट्रार को भेजी जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रार या उसके द्वारा, साधारण या विशेष आदेश द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी उपधारा (1) के खंड (क) और खंड (ख) और उपधारा (2) में निर्दिष्ट दस्तावेजों की परीक्षा करने के प्रयोजन के लिए किसी व्यवसाय संघ से संबंधित, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र, लेखा बहियों, रजिस्टरों और अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण, उसके रजिस्ट्रीकृत कार्यालय में सभी युक्तियुक्त समयों पर कर सकेगा या उन्हें ऐसे स्थान पर, जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, पेश किए जाने की अपेक्षा कर सकेगा, किन्तु ऐसा कोई भी स्थान ऐसे व्यवसाय संघ के रजिस्ट्रीकृत कार्यालय से पन्द्रह किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा ।

केन्द्रीय और राज्य स्तर पर व्यवसाय संघों की मान्यता ।

27. (1) जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को केन्द्रीय स्तर पर केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और यदि ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उठता है, तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(2) जहां राज्य सरकार की यह राय है कि किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ को राज्य स्तर पर राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दिया जाना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह ऐसी रीति में और ऐसे प्रयोजन के लिए, जो विहित किया जाए, ऐसे व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के किसी परिसंघ को राज्य व्यवसाय संघ के रूप में मान्यता दे सकेगी और ऐसी मान्यता के संबंध में कोई विवाद उठता है, तो उसका विनिश्चय ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति में किया जाएगा, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए ।

अध्याय 4

स्थायी आदेश

इस अध्याय का लागू होना ।

28. (1) इस अध्याय के उपबंध, प्रत्येक ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू होंगे, जिसमें तीन सौ या तीन सौ से अधिक कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान किसी भी दिन नियोजित थे ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अध्याय के उपबंध किसी औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होंगे, जहां तक उसमें नियोजित कर्मकार ऐसे व्यक्ति हैं, जिन पर मूल और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवा में के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त अधिसूचित किए जाएं, लागू होते हैं ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा आदर्श स्थायी आदेशों का बनाया जाना और उनका अस्थायी लागू होना ।

29. (1) केन्द्रीय सरकार, सेवा शर्तों और उनसे अनुषंगी या उससे संबंधित अन्य विषयों के संबंध में आदर्श स्थायी आदेश करेगी ।

(2) धारा 30 से धारा 36 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उस तारीख से आरंभ होने वाली अवधि के लिए, जिसको यह धारा किसी औद्योगिक स्थापन को लागू होती है और उस तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए, जिसको इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथा प्रमाणित स्थायी आदेश, उस स्थापन में धारा 33 के अधीन प्रवर्तन में आते हैं, उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेश उस स्थापन में अंगीकृत किए गए समझे जाएंगे और धारा 33 की उपधारा (2) तथा धारा 35 के उपबंध ऐसे आदर्श स्थायी आदेशों को लागू होंगे मानो वे इस प्रकार प्रमाणित स्थायी आदेशों को लागू होते हैं ।

नियोजक द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को तैयार करना और प्रमाणन के लिए प्रक्रिया ।

30. (1) नियोजक, इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से, छह मास की अवधि के भीतर, धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों के आधार पर पहली अनुसूची में निर्दिष्ट मामलों के संबंध में और उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के लिए, ऐसे स्थायी आदेशों में आवश्यक उपबंधों को सम्मिलित किए जाने के लिए उसके औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के क्रियाकलापों की प्रकृति पर विचार करते हुए, उसके द्वारा आवश्यक समझे गए अन्य विषयों पर स्थायी आदेशों का प्रारूप तैयार करेगा, परन्तु ऐसे उपबंध इस संहिता के किसी भी उपबंध से असंगत न हों और पहली अनुसूची में दिए गए प्रत्येक मामलों को समावेशित करते हों ।

(2) नियोजक, व्यवसाय संघों या मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् के सदस्यों से, यथास्थिति, औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में स्थायी आदेश का प्रारूप तैयार करने के संबंध में परामर्श करेगा और उसके पश्चात् स्थायी आदेश का प्रारूप इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा प्रमाणन अधिकारी को प्रमाणन के लिए भेजेगा ।

(3) जहां कोई नियोजक अपने किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से सुसंगत मामलों के संबंध में धारा 29 में निर्दिष्ट केन्द्रीय सरकार के आदर्श स्थायी आदेश को अंगीकृत करता है, तब ऐसा स्थायी आदेश इस धारा के उपबंधों के अधीन प्रमाणित हुआ समझा जाएगा और नियोजक इसके संबंध में सूचना संबद्ध प्रमाणन अधिकारी को ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजेगा :

परन्तु यदि प्रमाणन अधिकारी का ऐसा कोई विचार है तो वह ऐसे नियोजक को, अंगीकृत आदेश का, ऐसी अवधि के भीतर, जो विहित की जाए, संशोधन करने का निदेश दे सकेगा ।

(4) नियोजक, स्थायी आदेश में अपेक्षित उपांतरणों, यदि कोई हो, का प्रारूप इस संहिता के उपबंधों के अनुसार तैयार करेगा और ऐसी तारीख से, जब इस अध्याय के उपबंध उसके औद्योगिक स्थापन को लागू हो जाते हैं, प्रमाणन अधिकारी को केवल उन उपांतरणों प्रमाणन के लिए छह मास की अवधि के भीतर इलैक्ट्रॉनिक रूप में या अन्यथा भेजेगा ।

(5) उपधारा (1) और उपधारा (4) में निर्दिष्ट प्रारूपों की प्राप्ति पर, प्रमाणकर्ता अधिकारी—

(i) व्यवसाय संघ या औद्योगिक स्थापन के वार्ताकारी संघ या उपक्रम, या वार्ताकारी परिषद् के सदस्यों को सूचना जारी करेगा ; या

(ii) जहां कोई व्यवसाय संघ कार्य नहीं कर रहा है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के ऐसे प्रतिनिधियों को सूचना जारी करेगा जिनका चयन ऐसी रीति में किया गया है, जो विहित की जाए,

उस विषय में उनकी टीका-टिप्पणियां प्राप्त करने के लिए और उनकी टीका-टिप्पणियां प्राप्त करने के पश्चात्, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को या, यथास्थिति, व्यवसाय संघों या कर्मकारों के प्रतिनिधियों को सुनवाई का अवसर देकर तथा यह विनिश्चय करने के लिए कि क्या प्रारूप स्थायी आदेश को प्रमाण्य बनाने के लिए ऐसे प्रारूप स्थायी आदेश में कोई उपांतरण या परिवर्धन आवश्यक है या नहीं और इस संबंध में एक लिखित आदेश करेगा :

परन्तु प्रमाणकर्त्ता अधिकारी, प्रमाणन के लिए ऐसी प्रक्रिया जो उपधारा (4) और उपधारा (5) में निर्दिष्ट है,—

(क) इस प्रकार प्राप्त प्रारूप स्थायी आदेश को, इसकी प्राप्ति की तारीख से साठ दिन की अवधि के भीतर ; और

(ख) इस प्रकार प्राप्त स्थायी आदेश में प्रारूप उपांतरणों को, ऐसे उपांतरणों की प्राप्ति के साठ दिन की अवधि के भीतर,

पूर्ण करेगा, जिसके न हो सकने पर, यथास्थिति, ऐसा प्रारूप स्थायी आदेश या स्थायी आदेश के उपांतरण, उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रमाणित हुए समझे जाएंगे ।

(6) स्थायी आदेश इस संहिता के अधीन प्रमाण्य होगा, यदि—

(क) पहली अनुसूची, जो औद्योगिक स्थापन को लागू होती है, में दिए गए प्रत्येक विषय के लिए उपबंध हैं ; और

(ख) ऐसे आदेश, इस संहिता के उपबंधों के अन्यथा अनुरूप हैं ।

(7) धारा 32 में निर्दिष्ट प्रमाणकर्त्ता अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह कृत्य होगा कि वह धारा 29 में निर्दिष्ट आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए किन्हीं स्थायी आदेशों के उपबंधों के औचित्य या युक्तियुक्तता का अधिनिर्णयन करे ।

(8) प्रमाणकर्ता अधिकारी, प्रारूप स्थायी आदेशों या उपधारा (5) में निर्दिष्ट स्थायी आदेशों में उपांतरणों को प्रमाणित करेगा और इसके पश्चात् सात दिन के भीतर ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अधिप्रमाणित स्थायी आदेशों या स्थायी आदेशों में किए गए उपांतरणों की प्रमाणित प्रतियां नियोजक और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या व्यवसाय संघ या उपधारा (5) के खंड (ii) में निर्दिष्ट कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधियों को भेजेगा ।

(9) उपधारा (1) के अधीन प्रारूप स्थायी आदेशों या उपधारा (5) के अधीन स्थायी आदेशों में प्रस्तावित उपांतरणों के प्रारूप एक विवरण के साथ संलग्न होंगे, जिसमें औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों, उस व्यवसाय संघ, जिससे वह संबंधित हैं और वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्, यदि कोई हों, की ऐसी विशिष्टियां होंगी, जो विहित की जाएं ।

(10) ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो विहित की जाएं, समान स्थापनों में नियोजकों का कोई समूह इस धारा के अधीन और उपधारा (1), उपधारा (5), उपधारा (6), उपधारा (8) और उपधारा (9) में विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के प्रयोजनों के लिए स्थायी आदेशों का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकेगा, "नियोजक", "व्यवसाय संघ" और "वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद्" पदों के अन्तर्गत क्रमश:, यथास्थिति, ऐसे समान स्थापनों के सभी नियोजक, व्यवसाय संघ और वार्ताकारी परिषद् होंगे ।

(11) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस संहिता के सुसंगत उपबंधों के प्रारंभ होने की तारीख को विद्यमान किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित स्थायी आदेश, जहां तक वह इस संहिता के उपबंधों या तद्धीन बनाए गए नियमों से असंगत नहीं हैं, जारी रहेंगे और उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश समझे जाएंगे तथा तदनुसार इस अध्याय के उपबंध उन पर लागू होंगे ।

प्रमाणकर्ता अधिकारी और अपीलीय प्राधिकारी के पास सिविल न्यायालय की शक्तियों का होना ।

31. (1) प्रत्येक प्रमाणकर्ता अधिकारी और धारा 32 में निर्दिष्ट अपीलीय प्राधिकारी के पास साक्ष्य ग्रहण करने, शपथ दिलाने, साक्षियों को हाजिर कराने और दस्तावेजों का पता लगाने और उन्हें प्रस्तुत करने के लिए बाध्य करने के प्रयोजनों के लिए किसी सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी और वे दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345 और धारा 346 के अर्थ के अन्तर्गत सिविल न्यायालय समझे जाएंगे । 1974 का 2

(2) किसी प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश में लेखन या गणित संबंधी भूलों या उसमें किसी आकस्मिक छूट या लोप से उद्भूत गलतियों को किसी भी समय उस अधिकारी द्वारा या ऐसे अधिकारी के कार्यालय में उसके उत्तरवर्ती द्वारा ठीक किया जा सकेगा ।

अपीलें ।

32. कोई नियोजक या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, कोई भी संघ या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, यदि धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन प्रमाणकर्ता अधिकारी के दिए गए आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा नियुक्त अपील प्राधिकारी को अपील कर सकेगा और ऐसा प्राधिकारी ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, अपील का निपटान करेगा ।

स्थायी आदेशों के प्रचालन की तारीख और उसकी उपलब्धता ।

33. (1) यथास्थिति, स्थायी आदेश या उपांतरित स्थायी आदेश, जब तक कि धारा 32 के अधीन कोई अपील नहीं की जाती है, उस तारीख से, जिसको उसकी अधिप्रमाणित प्रतियां धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन भेजी जाती हैं, तीस दिन के अवसान पर या जहां यथा पूर्वोक्त कोई अपील की जाती है, उस तारीख से, जिसको अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियां, ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, भेजी जाती हैं, सात दिन के अवसान पर प्रवर्तन में आएगा ।

(2) इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित स्थायी आदेश के पाठ को नियोजक द्वारा ऐसी भाषा में और ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों की जानकारी के लिए रखा जाएगा ।

स्थायी आदेशों का रजिस्टर ।

34. इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित सभी स्थायी आदेशों की एक प्रति प्रमाणकर्ता अधिकारी द्वारा इलैक्ट्रानिक प्ररूप में या ऐसे अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, अपलोड करने के प्रयोजन के लिए रखे गए रजिस्टर में फाइल की जाएगी और प्रमाणकर्ता अधिकारी उसकी प्रति उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को ऐसी फीस का संदाय करने पर, जो विहित की जाए, देगा ।

स्थायी आदेशों की कालावधि और उनका उपांतरण ।

35. (1) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेश, नियोजक और कर्मकार या कोई वार्ताकारी संघ या कोई व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार के सिवाय, उपांतरित किए जाने के लिए तब तक दायी नहीं होगा जब तक उस तारीख से, जिसको स्थायी आदेश या उनका अंतिम उपांतरण प्रवर्तन में आया था, छह मास की अवधि का अवसान नहीं हो जाता है ।

(2) उपधारा (1) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाला अन्य निकाय उपांतरित स्थायी आदेशों के लिए ऐसे आवेदन में, जो विहित किया जाए, प्रमाणकर्ता अधिकारी को आवेदन कर सकेगा, जिसके साथ किए जाने वाले प्रस्तावित उपांतरणों की, ऐसी प्रतियां संलग्न होंगी और जहां नियोजक और कर्मकारों या किसी व्यवसाय संघ या कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले अन्य निकाय के बीच करार द्वारा उपांतरणों का किया जाना प्रस्तावित है, उस करार की एक प्रमाणित प्रति ऐसे आवेदन के साथ फाइल की जाएगी ।

(3) इस संहिता के पूर्वगामी उपबंध, उपधारा (2) के अधीन किए गए किसी आवेदन के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे प्रथम बार के स्थायी आदेशों के प्रमाणन को लागू होते हैं ।

स्थायी आदेशों के खंडन में मौखिक साक्ष्य का ग्राह्य न होना ।

36. इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से यथाप्रमाणित स्थायी आदेश में परिवर्धन करने या अन्यथा फेरफार करने या खंडन करने का प्रभाव रखने वाला कोई भी मौखिक साक्ष्य किसी न्यायालय में ग्रहण नहीं किया जाएगा ।

स्थायी आदेशों का निर्वचन आदि ।

37. यदि धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के लागू होने या निर्वचन के बारे में या उस धारा की उपधारा (5) के अधीन किए गए किसी करार द्वारा उसमें किए गए उपांतरण के बारे में कोई प्रश्न उठता है, तो नियोजक या कोई कर्मकार या संबंधित कर्मकार या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में नियोजित कर्मकार के संबंध में व्यवसाय संघ, जिसमें प्रश्न उठा है, उस अधिकरण को, जिसकी क्षेत्रीय अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर ऐसा स्थापन या कार्यालय, अनुभाग या उपक्रम की शाखा अवस्थित है, प्रश्न का विनिश्चय करने के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा अधिकरण सभी संबंधित पक्षकारों को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय संबंधित नियोजक और कर्मकारों पर अंतिम और बाध्यकारी होगा ।

अनुशासनिक कार्यवाहियों को पूरा करने की समय-सीमा और निर्वाह भत्ता संदाय करने का दायित्व ।

38. (1) जहां नियोजक द्वारा किसी कर्मकार को अन्वेषण या उसके विरुद्ध शिकायतों या अवचार के आरोपों की जांच के लंबित रहते हुए निलंबित किया जाता है तो ऐसा अन्वेषण या जांच या जहां कोई अन्वेषण करने के पश्चात् जांच की जाती है, अन्वेषण और जांच दोनों को साधारणतया निलंबन की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा ।

(2) धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित या धारा 35 के अधीन उपांतरित स्थायी आदेश यह उपबंध करेंगे कि जहां किसी कर्मकार को उपधारा (1) में यथा निर्दिष्ट निलंबित किया जाता है, किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के संबंध में नियोजक ऐसे स्थापन या उपक्रम में नियोजित ऐसे कर्मकार को उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट दर पर निर्वाह भत्ते का उस अवधि के लिए संदाय करेगा जिसके दौरान ऐसे कर्मकार को उसके विरुद्ध अन्वेषण या शिकायतों की जांच या अवचार के आरोपों के लंबित रहने के दौरान निलंबित रखा गया है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन संदेय निर्वाह भत्ते की रकम—

(क) निलंबन के पहले नब्बे दिन के लिए उस मजदूरी के पचास प्रतिशत की दर से होगी, जिसका कर्मकार ऐसे निलंबन की तारीख से तुरंत पूर्व हकदार था ; और

(ख) निलंबन की शेष कालावधि के लिए ऐसी मजदूरी के पचहत्तर प्रतिशत की दर से होगी, यदि ऐसे कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियों में विलंब प्रत्यक्षत: ऐसे कर्मकार के आचरण के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ।

छूट देने की शक्ति ।

39. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा किसी औद्योगिक स्थापन या औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को इस अध्याय के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या बिना किसी शर्त के छूट प्रदान कर सकेगी ।

अध्याय 5

परिवर्तन की सूचना

परिवर्तन की सूचना ।

40. कोई भी नियोजक, जो किसी कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों में तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी ऐसे विषय के संबंध में, कोई परिवर्तन करने की प्रस्थापना करता है,—

(i) ऐसे कर्मकार को, जिन पर ऐसे परिवर्तन का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, ऐसी रीति में, जो किए जाने वाले प्रस्थापित परिवर्तन की प्रकृति के बारे में विहित किया जाए, सूचना दिए बिना, ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा ; या

(ii) ऐसी सूचना दिए जाने के इक्कीस दिन के भीतर ऐसा परिवर्तन नहीं करेगा :

परन्तु ऐसा कोई परिवर्तन करने के लिए किसी भी सूचना की अपेक्षा वहां नहीं होगी,—

(क) जहां किसी समझौते या अधिनिर्णय के अनुसरण में परिवर्तन किया गया है ;

(ख) जहां कर्मकारों, जिन पर उस परिवर्तन का प्रभाव पड़ना संभाव्य हो, वे ऐसे व्यक्ति हैं, जिन्हें मूल और अनुपूरक नियम, सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, सिविल सेवा (अस्थायी सेवा) नियम, पुनरीक्षित छुट्टी नियम, सिविल सेवा विनियम, रक्षा सेवाओं के सिविलियन (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम या भारतीय रेल स्थापन संहिता या कोई अन्य नियम या विनियम, जो समुचित सरकार द्वारा राजपत्र में इस निमित्त अधिसूचित किए जाए, लागू होते हैं ;

(ग) स्थायी आदेशों के अनुसार से भिन्न शिकायत निवारण समिति के परामर्श से आकस्मिक स्थिति की दशा में, जिसमें पारी में परिवर्तन या पारी कार्यकरण की अपेक्षा हो ;

(घ) यदि ऐसा परिवर्तन समुचित सरकार के आदेशों के अनुसार या किसी समझौते या पंचाट के अनुसरण में किया जाता है।

समुचित सरकार की छूट देने की शक्ति ।

41. जहां समुचित सरकार की यह राय है कि औद्योगिक स्थापनों के किसी वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकार के किसी वर्ग को धारा 40 के उपबंधों का लागू होना, उससे संबंधित नियोजकों पर ऐसा प्रतिकूल प्रभाव डालता है कि इस प्रकार लागू किए जाने से संबंधित उद्योग पर गंभीर परिणाम हो सकेगा और यह कि लोक हित में ऐसा अपेक्षित है, वहां समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि उक्त धारा के उपबंध औद्योगिक स्थापनों के उस वर्ग को या किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों के उस वर्ग को, ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जिन्हें अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, लागू नहीं होंगे या लागू होंगे ।

अध्याय 6

विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश

विवादों का माध्यस्थम् के लिए स्वैच्छया निर्देश ।

42. (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान हो या होने की आशंका हो और नियोजक तथा कर्मकार विवाद को माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किए जाने के लिए सहमत हैं, वहां वे विवाद को किसी लिखित करार द्वारा माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट कर सकेंगे और यह निर्देश मध्यस्थ या मध्यस्थों के रूप में ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को होगा, जिन्हें माध्यस्थम् करार में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) जहां कोई माध्यस्थम् करार यह उपबंध करता है कि विवाद समसंख्यक मध्यस्थों को निर्दिष्ट किया जाए वहां करार किसी अन्य व्यक्ति को अधिनिर्णायक के रूप में नियुक्त करने का उपबंध करेगा, जो निर्देश ग्रहण करेगा यदि मध्यस्थ अपनी राय में बराबर बंटे हों और अधिनिर्णायक का पंचाट अभिभावी होगा तथा वह इस संहिता के प्रयोजनों के लिए माध्यस्थम् पंचाट समझा जाएगा ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई माध्यस्थम् करार ऐसे प्ररूप में होगा और उस पर उसके पक्षकार ऐसी रीति से हस्ताक्षर करेंगे, जो विहित किया जाए ।

(4) माध्यस्थम् करार की एक प्रति समुचित सरकार या सुलह अधिकारी को भेजी जाएगी ।

(5) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया हो और समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि निर्देश करने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्षकार की बहुसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां समुचित सरकार ऐसी रीति में, जो विहित किया जाए, अधिसूचना जारी कर सकेगी और जब ऐसी कोई अधिसूचना जारी की जाती है तब उन नियोजकों और कर्मकारों को, जो माध्यस्थम् करार के पक्षकार नहीं है किन्तु विवाद से संबंधित हैं, मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा :

IndiaCode

परन्तु यह कि,—

(i) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को उन्मोचन, पदच्युत, छंटनी करने या अन्यथा के रूप में समाप्ति से भिन्न कोई औद्योगिक विवाद है तो कर्मकार का मध्यस्थ के समक्ष निम्नलिखित के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा, —

(क) जहां वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् है, वहां, यथास्थिति, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् द्वारा ; या

(ख) जहां वार्ताकारी कोई संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां व्यवसाय संघ द्वारा ; या

(ग) जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां ऐसी रीति से चुने हुए, जो विहित किया जाएं कर्मकारों के ऐसे प्रतिनिधियों द्वारा ;

(ii) जहां ऐसा औद्योगिक विवाद किसी व्यष्टिक कर्मकार को उन्मोचन, पदच्युत, छंटनी या अन्यथा के रूप में समाप्ति करने से संबंध रखता है, तो संबंधित कर्मकार का वैयक्तिक रूप से या उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया जाएगा ।

(6) मध्यस्थ, विवाद का अन्वेषण करेगा या करेंगे और यथास्थिति, मध्यस्थ द्वारा या सभी मध्यस्थों द्वारा हस्ताक्षरित माध्यस्थम् पंचाट समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा या करेंगे ।

(7) जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निर्दिष्ट किया गया है और उपधारा (5) के अधीन कोई अधिसूचना जारी की गई है, वहां समुचित सरकार ऐसे विवाद के संबंध में, जो निदेश किए जाने की तारीख को विद्यमान हो, की गई किसी हड़ताल या तालाबंदी के चालू रखने को, आदेश द्वारा प्रतिषिद्ध कर सकेंगी ।

1996 का 26

(8) माध्यस्थम् और सुलह अधिनियम, 1996 की कोई भी बात, इस धारा के अधीन के माध्यस्थमों को लागू नहीं होगी ।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए तंत्र

सुलह अधिकारी ।

43. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, सुलह अधिकारियों के रूप में, उतने व्यक्तियों को नियुक्त कर सकेगी, जो वह उचित समझे, जिन्हें औद्योगिक विवादों के निपटारे में मध्यस्थता करने और उसका संवर्धन करने के लिए कर्तव्य से भारित किया जाए ।

(2) किसी सुलह अधिकारी को किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट उद्योगों के लिए या तो स्थायी रूप से या सीमित कालावधि के लिए नियुक्त किया जा सकेगा ।

औद्योगिक अधिकरण ।

44. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों के न्यायनिर्णयन के लिए और ऐसे अन्य कृत्यों को करने के लिए, जो इस संहिता के अधीन उसे सौंपे जाएं, एक या अधिक औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी और केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रकार गठित अधिकरण, कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1952

1952 का 19

की धारा 2 के खंड (ड) या उस अधिनियम के अधीन यथापरिभाषित अधिकरण पर प्रदत्त अधिकारिता, शक्तियों और प्राधिकार का भी प्रयोग करेंगे ।

(2) प्रत्येक औद्योगिक अधिकरण, समुचित सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिसमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) अधिकरण की न्यायपीठ किसी न्यायिक सदस्य और किसी प्रशासनिक सदस्य या एकल न्यायिक सदस्य या एकल प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनेगी ।

(4) केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की नियुक्ति के लिए अर्हताएं, भर्ती की पद्धति, पदावधि, वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, वित्त अधिनियम, 2017 की धारा 184 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होंगी : 2017 का 7

परन्तु ऐसा व्यक्ति, जो भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति से नीचे का पद या केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार में समतुल्य श्रेणी का पद धारण किया हो, वह अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त का पात्र नहीं होगा ।

(5) उपधारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य की पदावधि, उनके वेतन और भत्ते, त्यागपत्र, पद से हटाना और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाएं ।

(6) उपधारा (2) में निर्दिष्ट और किसी राज्य सरकार द्वारा नियुक्त न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य के वेतन और भत्तों, सेवा के निबंधन और शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् कोई अलाभप्रद परिवर्तन नहीं किया जाएगा ।

(7) अधिकरण की प्रक्रिया (जिसके अंतर्गत अधिकरण की न्यायपीठ में मामलों का वितरण सम्मिलित भी है) वह होगी, जो विहित की जाए, परन्तु किसी न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनने वाली न्यायपीठ केवल निम्नलिखित से संबंधित मामलों को ग्रहण करेगी और उसका विनिश्चय करेगी—

(क) किसी स्थायी आदेश का लागू होना और उसका निर्वचन करना ;

(ख) किसी कर्मकार को उन्मोचित या पदच्युत करना, जिसके अंतर्गत पदच्युत किए गए कर्मकार का पुनःस्थापन या उसे अनुतोष प्रदान करना सम्मिलित है ;

(ग) किसी हड़ताल या तालाबंदी की अविधिमान्यता या अन्यथा ;

(घ) कर्मकार की छंटनी और स्थापन का बंद किया जाना; और

(ङ) व्यवसाय संघ विवाद,

तथा शेष मामले, अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या किसी प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनने वाले अधिकरण की न्यायपीठ द्वारा ग्रहण और विनिश्चित किए जाएंगे ।

(8) न्यायिक सदस्य ऐसे अधिकरण की अध्यक्षता करेगा जहां अधिकरण की न्यायपीठ एक न्यायिक सदस्य और एक प्रशासनिक सदस्य से मिलकर बनती है ।

(9) यदि किसी कारण से, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या किसी अधिकरण में कोई रिक्ति (अस्थायी अनुपस्थिति से भिन्न) उद्भूत होती है, तब ऐसी रिक्ति को यथास्थिति, उपधारा (4) या उपधारा (5) के उपबंधों के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसी

रीति में भरा जाएगा, जो विहित किया जाए और, यथास्थिति, ऐसे राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण या अधिकरण के समक्ष कार्यवाही उसी प्रक्रम से जारी रहेंगी, जिस प्रक्रम पर ऐसी रिक्ति भरी जाती है ।

(10) समुचित सरकार, अधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृन्द का प्रबंध कर सकेगी, जितनी अधिकरण के कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण के गठन की अंतिमता ।

45. समुचित सरकार की किसी अधिसूचना को, जो अधिकरण के किसी न्यायिक सदस्य या किसी प्रशासनिक सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए हो, किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा ; और अधिकरण के समक्ष कोई कार्य या कार्यवाही मुख्यत: ऐसे अधिकरण में किसी रिक्ति या उसके गठन में किसी त्रुटि के विद्यमान रहने के आधार पर किसी भी रीति में प्रश्नगत नहीं की जाएगी ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण ।

46. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा औद्योगिक विवादों, जिनमें केन्द्रीय सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्व के प्रश्न अंतर्वलित हैं या वे ऐसी प्रकृति के हैं कि उनसे एक से अधिक राज्यों में स्थित औद्योगिक स्थापनों के उसमें हितबद्ध होने की संभावना है या वह ऐसे विवादों से प्रभावित हैं, के न्यायनिर्णयन के लिए एक या अधिक राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरणों का गठन कर सकेगी ।

(2) कोई राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले दो सदस्यों से मिलकर बनेगा, जिनमें से एक न्यायिक सदस्य और दूसरा प्रशासनिक सदस्य होगा ।

(3) कोई व्यक्ति, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा, जब तक कि वह किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश न हो या न रहा हो ।

(4) कोई व्यक्ति, किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्हित नहीं होगा जब तक कि वह भारत सरकार का सचिव न हो या न रह चुका हो या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में समतुल्य रैंक धारण न कर रहा हो, जिसके पास श्रम से संबंधित मामलों से निपटने का पर्याप्त अनुभव न हो ।

(5) न्यायिक सदस्य, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अध्यक्षता करेगा ।

(6) राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य के चयन की प्रक्रिया, उनके वेतन, भत्ते, सेवा की अन्य निबंधन और शर्तें वे होंगी, जो विहित की जाएं ।

(7) केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य के परामर्श से उतनी संख्या में अधिकारी और अन्य कर्मचारिवृंद का प्रबंध कर सकेगी, जितनी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के कृत्यों के सम्यक् निर्वहन के लिए अपेक्षित हों ।

अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का विनिश्चय ।

47. (1) यथास्थिति, किसी अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का विनिश्चय, सदस्यों के मतैक्य से होगा ।

(2) यदि किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों का किसी बिन्दु पर मतभेद होता है तो वह उन बिन्दु या बिन्दुओं का कथन करेंगे, जिन पर उनमें मतभेद है और समुचित सरकार को निर्देश करेंगे ।

(3) समुचित सरकार, उपधारा (2) के अधीन किए गए निर्देश की प्राप्ति पर, अन्य अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक सदस्य की नियुक्ति करेगी, जो स्वयं बिन्दु या बिन्दुओं की सुनवाई करेगा और ऐसे बिन्दु या बिन्दुओं का विनिश्चय, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, जिसने पहले मामले की सुनवाई की है, के सदस्यों, जिसके अंतर्गत अन्य अधिकरण का न्यायिक सदस्य भी है, जिसने तत्पश्चात् मामले की सुनवाई की थी, के बहुमत के अनुसार किया जाएगा ।

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों की निरर्हताएं ।

48. कोई व्यक्ति, क्रमश: किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्य के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा या उसे जारी नहीं रखा जाएगा, यदि—

(क) वह कोई स्वतंत्र व्यक्ति नहीं है ; या

(ख) उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "स्वतंत्र व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट औद्योगिक विवाद से या जो ऐसे विवाद से प्रत्यक्षत: प्रभावित किसी उद्योग से असंबद्ध है ।

मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की प्रक्रिया और शक्तियां ।

49. (1) इस संहिता के उपबंधों और उन नियमों, जो इस निमित्त बनाए जाएं, के अधीन रहते हुए, कोई मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा जैसा मध्यस्थ, सुलह अधिकारी, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण उचित समझे ।

(2) कोई सुलह अधिकारी या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई अधिकारी किसी विद्यमान औद्योगिक विवाद या औद्योगिक विवाद होने की आशंका की जांच के प्रयोजन के लिए, युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, किसी स्थापन द्वारा, जिससे विवाद संबंधित है, दखलकृत परिसर में प्रविष्ट हो सकेगा ।

(3) सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निम्नलिखित मामलों के संबंध में किसी वाद का विचारण करते समय वही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं, अर्थात् :— 1908 का 5

(क) किसी व्यक्ति को हाजिर कराना और शपथ पर उसकी परीक्षा करना ;

(ख) दस्तावेजों और तात्विक वस्तुओं को प्रस्तुत करने के लिए विवश करना ;

(ग) साक्षियों की परीक्षा के लिए कमीशन जारी करना ;

(घ) ऐसे अन्य मामलों के संबंध में, जो विहित किए जाएं,

और अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा की गई प्रत्येक जांच या अन्वेषण भारतीय दंड संहिता की धारा 193 और धारा 228 के अर्थ के अंतर्गत कोई न्यायिक कार्यवाही समझी जाएगी । 1860 का 45

(4) कोई सुलह अधिकारी, ऐसे व्यक्ति की परीक्षा करने के प्रयोजन से किसी भी व्यक्ति को हाजिर करा सकेगा या उसे बुला सकेगा और किसी दस्तावेज का निरीक्षण कर सकेगा जिसके लिए उसके पास औद्योगिक विवाद से सुसंगत होने पर विचार करने का आधार है या किसी पंचाट के कार्यान्वयन को सत्यापित करने के प्रयोजन के लिए या इस संहिता के अधीन उस पर अधिरोपित किसी अन्य कर्तव्य का निष्पादन करने के लिए आवश्यक है तथा पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए, सुलह अधिकारी को वही शक्तियां होंगी, जो

किसी व्यक्ति को हाजिर कराने और उसकी परीक्षा करने या दस्तावेजों को प्रस्तुत करने को विवश करने के संबंध में, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी सिविल न्यायालय में निहित हैं ।

1908 का 5

(5) समुचित सरकार, यदि उचित समझे तो विचाराधीन मामले में विशेष जानकारी रखने वाले एक या अधिक व्यक्तियों को, यथास्थिति, किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को उक्त अधिकरणों में से प्रत्येक के समक्ष किसी कार्यवाही के संबंध में सलाह देने के लिए असेसर या विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त कर सकेगी ।

(6) सभी सुलह अधिकारी और किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता की धारा 21 के अर्थ के अंतर्गत लोक सेवक समझा जाएगा ।

1860 का 45

(7) इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए, किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही की लागत और उसके लिए आनुषंगिक, उस अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के विवेकानुसार होगी तथा, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को यह अवधारित करने के लिए कि किसके द्वारा और किसे तथा किस विस्तार तक और किन शर्तों के अधीन रहते हुए, यदि कोई हो, ऐसी लागतों का संदाय किया जाना है, और पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए सभी आवश्यक निदेश देने की पूर्ण शक्ति होगी और समुचित सरकार को पात्र व्यक्ति द्वारा किए गए आवेदन पर उस सरकार द्वारा ऐसी लागतों की उसी रीति में वसूली की जाएगी मानो वह भू-राजस्व का बकाया है ।

(8) प्रत्येक अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 345, धारा 346 और धारा 348 के प्रयोजनों के लिए सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1974 का 2

(9) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा या के समक्ष दिया गया प्रत्येक पंचाट, जारी किया गया आदेश या किए गए निपटान का निष्पादन किसी सिविल न्यायालय के आदेशों और डिक्री के निष्पादन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश 21 के अधीन अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा और उस प्रयोजन के लिए ऐसे अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को एक सिविल न्यायालय समझा जाएगा ।

1908 का 5

अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कर्मकार के सेवोन्मुक्त या उसके पदच्युति की दशा में समुचित अनुतोष देने की शक्तियां ।

50. (1) जहां धारा 53 की उपधारा (6) के अधीन, किसी कर्मकार के सेवोन्मुक्त या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति से संबंधित आवेदन किसी अधिकरण में किया गया है या न्यायनिर्णयन के लिए किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट किया गया है और न्यायनिर्णयन प्रक्रियाओं के अनुक्रम में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति का आदेश न्यायोचित नहीं था, तो वह अपने पंचाट द्वारा सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या सेवा समाप्ति के आदेश को अपास्त कर सकेगा और ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, यदि कोई हों, जैसा वह ठीक समझे, कर्मकार के पुनःस्थापन का निदेश दे सकेगा या कर्मकार को ऐसा अन्य अनुतोष दे सकेगा जिसके अंतर्गत सेवोन्मुक्ति या पदच्युति या अन्यथा सेवा समाप्ति के बदले में कोई कमतर दंड का पंचाट भी है, जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो ।

(2) यथास्थिति, कोई अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक विवाद के लंबित रहने के दौरान उपधारा (1) में निर्दिष्ट कर्मकार को न्याय के हित में ऐसा अंतरिम अनुतोष मंजूर कर सकेगा, जैसा मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो :

परन्तु इस उपधारा के अधीन किसी कार्यवाही में, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण केवल अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री पर ही निर्भर करेंगे और मामले के संबंध में कोई नया साक्ष्य ग्रहण नहीं करेंगे ।

लंबित मामलों का अंतरण ।

51. (1) इस संहिता के प्रारंभ की तारीख से ही, ऐसे प्रारंभ से तुरंत पूर्व—

(क) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित श्रम न्यायालय और अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे ; 1947 का 14

(ख) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित राष्ट्रीय अधिकरण में लंबित मामले, इस संहिता के अधीन तत्स्थानी अधिकारिता रखने वाले राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित हो जाएंगे । 1947 का 14

(2) उपधारा (1) के अधीन अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अंतरित मामलों से नए सिरे से या उस प्रक्रम से जिस पर वह ऐसे अंतरण से पूर्व लंबित थे, जैसा ठीक समझा जाए, व्यवहार किया जाएगा ।

निरसित अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारियों की सेवाओं का समायोजन ।

52. औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन गठित, यथास्थिति, कोई श्रम न्यायालय या अधिकरण या राष्ट्रीय अधिकरण का कोई पीठासीन अधिकारी, जो उस रूप में इस संहिता के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व पद धारण कर रहा है और इस संहिता के अधीन नियुक्त किए जाने के लिए अर्हित है, तो वह, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का न्यायिक सदस्य होगा और अपनी शेष पदावधि के लिए पद धारण करता रहेगा । 1947 का 14

विवाद का सुलह और न्यायनिर्णयन ।

53. (1) जहां कोई औद्योगिक विवाद विद्यमान है या उसकी आशंका है या धारा 62 के अधीन कोई सूचना दी गई है तो सुलह अधिकारी, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, सुलह कार्यवाहियां करेगा :

परन्तु सुलह अधिकारी ऐसा औद्योगिक विवाद पैदा होने की तारीख से दो वर्ष के पश्चात्, औद्योगिक विवाद से संबंधित कोई ऐसी कार्यवाही नहीं करेगा ।

(2) सुलह अधिकारी, विवाद का समझौता कराने के प्रयोजन के लिए, विवाद और उसके सार तथा उचित समझौता को प्रभावित करने वाले सभी विषयों का अविलंब अन्वेषण करेगा और ऐसी सभी चीजें कर सकेगा, जो वह विवाद के उचित और सौहार्दपूर्ण समझौते के लिए पक्षकारों को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन के लिए ठीक समझे ।

(3) यदि विवाद या विवादग्रस्त विषयों में से किसी विषय पर समझौता सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में होता है, तो सुलह अधिकारी उसकी एक रिपोर्ट समुचित सरकार या समुचित सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ भेजेगा ।

(4) यदि ऐसा कोई समझौता नहीं किया जाता है, तो सुलह अधिकारी यथासाध्य शीघ्रता से, अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात्, संबद्ध पक्षकारों को और समुचित सरकार को तथ्यों और परिस्थितियों के पूर्ण विवरण के साथ तथा उन कारणों के, जिसके मद्दे

उसकी राय में, कोई समझौता नहीं हो सका, विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों को अभिनिश्चित करने के लिए और उसका समझौता कराने के लिए उसके द्वारा उठाए गए कदमों को उपवर्णित करने वाली एक पूर्ण रिपोर्ट इलैक्ट्रानिक या अन्य प्ररूप में, जो विहित किया जाए, भेजेगा ।

(5) उपधारा (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सुलह अधिकारी संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के पैंतालीस दिन के भीतर या ऐसी लघुत्तर अवधि के भीतर, जो समुचित सरकार द्वारा नियत की जाए, रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु जहां कोई सुलह अधिकारी धारा 62 के अधीन सूचना प्राप्त करता है वहां वह सुलह कार्यवाहियों के प्रारंभ होने के चौदह दिन के भीतर संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को रिपोर्ट भेजेगा :

परन्तु यह और कि सुलह अधिकारी के अनुमोदन के अधीन रहते हुए, समय को ऐसी अवधि तक बढाया जा सकेगा, जैसा कि विवाद के संबद्ध पक्षकारों द्वारा लिखित में करार किया जाए ।

(6) कोई संबंधित पक्षकार, विहित प्ररूप में अधिकरण को उन मामलों की, जो सुलह अधिकारी द्वारा इस धारा के अधीन उस तारीख से, जिसको संबंधित पक्षकार द्वारा उपधारा (4) के अधीन रिपोर्ट प्राप्त की जाती है, से नब्बे दिन के भीतर नहीं निपटाए गए हैं, के लिए आवेदन कर सकेगा और अधिकरण ऐसे आवेदन का विनिश्चय विहित रीति में करेगा ।

राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के निर्देश और कृत्य ।

54. (1) केन्द्रीय सरकार, किसी औद्योगिक विवाद को किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी, जिसमें ऐसी सरकार की राय में राष्ट्रीय महत्ता का प्रश्न अंतर्वलित है या वह ऐसी प्रकृति का है, जिसमें एक से अधिक राज्यों में अवस्थित औद्योगिक स्थापनों के हितबद्ध होने की या ऐसे औद्योगिक विवाद से प्रभावित होने की संभावना है ।

(2) जहां कोई औद्योगिक विवाद, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को अधिनिर्णयन के लिए उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट किया गया है या धारा 92 के अधीन अंतरित किया गया है, वहां वह अपनी कार्यवाहियां शीघ्रतापूर्वक करेगा और ऐसे औद्योगिक विवाद को निर्दिष्ट या अंतरण करने वाले आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर या केन्द्रीय सरकार द्वारा विस्तारित की गई अतिरिक्त अवधि के भीतर उस सरकार को अपना पंचाट प्रस्तुत करेगा ।

पंचाट का प्ररूप, उसकी संसूचना और प्रारंभ ।

55. (1) पंचाट—

(i) जो ऐसे अधिकरण द्वारा दिया जाता है, जिसकी न्यायपीठ न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य या एकल न्यायिक सदस्य या एकल प्रशासनिक सदस्य द्वारा मिलकर बनी हैं; या

(ii) किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिया जाता है,

वह लिखित में होगा और उस पर यथास्थिति, न्यायिक सदस्य और प्रशासनिक सदस्य दोनों अथवा या तो न्यायिक सदस्य या प्रशासनिक सदस्य, जिसके द्वारा पंचाट दिया गया है, के इलैक्ट्रानिकी रूप में या अन्यथा हस्ताक्षर होंगे ।

(2) प्रत्येक माध्यस्थम् पंचाट और अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का प्रत्येक अधिनिर्णय संबद्ध पक्षकारों और समुचित सरकार को संसूचित किया जाएगा ।

(3) इस संहिता के अधीन किया गया कोई पंचाट, उपधारा (2) के अधीन उसकी संसूचना की तारीख से तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा :

परन्तु—

(क) यदि समुचित सरकार की किसी मामले में यह राय है, कि जहां किसी अधिकरण द्वारा किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में अधिनिर्णय दिया गया है, जिसका वह एक पक्षकार है ; या

(ख) यदि किसी भी मामले में केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जहां अधिनिर्णय किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा दिया गया है,

कि यह संपूर्ण पंचाट या उसके किसी भाग को प्रभावी करने के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था या सामाजिक न्याय को प्रभावित करने वाले लोक आधारों पर असमीचीन होगा, समुचित सरकार या, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगी कि पंचाट तीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तनीय नहीं होगा ।

(4) जहां उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन किसी पंचाट के संबंध में कोई घोषणा की गई है, यथास्थिति, समुचित सरकार या केन्द्रीय सरकार उपधारा (2) के अधीन पंचाट की संसूचना की तारीख से नब्बे दिन के भीतर अधिनिर्णय को नामंजूर करने वाला या उसे उपांतरित करने वाला कोई आदेश कर सकेगी और प्रथम उपलब्ध अवसर पर, यदि आदेश किसी राज्य सरकार द्वारा किया गया है तो राज्य विधान-मंडल के समक्ष या यदि आदेश केन्द्रीय सरकार द्वारा किया गया है तो संसद् के समक्ष आदेश की प्रति सहित पंचाट को रखेगी ।

(5) जहां किसी राज्य विधान-मंडल के समक्ष या संसद् के समक्ष उपधारा (4) के अधीन किए गए किसी आदेश द्वारा यथा अस्वीकृत या उपांतरित कोई पंचाट रखा जाता है तब ऐसा पंचाट उस तारीख से, जिसको इसे इस प्रकार रखा जाता है पंद्रह दिन की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा और जहां उपधारा (4) के अधीन कोई आदेश, उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन घोषणा के अनुसरण में नहीं किया जाता है तो अधिनिर्णय उपधारा (4) में निर्दिष्ट नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति पर प्रवर्तनीय हो जाएगा ।

(6) किसी पंचाट की प्रवर्तनीयता के संबंध में, उपधारा (3) और उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, पंचाट उस तारीख से प्रवृत्त होगा जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाए किन्तु जहां कोई तारीख इस प्रकार विनिर्दिष्ट नहीं की जाती है, वहां यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जब पंचांट, यथास्थिति, उपधारा (3) या उपधारा (5) के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है ।

उच्चतर न्यायालयों में कार्यवाहियां लंबित रहने तक कर्मकार को पूर्ण मजदूरी का संदाय ।

56. जहां किसी मामले में, कोई अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपने पंचाट के द्वारा किसी कर्मकार के पुनःस्थापन का निदेश देता है और नियोजक किसी उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसे पंचाट के विरुद्ध कोई कार्यवाही करता है, वहां नियोजक ऐसे कर्मकार को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में ऐसी कार्यवाहियों के लंबित रहने की अवधि के दौरान उसके द्वारा अंतिम बार प्राप्त की गई पूर्ण मजदूरी, जिसके अंतर्गत किसी नियम के अधीन उसको अनुज्ञेय कोई भरण-पोषण

भत्ता भी है, का संदाय करने का दायी होगा, यदि कर्मकार ऐसी अवधि के दौरान किसी स्थापन में नियोजित नहीं किया गया था और ऐसे कर्मकार द्वारा शपथपत्र ऐसे न्यायालय में उस प्रभाव के लिए फाइल किया गया था:

परन्तु जहां उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के समाधानप्रद रूप में यह साबित हो जाता है कि ऐसा कर्मकार नियोजित किया गया था और ऐसी किसी अवधि या उसके भाग के दौरान पर्याप्त पारिश्रमिक प्राप्त कर रहा था, तो न्यायालय यह आदेश करेगा कि, यथास्थिति, ऐसी अवधि या उसके भाग के लिए इस धारा के अधीन कोई मजदूरी संदेय नहीं होगी ।

ऐसे व्यक्ति जिन पर समझौते और अधिनिर्णय आबद्धकर हैं ।

57. (1) सुलह कार्यवाही के अनुक्रम से भिन्न नियोजक और कर्मकार के बीच करार द्वारा किया गया कोई समझौता करार के पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

(2) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, ऐसा माध्यस्थम् पंचाट, जो प्रवर्तनीय हो गया है, करार के ऐसे पक्षकारों पर आबद्धकर होगा, जिन्होंने विवाद माध्यस्थम् को निर्दिष्ट किया है ।

(3) इस संहिता या माध्यस्थम् या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के अधिनिर्णय के अधीन सुलह कार्यवाहियों के अनुक्रम में किया गया समझौता, जो प्रवर्तनीय हो गया है—

(क) औद्योगिक विवाद के सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा;

(ख) विवाद के पक्षकारों के रूप में कार्यवाहियों में हाजिर होने के लिए समन किए गए सभी अन्य पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण अपनी यह राय अभिलिखित नहीं कर देता है कि उन्हें बिना उचित कारण के इस प्रकार समन किया गया था ;

(ग) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार एक नियोजक है वहां ऐसे स्थापन, जिससे विवाद संबंधित है, के संबंध में उसके वारिसों, उत्तराधिकारियों या समनुदेशितियों पर आबद्धकर होगा ;

(घ) जहां खंड (क) या खंड (ख) में निर्दिष्ट कोई पक्षकार जो ऐसे कर्मकारों से मिलकर बना है, ऐसे सभी व्यक्तियों जो, यथास्थिति, ऐसे स्थापन या स्थापन के भाग में नियोजित किए गए थे, जिनसे विवाद की तारीख को विवाद संबंधित है और ऐसे सभी व्यक्तियों, जो तत्पश्चात् उस स्थापन या उसके भाग में नियोजित हुए हैं, आबद्धकर होगा ।

समझौतों और पंचाटों के प्रवर्तन की अवधि ।

58. (1) कोई समझौता ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा जो विवाद के पक्षकारों द्वारा करार किया जाता है और यदि किसी तारीख पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसको समझौता ज्ञापन विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है ।

(2) ऐसा समझौता ऐसी अवधि के लिए आबद्धकर होगा जो पक्षकारों द्वारा करार किया जाता है और यदि किसी ऐसी अवधि पर सहमति नहीं बनती है तो उस तारीख से जिसको विवाद के पक्षकारों द्वारा समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है, छह मास की अवधि के लिए, और उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् पक्षकारों पर उस तारीख से जिसको अन्य पक्षकार के पक्षकारों या समझौता के पक्षकारों में से किसी एक पक्षकार

द्वारा समझौता समाप्त करने के आशय की लिखित में सूचना दी जाती है, साठ दिनों की समाप्ति तक आबद्धकर बना रहेगा ।

(3) कोई पंचाट, इस धारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उस तारीख से, जिसको पंचाट धारा 55 के अधीन प्रवर्तनीय हो जाता है, एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवर्तन में रहेगा :

परन्तु समुचित सरकार उक्त अवधि को कम कर सकेगी और ऐसी अवधि को नियत कर सकेगी, जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह और कि समुचित सरकार, उक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व, प्रवर्तन की अवधि को एक बार में एक वर्ष से अनधिक की किसी अवधि तक बढ़ा सकेगी, जो इस प्रकार वह ठीक समझे, तथापि किसी अधिनिर्णय के प्रवर्तन की कुल अवधि उस तारीख से जिसको वह प्रवर्तन में आता है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(4) जहां समुचित सरकार, चाहे स्वप्रेरणा से या पंचाट द्वारा आबद्धकर किसी पक्षकार के आवेदन पर यह विचार करती है कि, जब से अधिनिर्णय किया गया था, तब से परिस्थितियों में ऐसे तात्विक परिवर्तन हुए हैं जिन पर यह आधारित था, वहां समुचित सरकार, पंचाट या उसके किसी भाग को अधिकरण को विनिर्दिष्ट कर सकेगी यदि अधिनिर्णय अधिकरण द्वारा विनिश्चय के लिए किया जाता है, चाहे प्रवर्तन की अवधि ऐसे परिवर्तन के कारण कम नहीं की जानी चाहिए और ऐसे निर्देश पर अधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(5) उपधारा (3) की कोई बात ऐसे किसी पंचाट को लागू नहीं होगी जो अपनी प्रकृति, निबंधनों और अन्य परिस्थितियों के अनुसार पंचाट द्वारा आबद्धकर पक्षकारों पर कोई सतत् बाध्यता प्रभावी किए जाने के पश्चात् अधिरोपित नहीं करती है।

(6) उपधारा (3) के अधीन प्रवर्तन की अवधि की समाप्ति पर भी, अधिनिर्णय पक्षकारों पर तब तक आबद्धकर बना रहेगा जब तक साठ दिन की अवधि उस तारीख से व्यपगत न हो गई हो जिसको सूचना अधिनिर्णय से आबद्धकर किसी पक्षकार द्वारा दूसरे पक्षकार या पक्षकारों को अधिनिर्णय समाप्त करने के अपने आशय की सूचना दी गई है ।

(7) उपधारा (2) या उपधारा (6) के अधीन दी गई कोई सूचना का प्रभाव तब तक नहीं होगा जब तक कि, यथास्थिति, वह समझौता या अधिनिर्णय द्वारा आबद्धकर व्यक्तियों के बहुमत का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी पक्षकार द्वारा नहीं दे दी जाती है।

नियोजक से शोध्य धन की वसूली ।

59. (1) जहां किसी कर्मकार को नियोजक से किसी समझौते या पंचाट के अधीन अथवा अध्याय 9 या अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई धन शोध्य है, तो स्वयं कर्मकार या उसके द्वारा इस निमित्त लिखित रूप से प्राधिकृत कोई अन्य व्यक्ति अथवा कर्मकार की मृत्यु की दशा में उसका समनुदेशिती या उत्तराधिकारी, वसूली की किसी अन्य रीति पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके शोध्य धन की वसूली के लिए समुचित सरकार को आवेदन कर सकेगा और यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि कोई धन इस प्रकार शोध्य है, तो वह कलक्टर को उस रकम के लिए प्रमाणपत्र जारी करेगी, जो भू-राजस्व के बकाए के रूप में उसी रीति से उसकी वसूली के लिए अग्रसर होगा :

परन्तु ऐसा प्रत्येक आवेदन, उस तारीख से जिसको ऐसा धन नियोजक से कर्मकार को शोध्य हो जाता है, एक वर्ष के भीतर किया जाएगा :

परन्तु यह और कि ऐसा कोई आवेदन, उक्त एक वर्ष की अवधि के अवसान के पश्चात् ग्रहण किया जा सकेगा, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आवेदक के पास उक्त अवधि के भीतर आवेदन नहीं किए जाने का पर्याप्त कारण था ।

(2) जहां कोई कर्मकार, नियोजक से कोई धन या कोई फायदा, जो धन के निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य है, प्राप्त करने का हकदार है और यदि कोई प्रश्न शोध्य धन की रकम के बारे में या ऐसी रकम जिस पर ऐसा फायदा संगणित किया जाना चाहिए, के बारे में उठता है तब वह प्रश्न, इस संहिता के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे अधिकरण द्वारा, जो इस निमित्त समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, तीन मास से अनधिक अवधि के भीतर किया जा सकेगा:

परन्तु जहां अधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, तो वह कारणों को अभिलिखित करते हुए ऐसी अतिरिक्त अवधि द्वारा ऐसी अवधि तक, जैसा कि वह उचित समझे, बढ़ा सकेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी फायदे का धन मूल्य संगणित करने के प्रयोजन के लिए, अधिकरण यदि ऐसा करना उचित समझता है, तो कमिश्नर की नियुक्ति कर सकेगा, जो ऐसा साक्ष्य, जो आवश्यक हो, लेने के पश्चात् अधिकरण को रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और अधिकरण कमिशनर की रिपोर्ट या मामले की अन्य परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् रकम को अवधारित करेगा ।

(4) अधिकरण का विनिश्चय इसके द्वारा समुचित सरकार को भेजा जाएगा और अधिकरण द्वारा शोध्य पाई गई कोई रकम उपधारा (1) में उपबंधित रीति से वसूल की जा सकेगी ।

(5) जहां, एक ही नियोजक के अधीन नियोजित कर्मकार उससे कोई धन या धन के निबंधनों में संगणित किए जाने योग्य कोई फायदा प्राप्त करने के हकदार हैं तब ऐसे नियमों के अध्यधीन रहते हुए, जो इस निमित्त बनाए जाए, ऐसे कर्मकारों की किन्हीं संख्या की ओर से या के संबंध में, शोध्य रकम की वसूली के लिए एकल आवेदन कर सकेंगे ।

कार्यवाहियों का प्रारंभ और समाप्ति ।

60. (1) कोई सुलह कार्यवाही, उस तारीख को, जिसको सुलह अधिकारी द्वारा हड़ताल या तालाबंदी की सूचना की प्राप्ति के पश्चात्, किसी औद्योगिक विवाद में सुलह अधिकारी द्वारा पहली बैठक आयोजित की जाती है, प्रारंभ हुई समझी जाएगी ।

(2) सुलह कार्यवाही समाप्त हुई समझी जाएगी—

(क) जहां कोई समझौता किया जाता है, जब विवाद के पक्षकारों द्वारा कोई समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जाता है ;

(ख) जहां कोई समझौता नहीं किया जाता है और सुलह अधिकारी द्वारा सुलह का विफल हो जाना अभिलिखित किया जाता है ; या

(ग) जब सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को इस संहिता के अधीन कोई निर्देश किया जाता है ।

(3) इस संहिता के अधीन किसी मध्यस्थ या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियां, यथास्थिति, आवेदन करने या अपील फाइल करने की तारीख को अथवा माध्यस्थम् या न्यायनिर्णयन के लिए विवाद का निर्देश करने की तारीख को प्रारंभ हुई समझी जाएगी और ऐसी कार्यवाहियां उस तारीख को समाप्त हुई समझी जाएंगी जिसको ऐसा अधिनिर्णय प्रवर्तनीय हो जाता है ।

कतिपय मामलों का गोपनीय रखा जाना ।

61. व्यवसाय संघ के बारे में या किसी व्यष्टि कारबार के बारे में (चाहे उसे किसी व्यक्ति, फर्म या कंपनी द्वारा चलाया जाता हो) किसी अन्वेषण या जांच के अनुक्रम में सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण द्वारा अभिप्राप्त किसी ऐसी जानकारी को, जो ऐसे सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष दिए गए साक्ष्य के माध्यम से अन्यथा उपलब्ध नहीं है, इस संहिता के अधीन की किसी रिपोर्ट या अधिनिर्णय में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, यदि प्रश्नगत व्यवसाय संघ, व्यक्ति, फर्म या कंपनी ने, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण से लिखित में यह अनुरोध किया हो कि ऐसी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी और न ही ऐसा सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का पीठासीन अधिकारी या कार्यवाहियों में उपस्थित या उनसे संबद्ध कोई व्यक्ति ऐसी किसी जानकारी को, यथास्थिति, उस व्यवसाय संघ के सचिव की या प्रश्नगत व्यक्ति, फर्म या कंपनी की लिखित सम्मति के बिना प्रकट करेगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात, भारतीय दंड संहिता की धारा 193 के अधीन अभियोजन के प्रयोजनों के लिए ऐसी किसी जानकारी के प्रकटन को लागू नहीं होगी । 1860 का 45

अध्याय 8

हड़ताल और तालाबंदी

हड़ताल और तालाबंदी का प्रतिषेध ।

62. (1) किसी औद्योगिक स्थापन में नियोजित कोई भी व्यक्ति—

(क) इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित हड़ताल करने से पूर्व साठ दिन के भीतर, हड़ताल की सूचना नियोजक को दिए बिना ; या

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर ; या

(ग) किसी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट हड़ताल की तारीख के अवसान से पूर्व ; या

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; या

(ङ) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान ; या

(च) किसी मध्यस्थ के समक्ष की किन्ही माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान, जहां कोई अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि के दौरान, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अन्तर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में कोई समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

संविदा को भंग करते हुए हड़ताल नहीं करेगा ।

(2) किसी औद्योगिक स्थापन का कोई भी नियोजक—

(क) इसमें इसके पश्चात् यथाउपबंधित तालाबंदी करने से पूर्व साठ दिन के भीतर, तालाबंदी की सूचना कर्मकारों को दिए बिना ; या

(ख) ऐसी सूचना देने के चौदह दिन के भीतर ; या

(ग) यथा पूर्वोक्त किसी ऐसी सूचना में विनिर्दिष्ट तालाबंदी की तारीख के अवसान से पूर्व ; या

(घ) सुलह अधिकारी के समक्ष की किन्हीं सुलह कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् सात दिन के दौरान ; या

(ङ) किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों के लंबित रहने के और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान ; या

(च) किसी मध्यस्थ के समक्ष माध्यस्थम् कार्यवाहियों के लंबित रहने और ऐसी कार्यवाहियों की समाप्ति के पश्चात् साठ दिन के दौरान, जहां कोई अधिसूचना धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जारी की गई है ; या

(छ) ऐसी किसी अवधि के दौरान, जिसमें समझौता या अधिनिर्णय के अंतर्गत आने वाले विषयों में से किसी विषय के संबंध में कोई समझौता या अधिनिर्णय प्रवर्तन में है,

अपने किन्ही भी कर्मकारों के प्रति तालाबंदी नहीं करेगा ।

(3) इस धारा के अधीन हड़ताल या तालाबंदी की सूचना वहां आवश्यक नहीं होगी जहां, यथास्थिति, कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले से ही विद्यमान है, किन्तु नियोजक ऐसी तालाबंदी या हड़ताल की सूचना उस दिन, जिसको वह घोषित की जाती है, ऐसे प्राधिकारी को भेजेगा जिसे समुचित सरकार द्वारा या तो साधारणतया या किसी विशिष्ट क्षेत्र के लिए या सेवाओं के किसी विशिष्ट वर्ग के लिए विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(4) उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की सूचना उतने व्यक्तियों द्वारा, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को और ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(5) उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी की सूचना ऐसी रीति में दी जाएगी, जो विहित की जाए ।

(6) यदि किसी दिन किसी नियोजक को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से कोई ऐसी सूचनाएं, जो उपधारा (1) में यथानिर्दिष्ट हैं, प्राप्त करता है या उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को ऐसी कोई सूचना, जो उपधारा (2) में निर्दिष्ट हैं, देता है तो वह उसके पांच दिन के भीतर समुचित सरकार को या ऐसे प्राधिकारी को, जिसे वह सरकार विहित करे और सुलह अधिकारी को, उस दिन प्राप्त की गई या दी गई ऐसी सूचनाओं की संख्या की रिपोर्ट करेगा ।

अवैध हड़ताल और तालाबंदी ।

63. (1) कोई हड़ताल या तालाबंदी अवैध होगी, यदि वह—

(i) धारा 62 के उल्लंघन में प्रारंभ या घोषित की जाती है ; या

Indiacode

(ii) धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन किए गए आदेश के उल्लंघन में चालू रखी जाती है ।

(2) जहां किसी औद्योगिक विवाद के अनुसरण में कोई हड़ताल या तालाबंदी पहले ही प्रारंभ हो चुकी है और अधिकरण में ऐसे औद्योगिक विवाद से संबंधित आवेदन के फाइल किए जाने के या किसी मध्यस्थ या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को ऐसे औद्योगिक विवाद के निर्देश के समय विद्यमान है, वहां ऐसी हड़ताल या तालाबंदी का चालू रखा जाना अवैध नहीं समझा जाएगा, परन्तु यह तब जबकि ऐसी हड़ताल या तालाबंदी अपने प्रारंभ के समय इस संहिता के उपबंधों के उल्लघंन में न रही हो या उसका चालू रखा जाना धारा 42 की उपधारा (7) के अधीन प्रतिषिद्ध न किया गया हो ।

(3) किसी अवैध हड़ताल के परिणामस्वरूप घोषित तालाबंदी या किसी अवैध तालाबंदी के परिणामस्वरूप घोषित हड़ताल अवैध नहीं समझी जाएगी ।

अवैध हड़ताल और तालाबंदी के लिए वित्तीय सहायता का प्रतिषेध ।

64. कोई भी व्यक्ति किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने या उसका समर्थन करने में किसी धन का व्यय या उपयोजन जानते हुए नहीं करेगा ।

IndiaCode

अध्याय 9

कामबंदी, छंटनी और बंदी

धारा 67 से धारा 69 तक का लागू होना ।

65. (1) धारा 67 से धारा 69 तक (दोनों सहित) उन औद्योगिक स्थापनों को, जिन्हें अध्याय 10 लागू होता है, या—

(क) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जिनमें पूर्ववर्ती कैलेंडर मास में प्रति कार्य दिन को औसत पचास से कम कर्मकार नियोजित रहे हैं ; या

(ख) ऐसे औद्योगिक स्थापनों को, जो किसी समय विशेष के हैं या जिनमें काम आंतरायिक रूप से होता है,

को लागू नहीं होगी ।

(2) यदि यह प्रश्न उद्भूत होता है कि क्या कोई औद्योगिक स्थापन किसी समय विशेष का है या क्या उसमें काम केवल आंतरायिक रूप से होता है, तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा में और धारा 67, धारा 68 और धारा 69 में औद्योगिक स्थापन से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कोई कारखाना ; या 1948 का 63

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान ; या 1952 कर 35

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई बागान । 1951 का 69

निरंतर सेवा की परिभाषा ।

66. इस अध्याय में, किसी कर्मकार के संबंध में निरंतर सेवा से ऐसे कर्मकार की अविच्छिन्न सेवा अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत वह सेवा आती है जो रुग्णता या प्राधिकृत छुट्टी या दुर्घटना या ऐसी हड़ताल के कारण विच्छिन्न हो, जो अवैध न हो या तालाबन्दी

या काम के ऐसे बन्द हो जाने के कारण, जो कर्मकार के द्वारा किसी त्रुटि के कारण न हो ।

स्पष्टीकरण 1—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां कोई कर्मकार एक वर्ष या छह मास की किसी अवधि के लिए निरंतर सेवा में नहीं है वहां—

(क) यदि कर्मकार ने, उस तारीख से पूर्व, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, बारह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित है, एक सौ नब्बे दिन से ; और

(ii) किसी अन्य दशा में, दो सौ चालीस दिन से,

अन्यून, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह एक वर्ष की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ;

(ख) यदि कर्मकार ने, उस तारीख से पूर्व, जिसके प्रति निर्देश से गणना की जानी है, छह मास की कालावधि के दौरान—

(i) ऐसे कर्मकार की दशा में, जो किसी खान में भूमि के नीचे नियोजित है, पचानवें दिन से; और

(ii) किसी अन्य दशा में, एक सौ बीस दिन से,

अन्यून, किसी नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है तो यह समझा जाएगा कि वह छह मास की कालावधि के लिए, उस नियोजक के अधीन निरंतर सेवा में रह चुका है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, ऐसे दिनों की संख्या, जिनको कर्मकार ने नियोजक के अधीन वास्तव में काम किया है, में वे दिन भी सम्मिलित होंगे, जिनको—

(i) किसी करार के अधीन या इस संहिता या तत्समय प्रवृत्त औद्योगिक स्थापन को लागू किसी अन्य विधि के द्वारा यथा अनुज्ञात या उसके अधीन उसकी कामबंदी की गई हैं; या

(ii) वह पूर्ववर्षों में उपार्जित पूर्ण मजदूरी छुट्टी पर रहा है; या

(iii) वह अपने नियोजन से उद्भूत और उसके अनुक्रम में, दुर्घटना द्वारा कारित अस्थायी निःशक्तता के कारण अनुपस्थित रहा है; या

(iv) किसी महिला की दशा में, वह प्रसूति छुट्टी पर रही है, किन्तु ऐसी प्रसूति छुट्टी की कुल अवधि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में यथाविनिर्दिष्ट अवधि से अधिक न हो ।

1961 का 53

जिन कर्मकारों की कामबंदी की गई है उनका प्रतिकर, आदि के लिए अधिकार ।

67. जब कभी किसी ऐसे कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) की, जिसका नाम किसी औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है और जिसने किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है, उसकी निरन्तर या आन्तरायिक रूप से कामबंदी की जाती है, तब नियोजक ऐसे साप्ताहिक अवकाशों के सिवाय, जो बीच में पड़ जाएं, उन सभी दिनों के लिए, जिनके दौरान उसकी

IndiaCode

इस प्रकार कामबंदी की जाती है, ऐसा प्रतिकर देगा जो उसकी उस आधारिक मजदूरी और महंगाई भत्ते के योग के, जो उसकी इस प्रकार कामबंदी न किए जाने पर संदेय होता, पचास प्रतिशत के बराबर होगा :

परन्तु यदि बारह मास की किसी कालावधि के दौरान, किसी कर्मकार की पैंतालीस दिन से अधिक की इस प्रकार कामबंदी की जाती है तो उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् की किसी भी कालावधि की बाबत ऐसा कोई प्रतिकर उस दशा में संदेय नहीं होगा यदि कर्मकार और नियोजक के बीच उस आशय का कोई करार हो :

परन्तु यह और कि पूर्वगामी परन्तुक के अंतर्गत आने वाले किसी मामले में नियोजक के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि धारा 70 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार वह उस कर्मकार की छंटनी उस कामबंदी के प्रथम पैंतालीस दिन के अवसान के पश्चात् किसी भी समय कर दे और जब ऐसा वह करता है तब पूर्ववर्ती बारह मास के दौरान कामबंदी की जाने के लिए कर्मकार को दिया गया कोई भी प्रतिकर उस प्रतिकर में से मुजरा किया जा सकेगा, जो छंटनी के लिए संदेय हो ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए "बदली कर्मकार" से वह कर्मकार अभिप्रेत है, जो किसी औद्योगिक स्थापन में किसी अन्य कर्मकार के स्थान पर नियुक्त है, जिसका नाम स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, किन्तु यदि उसने स्थापन में एक वर्ष की निरन्तर सेवा पूरी कर ली है तो उसे ऐसा नहीं माना जाएगा ।

कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

68. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों की कामबंदी की गई है, प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक मस्टर रोल रखे और ऐसे कर्मकारों द्वारा उसमें प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

कुछ दशाओं में कर्मकारों का प्रतिकर के लिए हकदार न होना ।

69. ऐसे कर्मकार को, जिसकी कामबंदी की गई है, उस दशा में कोई भी प्रतिकर नहीं दिया जाएगा,—

(i) यदि वह उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक के किसी दूसरे स्थापन में, जो उसी नगर या गांव में या जिस स्थापन का वह है, उससे आठ किलोमीटर की परिधि के अन्दर स्थित है, कोई अनुकल्पी नियोजन स्वीकार करने से इंकार करता है, यदि नियोजक की राय में, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के लिए किसी विशेष कौशल या पूर्व अनुभव की अपेक्षा न हो और वह उस कर्मकार द्वारा किया जा सकता हो, परन्तु जो मजदूरी प्रसामान्यतया कर्मकार को दी जाती है, प्रस्थापना उस अनुकल्पी नियोजन के लिए भी की गई हो ;

(ii) यदि वह नियत समय पर स्थापन में काम के लिए प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान दिन में कम से कम एक बार स्वयं उपस्थित नहीं होता है ;

(iii) यदि ऐसी कामबंदी उस स्थापन के किसी दूसरे भाग में कर्मकारों द्वारा हड़ताल किए जाने या उत्पादन-गति मन्द किए जाने के कारण की गई हो ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें ।

70. किसी उद्योग में नियोजित किसी भी कर्मकार की, जो नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा तब के सिवाय छंटनी नहीं की जाएगी, जबकि—

(क) कर्मकार को एक मास की ऐसी लिखित सूचना दे दी गई हो जिसमें छंटनी के कारण उपदर्शित किए गए हों और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की कालावधि के लिए मजदूरी का संदाय किया गया हो ;

(ख) कर्मकार को छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर का संदाय किया गया हो, जो निरन्तर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए पंद्रह दिन के औसत वेतन के समतुल्य या ऐसे दिनों का औसत वेतन होगा, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए ; और

(ग) ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना की तामील समुचित सरकार पर या ऐसे प्राधिकारी पर, जो अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, कर दी गई हो ।

छंटनी के लिए प्रक्रिया ।

71. जहां, किसी औद्योगिक स्थापन में किसी ऐसे कर्मकार की, जो भारत का नागरिक है, छंटनी की जानी हो और वह उस स्थापन के कर्मकारों के किसी विशिष्ट प्रवर्ग का हो, वहां नियोजक ऐसे कारणों से, जब तक कारण अभिलिखित न किए जाएं, किसी अन्य कर्मकार की छंटनी करता है, तब नियोजक और कर्मकार के बीच इस निमित्त हुए किसी करार के अभाव में, नियोजक, साधारणतया उस कर्मकार की छंटनी करेगा, जो उस प्रवर्ग में नियोजित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति हो ।

छंटनी किए गए कर्मकार का पुन:नियोजन ।

72. जहां, किसी कर्मकार की छंटनी की जाती है और नियोजक, ऐसी छंटनी से एक वर्ष के भीतर किसी व्यक्ति को अपने नियोजन में रखने की प्रस्थापना करता है, वहां वह उन छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, ऐसी रीति से, जो विहित किया जाए, यह अवसर देगा कि पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापित करें और छंटनी किए गए उन कर्मकारों को, जो पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्थापित करते हैं, अन्य व्यक्तियों पर अधिमान मिलेगा ।

स्थापन के अंतरण की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

73. जहां किसी स्थापन के स्वामित्व या प्रबंध, चाहे करार द्वारा या विधि के प्रवर्तन द्वारा उस स्थापन के सम्बन्ध में नियोजक से किसी नए नियोजक को अंतरित किया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार, जो ऐसे अंतरण से ठीक पहले उस स्थापन में कम से कम एक वर्ष के लिए निरन्तर सेवा में रह चुका है, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार सूचना और प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु इस धारा की कोई भी बात, उस दशा में किसी कर्मकार को लागू नहीं होगी, जहां अंतरण के कारण नियोजकों में कोई परिवर्तन हुआ हो, यदि—

(क) ऐसे अंतरण द्वारा कर्मकार की सेवा में व्यवधान पैदा न हुआ हो ;

(ख) ऐसे अन्तरण के पश्चात्, कर्मकार को लागू सेवा की निबन्धन और शर्तें कर्मकार के लिए किसी भी प्रकार उन निबन्धनों और शर्तों से कम अनुकूल न हों जो अन्तरण से ठीक पहले उसे लागू थीं ; और

(ग) नया नियोजक, ऐसे अंतरण के निबंधनों के अधीन या अन्यथा, कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर रही है और अंतरण द्वारा उसमें व्यवधान पैदा नहीं हुआ है, प्रतिकर देने के लिए वैध रूप से दायी है ।

किसी उपक्रम को बंद करने के आशय की साठ दिन की सूचना का दिया जाना ।

74. (1) कोई नियोजक, जो किसी उपक्रम को, बंद करने का आशय रखता है, उस तारीख के, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम साठ दिन पूर्व, समुचित सरकार को उपक्रम के आशयित बंदी के कारणों का स्पष्ट रूप से कथन करते हुए, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, सूचना देगा :

परन्तु इस धारा की कोई बात—

(i) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जिसमें पचास से कम कर्मकार नियोजित हैं या पूर्ववर्ती बारह मास में किसी भी दिन नियोजित किए गए थे ;

(ii) ऐसे औद्योगिक स्थापन को लागू नहीं होगी, जो भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्य या परियोजना के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि किन्हीं ऐसी असाधारण परिस्थितियों के कारण, जैसे कि उपक्रम में कोई दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या किसी असाधारण परिस्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदाएं या ऐसे ही किसी अन्य कारण से, ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा निदेश दे सकेगी कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में, ऐसी अवधि के लिए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

उपक्रमों को बंद किए जाने की दशा में कर्मकारों को प्रतिकर ।

75. (1) जहां कि कोई स्थापन किसी भी कारण से, चाहे जो भी हो, बंद कर दिया जाता है, वहां प्रत्येक कर्मकार, जो ऐसी बंदी से ठीक पहले उस उपक्रम में कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, सूचना और प्रतिकर का वैसे ही हकदार होगा, मानो उस कर्मकार की छंटनी की गई हो :

परन्तु जहां उपक्रम, नियोजक के नियंत्रण के परे की अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है, वहां धारा 70 के खंड (ख) के अधीन कर्मकार को संदेय प्रतिकर तीन मास के उसके औसत वेतन से अधिक नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण—किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के बारे में, जो केवल—

(i) वितीय कठिनाइयों के कारण (जिनके अंतर्गत वितीय हानियां भी हैं) ; या

(ii) अव्ययनित स्टाक के संचयन के कारण ; या

(iii) उसे अनुदत्त पट्टे या अनुज्ञप्ति की अवधि के अवसान के कारण ; या

(iv) उस दशा में, जहां उपक्रम खनन संक्रियाओं में लगा हो, उस क्षेत्र में खनिजों के नि:शेषण के कारण, जिसमें ऐसी संक्रिया की गई हो,

बंद किया गया है, वहां यह नहीं समझा जाएगा कि वह इस उपधारा के परन्तुक के अर्थ के अन्तर्गत नियोजक के नियंत्रण से परे की अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण बंद किया गया है ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां खनन संक्रियाओं में लगा हुआ कोई उपक्रम उस क्षेत्र में, जिसमें ऐसी संक्रियाएं की जा रही हों, केवल खनिजों के

नि:शेषण के कारण बंद किया गया है, वहां उस उपधारा में निर्दिष्ट कोई कर्मकार, धारा 70 के उपबंधों के अनुसार, किसी सूचना या प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, यदि—

(क) बंद होने की तारीख से नियोजक, कर्मकार को ऐसे स्थान पर, जो खनन संक्रिया में लगे ऐसे उपक्रम, जिसे बंद कर दिया गया है, से बीस किलोमीटर के अर्धव्यास के भीतर अवस्थित है, उसी पारिश्रमिक पर, जिसे वह प्राप्त करने का हकदार था तथा सेवा के उन्हीं निबंधनों और शर्तों पर, जो बंद होने के ठीक पूर्व उसे लागू थीं, अनुकल्पी नियोजन की व्यवस्था करता है ;

(ख) ऐसे अनुकल्पी नियोजन से कर्मकार की सेवा में व्यवधान पैदा न हुआ हो ; और

(ग) नियोजक कर्मकार को, उसकी छंटनी की दशा में, इस आधार पर कि उसकी सेवा निरन्तर चलती रही है और ऐसे अनुकल्पी नियोजन द्वारा विच्छिन्न नहीं हुई है, ऐसे अनुकल्पी नियोजन के निबंधनों के अधीन या अन्यथा प्रतिकर के संदाय के लिए वैध रूप से दायी हो ।

(3) उपधारा (1) और उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए, "खनिज" और "खनन संक्रिया" पदों के वे ही अर्थ होंगे जो खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 के खंड (क) और खंड (घ) में क्रमश: उनके हैं ।

1957 का 67

(4) जहां भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों या बांधों के निर्माण के लिए या अन्य निर्माण कार्यों के लिए स्थापित कोई उपक्रम काम के पूरे होने के कारण उस तारीख से, जिसको वह उपक्रम स्थापित किया गया था, दो वर्ष के भीतर बंद कर दिया जाता है, वहां उसमें नियोजित कोई भी कर्मकार, धारा 70 के खंड (ख) के अधीन किसी प्रतिकर का हकदार नहीं होगा, किन्तु यदि वह निर्माण कार्य इस प्रकार दो वर्ष के भीतर पूरा नहीं होता है, तो वह कर्मकार निरन्तर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष के लिए या छह मास से अधिक के उसके किसी भाग के लिए उस धारा के अधीन सूचना और प्रतिकर का हकदार होगा ।

इस अध्याय से असंगत विधियों का प्रभाव ।

76. (1) इस अध्याय के उपबंध किसी अन्य विधि में, जिसके अंतर्गत अध्याय 4 के अधीन किए गए स्थायी आदेश भी हैं, इससे असंगत कोई बात होते हुए भी, प्रभावी होंगे :

परन्तु जहां किसी अन्य अधिनियम या उसके अधीन जारी किए गए नियमों, आदेशों या अधिसूचनाओं के उपबंधों के अधीन या किन्हीं स्थायी आदेशों या किसी अधिनिर्णय या संविदा या सेवा के अधीन या अन्यथा, कोई कर्मकार किसी ऐसे विषय के संबंध में ऐसे फायदों का हकदार है, जो उसके लिए उन फायदों से, जिनका वह इस संहिता के अधीन हकदार होगा, अधिक अनुकूल है वहां, कर्मकार, इस बात के होते हुए भी कि वह इस अध्याय के अधीन अन्य विषयों के संबंध में फायदा प्राप्त करता है, उस विषय के संबंध में अधिक अनुकूल फायदों का हकदार बना रहेगा ।

(2) शंकाओं का निराकरण करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि इस अध्याय की किसी भी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी राज्य में किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों पर, वहां तक जहां तक कि वह विधि औद्योगिक विवादों के समझौते का उपबंध करती है, प्रभाव डालती है, किन्तु नियोजकों और कर्मकारों के अधिकार और दायित्व, वहां तक जहां तक कि उनका संबंध कामबंदी और छंटनी से है, इस अध्याय के उपबंधों के अनुसार अवधारित किए जाएंगे ।

अध्याय 10

कतिपय स्थापनों में कामबंदी, छंटनी और उनके बंद किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध

इस अध्याय का लागू होना ।

77. (1) इस अध्याय के उपबंध, ऐसे औद्योगिक स्थापन को, (जो समय विशेष का नहीं है या ऐसा स्थापन नहीं है, जिसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है) लागू होंगे, जिसमें पूर्ववर्ती बारह मास में औसत प्रति कार्य दिवस में कम से कम तीन सौ कर्मकार या ऐसी उच्चतर संख्या में कर्मकार, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, नियोजित थे ।

(2) यदि यह प्रश्न उठता है कि क्या कोई औद्योगिक स्थापन किसी समय विशेष का है या क्या उसमें काम केवल आन्तरायिक रूप से होता है तो उस पर समुचित सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा ।

(3) इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए, "औद्योगिक स्थापन" से अभिप्रेत है—

(i) कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 के खंड (ड) में यथापरिभाषित कोई कारखाना ; 1948 का 63

(ii) खान अधिनियम, 1952 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ञ) में यथापरिभाषित कोई खान ; या 1952 का 35

(iii) बागान श्रम अधिनियम, 1951 की धारा 2 के खंड (च) में यथापरिभाषित कोई बागान । 1951 का 69

कामबंदी का प्रतिषेध ।

78. (1) कोई कर्मकार (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न), जिसका नाम ऐसे औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल में दर्ज है, जिसको यह अध्याय लागू होता है, समुचित सरकार पूर्व अनुज्ञा के बिना उसके नियोजक द्वारा कामबंदी, जो इस निमित्त किए गए आवेदन पर प्राप्त की गई हो, तभी की जाएगी, जब कि ऐसी कामबंदी विद्युत की कमी, प्राकृतिक आपदा और किसी खान की दशा में, ऐसी कामबंदी अग्नि, बाढ़, ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण की गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नियोजक द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा ऐसी विहित रीति से आशयित कामबंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर भी साथ-साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, जो खान हैं, कर्मकारों की (बदली कर्मकार या आकस्मिक कर्मकार से भिन्न) उपधारा (1) के अधीन अग्नि, बाढ़, या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोटक के कारण कामबंदी कर दी गई है, वहां नियोजक, ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कामबंदी के प्रारंभ की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, समुचित सरकार को कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा ।

(4) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक, संबंधित कर्मकार तथा ऐसी कामबंदी में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का

IndiaCode

युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, ऐसी कामबंदी के कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता को, कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और उन कारणों से, जो लेखबद्ध किए जाएंगे, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(5) जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार, ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां, वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन तदनुसार, समुचित सरकार द्वारा निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(6) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला आदेश, उपधारा (7) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और संबंधित सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

(7) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक अथवा किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा:

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(8) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी कामबंदी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी कामबंदी को, उस तारीख से, जिसको कर्मकारों की कामबंदी की गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के ऐसे हकदार होंगे मानो उनकी कामबंदी नहीं की गई थी ।

(9) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी समुचित सरकार, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या वैसी ही अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि, यथास्थिति, उपधारा (1) या उपधारा (3) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(10) धारा 67 के उपबंध (उसके द्वितीय परन्तुक से भिन्न) इस धारा में निर्दिष्ट कामबंदी के मामलों में लागू होंगे ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए, किसी नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की कामबंदी उस दशा में की गई नहीं समझी जाएगी, जिसमें ऐसा नियोजक उस कर्मकार को कोई अनुकल्पी नियोजन (जिसके लिए नियोजक की राय में कोई विशेष कौशल या

पूर्व अनुभव की मांग नहीं है और जो कर्मकार द्वारा किया जा सकता है) की प्रस्थापना करता है, जो उसी स्थापन में, जिसमें उसकी कामबंदी की गई है या उसी नियोजक के किसी ऐसे अन्य स्थापन में, जो उसी नगर या ग्राम में स्थित है या जो उस स्थापन से, जिसमें वह कर्मकार है, इतनी दूरी के भीतर स्थित है कि उस कर्मकार के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उसके स्थानांतरण से उसे असम्यक् कष्ट नहीं होगा, यह कि तब जब कि कर्मकार को सामान्यत: जितनी मजदूरी संदत्त की जाती है, उतनी ही मजदूरी उसे अनुकल्पी नियुक्ति के लिए भी दी जाए ।

कर्मकारों की छंटनी के लिए पुरोभाव्य शर्तें, जिनको अध्याय 10 लागू होता है ।

79. (1) किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन में, नियोजित किसी कर्मकार को, जिसे यह अध्याय लागू होता है, जो किसी नियोजक के अधीन कम से कम एक वर्ष की निरन्तर सेवा में रह चुका है, उस नियोजक द्वारा छंटनी तभी की जाएगी, जब कि,—

(क) कर्मकार को छंटनी के कारणों को उपदर्शित करते हुए लिखित में तीन मास की ऐसी सूचना दे दी गई है और सूचना की कालावधि का अवसान हो गया हो या ऐसी सूचना के बदले में कर्मकार को सूचना की अवधि के लिए मजदूरी का संदाय कर दिया गया हो ; और

(ख) इस निमित्त किए गए आवेदन पर समुचित सरकार की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त कर ली गई हो ।

(2) उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन नियोजक द्वारा इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा विहित रीति से आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारण बताते हुए किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति, ऐसी रीति से, जो विहित की जाए, संबंधित कर्मकारों पर साथ-साथ तामील की जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, संबंधित कर्मकार और ऐसी छंटनी में हितबद्ध व्यक्तियों को नियोजक द्वारा कथित कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता को कर्मकारों के हितों और सभी अन्य सुसंगत कारकों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और कारणों को लेखबद्ध करते हुए, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगा या देने से इंकार कर सकेगा तथा ऐसे आदेश की एक प्रति नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(4) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार, नियोजक को ऐसी तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर अनुज्ञा देने वाले या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले आदेश को संसूचित नहीं करता है, वहां वह अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन, समुचित सरकार द्वारा तदनुसार निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(5) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला कोई आदेश, उपधारा (6) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और सभी संबंधित पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष के लिए प्रवृत्त बना रहेगा ।

IndiaCode

(6) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञा देने या देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगा या इस विषय को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को, यथास्थिति, निर्दिष्ट कर सकेगा या करा सकेगा :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन कोई निर्देश किसी अधिकरण को किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर अधिनिर्णय करेगा ।

(7) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन नहीं किया गया है या जहां किसी छंटनी के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां ऐसी छंटनी को, ऐसी तारीख से, जिसको कर्मकारों को छंटनी की सूचना दी गई थी, अवैध समझा जाएगा और कर्मकार तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों का ऐसे हकदार होगा मानो उसे कोई सूचना नहीं दी गई थी ।

(8) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, समुचित सरकार, यदि उसका समाधान हो जाता है कि ऐसी असाधारण परिस्थितियों, जैसे स्थापन में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या उसी प्रकार की अन्य परिस्थितियों के कारण, ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगा कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे स्थापन के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(9) जहां उपधारा (3) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई है या जहां उपधारा (4) के अधीन छंटनी के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए किए गए आवेदन की तारीख से ठीक पूर्व उस स्थापन में नियोजित प्रत्येक कर्मकार, छंटनी के समय ऐसा प्रतिकर प्राप्त करने का हकदार होगा जो निरंतर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या उसके ऐसे किसी भाग के लिए, जो छह मास से अधिक हो, पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिनों के औसत वेतन, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के बराबर होगा ।

औद्योगिक स्थापन बंद किए जाने की प्रक्रिया ।

80. (1) कोई नियोजक, जो किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के, किसी उपक्रम को बंद करने का आशय रखता है, जिसे यह अध्याय लागू होता है, इलैक्ट्रानिक रूप से या अन्यथा उस रीति में, जो विहित की जाए, उपक्रम की आशयित बन्दी के कारणों का स्पष्टतया कथन करते हुए, समुचित सरकार को उस तारीख से, जिसको आशयित बंदी प्रभावी होनी है, कम से कम नब्बे दिन पहले, पूर्व अनुज्ञा के लिए आवेदन करेगा और साथ-साथ ऐसे आवेदन की एक प्रति ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी तामील की जाएगी :

परन्तु इस उपधारा की कोई बात, किसी ऐसे उपक्रम को लागू नहीं होगी जिसे भवनों, पुलों, सड़कों, नहरों, बांधों या अन्य सन्निर्माण कार्य के लिए स्थापित किया गया हो ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए कोई आवेदन किया गया है, वहां समुचित सरकार, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे और नियोजक, कर्मकार तथा ऐसे बंद किए जाने में हितबद्ध व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्,

नियोजक द्वारा कथित कारणों की वास्तविकता और पर्याप्तता, जनसाधारण के हितों और अन्य सभी सुसंगत बातों को ध्यान में रखते हुए, आदेश द्वारा और ऐसे कारणों सहित, जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी अनुज्ञा दे सकेगी या अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगी और ऐसे आदेश की एक प्रतिलिपि नियोजक और कर्मकारों को दी जाएगी ।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन कोई आवेदन किया गया है और समुचित सरकार उस तारीख से, जिसको ऐसा आवेदन किया गया है, साठ दिन की कालावधि के भीतर नियोजक को अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने की सूचना नहीं देती है, वहां ऐसी अनुज्ञा, जिसके लिए आवेदन किया गया है, उक्त साठ दिन की कालावधि के अवसान पर दी गई समझी जाएगी और आवेदन, समुचित सरकार द्वारा तदनुसार, निपटाया हुआ समझा जाएगा ।

(4) समुचित सरकार का अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाला कोई आदेश, उपधारा (5) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और वह सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा तथा ऐसे आदेश की तारीख से एक वर्ष तक प्रवृत बना रहेगा ।

(5) समुचित सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोजक या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर, उपधारा (2) के अधीन अनुज्ञा देने या अनुज्ञा देने से इंकार करने वाले अपने आदेश का, उस तारीख से जिसको ऐसा आदेश किया जाता है विहित समय के भीतर पुनर्विलोकन कर सकेगी या मामले को न्यायनिर्णयन के लिए किसी अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी :

परन्तु जहां इस उपधारा के अधीन अधिकरण को निर्देश किया गया है, वहां वह ऐसे निर्देश की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर, अधिनिर्णय पारित करेगा ।

(6) जहां उपधारा (1) के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन, उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर नहीं किया गया है या जहां उपक्रम बंद करने के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर दिया गया है, वहां उपक्रम बंद करने की तारीख से उसका बंद किया जाना अवैध समझा जाएगा और कर्मकार, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन सभी फायदों के हकदार होंगे मानो उपक्रम बंद ही नहीं किया गया था ।

(7) इस धारा के पूर्वगामी उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि समुचित सरकार का यह समाधान हो जाता है कि आसाधारण परिस्थितियों के कारण जैसे कि उपक्रम में दुर्घटना या नियोजक की मृत्यु या इसी प्रकार की परिस्थितियों के कारण ऐसा करना आवश्यक है, तो वह आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी की कि उपधारा (1) के उपबंध ऐसे उपक्रम के संबंध में ऐसी कालावधि के लिए, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाए, लागू नहीं होंगे ।

(8) जहां उपधारा (2) के अधीन किसी उपक्रम को बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी जाती है या जहां उपधारा (3) के अधीन बंद कर दिए जाने के लिए अनुज्ञा दी गई समझी जाती है, वहां इस धारा के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन की तारीख के ठीक पूर्व उस उपक्रम में नियोजित प्रत्येक कर्मकार प्रतिकर पाने का हकदार होगा, जो निरंतर सेवा के प्रत्येक संपूरित वर्ष या छह मास से अधिक उसके किसी भाग के लिए पन्द्रह दिन के औसत वेतन या ऐसे दिनों के औसत वेतन, जो समुचित सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं, के बराबर है ।

IndiaCode

कर्मकारों के मस्टर रोल रखने का नियोजक का कर्तव्य ।

81. इस बात के होते हुए भी कि किसी औद्योगिक स्थापन में कर्मकारों की कामबंदी की गई है, प्रत्येक नियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए एक मस्टर रोल रखे और उसमें ऐसे कर्मकारों द्वारा प्रविष्टियां किए जाने का उपबंध करे, जो नियत समय पर प्रसामान्य काम-घंटों के दौरान स्थापन में काम करने के लिए स्वयं उपस्थित हों ।

ऐसे औद्योगिक स्थापन को जिसे यह अध्याय लागू होता है, अध्याय 9 के कतिपय उपबंधों का लागू होना ।

82. अध्याय 9 की धारा 66, धारा 71, धारा 72, धारा 73 और धारा 76 के उपबंध, किसी ऐसे औद्योगिक स्थापन के संबंध में भी, जिसे इस अध्याय के उपबंध लागू होते हैं, यथाशक्य लागू होंगे ।

अध्याय 11

कर्मकार पुन:कौशल निधि

कर्मकार पुन:कौशल निधि ।

83. (1) समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा कर्मकार पुन:कौशल निधि (जिसे इस धारा में इसके पश्चात् "निधि" कहा गया है) नामक एक निधि को स्थापित करेगी ।

(2) यह निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी—

(क) किसी औद्योगिक स्थापन के नियोजक का ऐसा अभिदाय, जो छंटनी से ठीक पूर्व कर्मकार द्वारा आहरित अंतिम मजदूरी के पंद्रह दिन या केवल छंटनी के मामले में प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मकार के लिए ऐसे अन्य दिनों की संख्या जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की जाए, के बराबर कोई रकम ;

(ख) ऐसे अन्य स्रोतों से अभिदाय, जो समुचित सरकार द्वारा विहित किए जाएं ।

(3) इस निधि का उपयोग, ऐसी रीति में जो विहित की जाए, ऐसी छंटनी के पैंतालीस दिन के भीतर छंटनी किए गए कर्मकार के द्वारा अपने खाते में आहरित अंतिम मजदूरी के पन्द्रह दिनों की मजदूरी जमा करके की जाएगी ।

अध्याय 12

अनुचित श्रम व्यवहार

अनुचित श्रम व्यवहार पर प्रतिषेध ।

84. कोई नियोजक या कर्मकार या व्यवसाय संघ, चाहे इस संहिता के अधीन रजिस्ट्रीकृत है या नहीं, दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार नहीं करेगा ।

अध्याय 13

अपराध और शास्तियां

कतिपय मामलों में समुचित सरकार के अधिकारियों की शास्ति अधिरोपित करने की शक्ति ।

85. (1) धारा 84 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 86 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन शास्ति अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए समुचित सरकार, यथास्थिति, किसी ऐसे अधिकारी को, जो भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो या राज्य सरकार में समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को, ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित की जाए, जांच करने के लिए नियुक्त कर सकेगी ।

(2) उपधारा (1) के अधीन निर्दिष्ट अधिकारी को, जांच करते समय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जानकारी रखने वाले किसी व्यक्ति को साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, जो ऐसे अधिकारी की राय में, जांच की विषयवस्तु के लिए उपयोगी हो या उससे सुसंगत हो, समन करने और हाजिर कराने की शक्ति होगी, और यदि ऐसी जांच करने पर उसका समाधान हो जाता है कि किसी व्यक्ति ने उपधारा (1) में निर्दिष्ट उपबंधों के अधीन कोई अपराध किया है, वह ऐसी शास्ति, जो वह ऐसे उपबंधों के अनुसार उचित समझे, अधिरोपित कर सकेगा ।

(3) जहां कोई व्यक्ति, आदेश की प्रति की प्राप्ति की तारीख से नब्बे दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) में निर्दिष्ट शास्ति का संदाय करने में असफल रहता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

शास्तियां ।

86. (1) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, धारा 78 या धारा 79 या धारा 80 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पांच लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(3) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के उपबंधों का उल्लंघन करता है, वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(4) कोई नियोजक, जो धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, धारा 67 या धारा 70 या धारा 73 या धारा 75 के अधीन पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(5) कोई व्यक्ति, जो दूसरी अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट कोई अनुचित श्रम व्यवहार करता है, वह जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(6) कोई व्यक्ति, जो किसी अनुचित श्रम व्यवहार के लिए दोषसिद्धि के पश्चात्, पुन: उसी अपराध को करता है, तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध के लिए जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पांच लाख रुपए तक का हो सकेगा, या कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(7) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की ओर से इस संहिता द्वारा या इसके किन्हीं उपबंधों के अधीन यथा अपेक्षित कोई सूचना देने या कोई विवरण या अन्य दस्तावेज भेजने में व्यतिक्रम किया जाता है, तो प्रत्येक पदाधिकारी, या उसे देने या

भेजने के लिए व्यवसाय संघ के नियमों द्वारा आबद्ध अन्य व्यक्ति, या यदि ऐसा कोई पदाधिकारी या व्यक्ति नहीं है, तो व्यवसाय संघ की कार्यकारिणी का प्रत्येक सदस्य जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और किसी निरंतर व्यतिक्रम की दशा में, जब तक व्यतिक्रम जारी रहता है, पचास रुपए प्रति दिन की अतिरिक्त शास्ति से दंडनीय होगा ।

(8) कोई व्यक्ति, जो धारा 26 द्वारा या उस धारा के अधीन रजिस्ट्रार को भेजे गए नियमों या नियमों के परिवर्तन की किसी प्रति में या उससे अपेक्षित साधारण विवरण में जानबूझकर कोई असत्य प्रविष्टि करता है या करवाता है अथवा कोई लोप करता है या करवाता है, तो जुर्माने से, जो दो हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(9) कोई भी व्यक्ति, जो रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किसी भी सदस्य को या किसी ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसे व्यवसाय संघ का सदस्य होने का आशय रखता है या होने के लिए आवेदन करता है, कोई ऐसा दस्तावेज प्रवंचन करने के आशय से देता है, जिसका व्यवसाय संघ के नियमों की या उनमें किए गए किन्हीं परिवर्तनों जिसके बारे में वह जानता है, की प्रति होना तात्पर्यित है या उसके पास यह विश्वास करने का कारण है कि वह ऐसे नियमों या परिवर्तनों की शुद्ध प्रति नहीं है, जो तत्समय प्रवृत्त हैं, या कोई भी व्यक्ति, जो वैसे ही आशय से, किसी व्यक्ति को किसी अरजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के किन्हीं नियमों की प्रति इस बहाने से देता है कि ऐसे नियम रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के नियम हैं, जुर्माने से, जो पांच हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(10) कोई नियोजक, जो धारा 30 की अपेक्षानुसार स्थायी आदेशों का प्रारूप प्रस्तुत करने में असफल रहता है या जो अपने स्थायी आदेशों को धारा 35 के अनुसार उपांतरित न करने अन्यथा उपांतरित करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, और चालू रहने वासे अपराध की दशा में, जब तक अपराध चालू रहता है, तब तक दो हजार रुपए का प्रतिदिन अतिरिक्त जुर्माने से, दंडनीय होगा ।

(11) कोई नियोजक, जो इस संहिता के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों के उल्लंघन में कोई कार्य करता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

(12) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (11) के अधीन दोषसिद्धि के पश्चात् पुन: उसी अपराध को करता है तो वह दूसरे या पश्चातवर्ती अपराध करने के लिए जुर्माने से, जो दो लाख रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो चार लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(13) कोई कर्मकार, जो किसी ऐसी हड़ताल, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो एक हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(14) कोई नियोजक, जो ऐसी किसी तालाबंदी, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, प्रारंभ करता है, चालू रखता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा या कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या दोनों से दंडनीय होगा ।

(15) कोई व्यक्ति, जो ऐसी किसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, भाग लेने के लिए दूसरों को उकसाता है या उदीप्त करता है या उसे अग्रसर करने में अन्यथा कार्य करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(16) कोई व्यक्ति, जो किसी अवैध हड़ताल या तालाबंदी को प्रत्यक्षत: अग्रसर करने में या उसके समर्थन में जानते हुए किसी धन का व्यय या उपयोजन करता है, जुर्माने से, जो दस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(17) कोई व्यक्ति, जो किसी ऐसे समझौते या अधिनिर्णय के, जो इस संहिता के अधीन उस पर आबद्धकर हो, किसी निबंधन का भंग करता है, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो लाख रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो तीन मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(18) जहां उपधारा (17) के अधीन कोई भंग जारी रहने वाला भंग है, वहां अपराधी किसी ऐसे अतिरिक्त जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि के पश्चात्, जिसके दौरान भंग जारी रहता है, प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा और यदि अपराध का विचारण करने वाला न्यायालय, अपराधी पर जुर्माना करता है तो वह यह निदेश दे सकेगा कि उससे प्राप्त कुल जुर्माना या उसका कोई भाग, ऐसे व्यक्ति को, जो उसकी राय में ऐसे भंग से प्रभावित हुआ है, प्रतिकर के रूप में संदत्त किया जाएगा ।

(19) कोई व्यक्ति, जो धारा 61 में निर्दिष्ट किसी ऐसी जानकारी को उस धारा के उपबंधों के उल्लंघन में जानबूझकर प्रकट करता है, तो व्यवसाय संघ या व्यष्टिक कारबार द्वारा, जिस पर प्रभाव पड़ा हो, उसकी ओर से, किए गए परिवाद पर, जुर्माने से, जो बीस हजार रुपए तक का हो सकेगा, या ऐसी अवधि के कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दंडनीय होगा ।

(20) कोई व्यक्ति, जो इस संहिता के किसी ऐसे अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है और जो उपधारा (1) से उपधारा (19) के अधीन या इस संहिता के अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के अधीन नहीं आता है, जुर्माने से, जो एक लाख रुपए तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा ।

अपराधों का संज्ञान ।

87. (1) कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान, समुचित सरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन किए गए परिवाद पर ही लेगा अन्यथा नहीं ।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से अवर कोई भी न्यायालय इस संहिता के अधीन अपराधों का विचारण नहीं करेगा । 1974 का 2

IndiaCode

कंपनियों द्वारा अपराध ।

88. (1) इस संहिता के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कंपनी है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध करने के समय और कंपनी के कारबार के संचालन के लिए कंपनी का भारसाधक था और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही कंपनी को, अपराध का दोषी होना समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने और दंडित किए जाने के लिए दायी होगा :

परन्तु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी ऐसे व्यक्ति को किसी दंड के लिए दायी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध के किए जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां इस संहिता के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि अपराध किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी उस अपराध के लिए दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के लिए भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं :—

(i) कोई फर्म ; या

2009 का 6

(ii) सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 के अधीन रजिस्ट्रीकृत कोई सीमित दायित्व भागीदारी ; या

(iii) व्यष्टियों का अन्य संगम ; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में "निदेशक" से फर्म का कोई भागीदार अभिप्रेत है ।

अपराधों का शमन ।

1974 का 2

89. (1) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस संहिता के अधीन दंडनीय कोई अपराध, जो कारावास से ही या कारावास से और जुर्माने से भी दंडनीय अपराध नहीं है, अभियुक्त व्यक्ति के आवेदन किए जाने पर, किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व या उसके पश्चात्, किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा शमन किया जा सकेगा, जो समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा, केवल जुर्माने से दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के पचास प्रतिशत की राशि के लिए और उस अवधि के कारावास से जो एक वर्ष से अधिक नहीं है या जुर्माने से, दंडनीय ऐसे अपराध के लिए उपबंधित पचहत्तर प्रतिशत की राशि के लिए ऐसी रीति में, जो विहित की जाए, विनिर्दिष्ट :

परन्तु शमन की ऐसी रकम सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 की धारा 141 के अधीन स्थापित सामाजिक सुरक्षा निधि में जमा की जाएगी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट कोई बात, किसी व्यक्ति द्वारा दूसरी बार किए गए

या तत्पश्चात् निम्नलिखित की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर किए गए किसी अपराध को लागू नहीं होगी—

(क) जो वैसे ही अपराध के किए जाने के लिए, जिसका पहले शमन किया गया था ;

(ख) जो वैसे ही अपराध के किए जाने के लिए, जिसके लिए व्यक्ति पहले से ही दोषसिद्ध ठहराया गया था ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक अधिकारी समुचित सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अध्यधीन, किसी अपराध का शमन करने की शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(4) किसी अपराध का शमन करने के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसी रीति में किया जाएगा, जो विहित की जाए ।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन को संस्थित करने से पूर्व किया जाता है, वहां ऐसे अपराध के संबंध में ऐसे अपराधी के विरुद्ध, जिसके संबंध में अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, कोई अभियोजन संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(6) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त उस न्यायनिर्णयन अधिकारी के ध्यान में लाया जाएगा, जिसके समक्ष अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन का ऐसा नोटिस दिए जाने पर, उस व्यक्ति का जिसके विरुद्ध अपराध का इस प्रकार शमन किया जाता है, उन्मोचन किया जाएगा ।

(7) कोई व्यक्ति, जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा दिए गए किसी आदेश का पालन करने में असफल रहता है, ऐसे जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के समतुल्य रकम का संदाय करने के लिए दायी होगा ।

(8) इस संहिता के उपबंधों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार ही किया जाएगा अन्यथा नहीं ।

अध्याय 14

प्रकीर्ण

कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान कतिपय परिस्थितियों में सेवा की शर्तों, आदि का अपरिवर्तित रहना ।

90. (1) जहां धारा 40 के अधीन किसी नियोजक द्वारा जारी परिवर्तन की सूचना के अंतर्गत न आने वाले मामलों के संबंध में, किसी स्थापन या उपक्रम से संबंधित कोई औद्योगिक विवाद, यथास्थिति, किसी सुलह अधिकारी या मध्यस्थ या अधिकरण या किसी राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष पहले से ही लंबित है, वहां कोई नियोजक, ऐसे प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित में स्पष्ट अनुज्ञा के बिना,—

(क) ऐसे विवाद से संबंधित किसी मामले के संबंध में, ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए उनको लागू सेवा की शर्तों को ऐसी कार्यवाहियों के प्रारंभ से ठीक पूर्व परिवर्तित नहीं करेगा ; या

(ख) इस विवाद से संबंधित किसी कदाचार के लिए, ऐसे विवाद में संबंधित किसी कर्मकार को चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित नहीं करेगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी ऐसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, नियोजक ऐसे विवाद में संबंधित कर्मकार को लागू स्थायी आदेशों के अनुसार या जहां ऐसे स्थायी आदेश नहीं है, वहां उसके और कर्मकार के मध्य हुई संविदा के निबंधनों के अनुसार, चाहे वह अभिव्यक्त या विवक्षित हो—

(क) विवाद से असंबद्ध किसी मामले के संबंध में ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पहले उस कर्मकार को लागू सेवा की शर्तों को परिवर्तित कर सकेगा ; या

(ख) विवाद से असम्बद्ध किसी कदाचार के लिए उस कर्मकार को चाहे पदच्युति द्वारा या अन्यथा उन्मोचित या दंडित कर सकेगा :

परन्तु ऐसे किसी भी कर्मकार को तब तक उन्मोचित या पदच्युत नहीं किया जाएगा, जब तक उसको एक मास की मजदूरी का संदाय नहीं कर दिया जाता है और नियोजक द्वारा प्राधिकारी को, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, नियोजक द्वारा की गई कार्यवाही के अनुमोदन के लिए आवेदन न कर दिया हो ।

(3) उपधारा (2) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई नियोजक, किसी औद्योगिक विवाद के संबंध में किसी कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उस प्राधिकारी, जिसके समक्ष कार्यवाही लंबित है, की लिखित में स्पष्ट अनुज्ञा के बिना, ऐसे विवाद में संबंधित किसी संरक्षित कर्मकार के विरुद्ध, जो—

(क) ऐसी कार्यवाही के प्रारंभ से ठीक पूर्व उसको लागू सेवा की शर्तों को, ऐसे सरंक्षित कर्मकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए परिवर्तित करके ; या

(ख) ऐसे संरक्षित कर्मकार को, चाहे पदच्युति या अन्यथा द्वारा उन्मोचित या दंडित करके कोई कार्यवाही नहीं करेगा ।

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, किसी स्थापन के संबंध में "संरक्षित कर्मकार" से ऐसा कर्मकार अभिप्रेत है जिसे, उस स्थापन से संसक्त रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की कार्यपालिका का कोई सदस्य या अन्य पदाधिकारी होते हुए, इस निमित्त बनाए गए नियमों के अनुसार उस रूप में मान्यताप्राप्त है ।

(4) प्रत्येक स्थापन में, ऐसे कर्मकारों की संख्या जिन्हें उपधारा (3) के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यताप्राप्त किया जाना है उसमें नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या का एक प्रतिशत होगी, जो संरक्षित कर्मकारों की संख्या कम से कम पांच और संरक्षित कर्मकारों की अधिक से अधिक एक सौ के अध्यधीन होगी और पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए, समुचित सरकार स्थापन से संसक्त विभिन्न व्यवसाय संघों के, यदि कोई हो, बीच ऐसे संरक्षित कर्मकारों के वितरण के लिए और ऐसी रीति के लिए, जिसमें कर्मकार संरक्षित कर्मकारों के रूप में चुने जा सकेंगे और उन्हें मान्यता दी जा सकेगी, उपबंध करने वाले नियम बना सकेगी ।

(5) जहां कहीं कोई नियोजक उसके द्वारा की गई कार्रवाई के अनुमोदन के लिए उपधारा (2) के परन्तुक के अधीन, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को आवेदन करता है, वहां संबद्ध प्राधिकारी, अविलंब ऐसे

आवेदन पर सुनवाई करेगा और उसके संबंध में ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीन मास की कालावधि के भीतर ऐसा आदेश पारित करेगा, जो वह ठीक समझे :

परन्तु जहां ऐसा कोई प्राधिकारी ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझता है, वहां वह ऐसे कारणों के लिए जो अभिलिखित किए जाएं, ऐसी कालावधि को, ऐसी अतिरिक्त कालावधि के लिए, जो वह उचित समझे, विस्तारित कर सकेगा :

परन्तु यह और कि ऐसे किसी प्राधिकारी के समक्ष कोई कार्यवाही केवल इस आधार पर व्यपगत नहीं होगी कि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट कोई कालावधि, ऐसी कार्यवाहियों के पूरा किए बिना ही समाप्त हो गई थी ।

न्यायनिर्णयन के लिए विशेष उपबंध कि इस बारे में कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान सेवा की शर्तें, आदि में परिवर्तन हुआ है या नहीं ।

91. जहां कोई नियोजक, यथास्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान धारा 90 के उपबंधों का उल्लंघन करता है वहां ऐसे उल्लंघन से व्यथित कोई कर्मचारी लिखित में ऐसी रीति में, जो विहित की जाए,—

(क) ऐसे सुलह अधिकारी को परिवाद कर सकेगा, और सुलह अधिकारी ऐसे औद्योगिक विवाद में मध्यस्थता करते हुए उसके समझौता को संप्रवर्तित करने के लिए परिवाद पर विचार करेगा ; और

(ख) ऐसे मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को परिवाद कर सकेगा और ऐसे परिवाद की प्राप्ति पर, यथास्थिति, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण परिवाद पर ऐसे न्यायनिर्णयन करेगा मानो वह परिवाद इस संहिता के उपबंधों के अनुसार, निर्देशित या उसके समक्ष लंबित विवाद हो और अपने या इसके अधिनिर्णय को समुचित सरकार को प्रस्तुत करेगा और इस संहिता के उपबंध तदनुसार लागू होंगे ।

कतिपय कार्यवाहियों को अंतरित करने की शक्ति ।

92. (1) समुचित सरकार, इस संहिता के अधीन किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को लिखित में आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें लेखबद्ध किए जाएं वापस ले सकेगी और कार्यवाही के निपटाने के लिए, उसे, यथास्थिति, किसी अन्य अधिकरण को अंतरित कर सकेगी और वह अधिकरण जिसे कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की गई है, अंतरण के आदेश में विशेष निदेशों के अध्यधीन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर वह ऐसे अंतरित की गई थी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, लिखित में आदेश द्वारा और उन कारणों के लिए जो इसमें कथित किए जाएं, इस संहिता के अधीन केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अधिकरण के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही को वापस ले सकेगी और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को कार्यवाही को निपटाने के लिए अंतरित कर सकेगी तथा राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसको कार्यवाही इस प्रकार अंतरित की गई है, अंतरण आदेश में विशेष निदेशों के अध्यधीन या तो नए सिरे से या उस प्रक्रम से अग्रसर हो सकेगा, जिस पर उसे अंतरित किया गया था ।

(3) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा और उन कारणों के लिए जो उसमें कथित किए जाएं, राज्य सरकार द्वारा गठित किसी अधिकरण को, इस संहिता के उपबंधों के अधीन जहां केन्द्रीय सरकार समुचित सरकार है, वहां उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर उद्भूत होने वाले मामलों को ग्रहण करने और निपटाने के लिए सशक्त कर सकेगी ।

व्यक्तियों का संरक्षण ।

93. (1) किसी ऐसी हड़ताल या तालाबंदी में, जो इस संहिता के अधीन अवैध है, भाग लेने से या भाग लेते रहने से इंकार करने वाला कोई भी व्यक्ति, ऐसे इंकार के कारण या इस धारा के अधीन उसके द्वारा की गई किसी कार्यवाही के कारण, व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में किसी तत्प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी से निष्कासित किए जाने का, या किसी जुर्माने या शास्ति का या किसी ऐसे अधिकार या फायदे से जिसके लिए वह या उसके विधिक प्रतिनिधि अन्यथा हकदार होते, वंचित किए जाने के अध्यधीन होगा और न ही उस संघ या सोसायटी के अन्य सदस्यों की तुलना में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: किसी भी संबंध में किसी निर्योग्यता के अधीन या किसी अलाभकर स्थिति में रखे जाने का भागी होगा ।

(2) किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी के नियमों में की गई कोई बात, जो विवादों का किसी भी रीति में निपटारा करने की अपेक्षा करती है, इस धारा द्वारा सुनिश्चित किए गए किसी अधिकार या छूट को प्रवर्तित कराने के लिए की गई कार्यवाही को लागू नहीं होगी और ऐसी किसी कार्यवाही में, सिविल न्यायालय, किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसे किसी व्यवसाय संघ या सोसायटी की सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, यह आदेश करने के बदले में कि उसे सदस्यता वापस लौटा दी जाए, यह आदेश दे सकेगा कि उस व्यवसाय संघ या सोसायटी की निधियों में से प्रतिकर या नुकसानी के रूप में ऐसी राशि का संदाय किया जाए जिसे वह न्यायालय न्यायसंगत समझे ।

पक्षकारों का प्रतिनिधित्व ।

94. (1) कोई कर्मकार, जो विवाद का पक्षकार है, इस संहिता के अधीन की गई किसी भी कार्यवाही में,—

(क) उस रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ की, जिसका वह सदस्य है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ख) व्यवसाय संघों के उस परिसंघ की, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ संबद्ध है, कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा ;

(ग) जहां कर्मकार किसी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहां, उस उद्योग से, जिसमें कर्मकार नियोजित है, संसक्त किसी व्यवसाय संघ की कार्यपालिका के किसी सदस्य या अन्य पदाधिकारी द्वारा या उस उद्योग में नियोजित ऐसे अन्य कर्मकार द्वारा और जो ऐसी रीति, जो विहित की जाए, से प्राधिकृत है,

प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा ।

(2) कोई नियोजक, जो विवाद का पक्षकार है, इस संहिता के अधीन किसी भी कार्यवाही में,—

(क) उस नियोजक-संगम के, जिसका वह सदस्य है, किसी अधिकारी द्वारा ;

(ख) नियोजक-संगमों के उस परिसंघ के, जिससे खंड (क) में निर्दिष्ट संगम संबद्ध है, किसी अधिकारी द्वारा;

(ग) जहां नियोजक-संगम का सदस्य नहीं है, वहां उस उद्योग से, जिसमें वह नियोजक लगा हुआ है, संसक्त किसी नियोजक-संगम के ऐसे अधिकारी द्वारा या उसमें लगे हुए किसी अन्य नियोजक द्वारा, जो ऐसी रीति से, जो विहित की जाए प्राधिकृत है,

प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार होगा ।

(3) विवाद का कोई भी पक्षकार इस बात का हकदार न होगा कि इस संहिता के अधीन की सुलह कार्यवाहियों में या अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष की कार्यवाहियों में उसका प्रतिनिधित्व किसी विधि-व्यवसायी द्वारा किया जाए ।

(4) उपधारा (3) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, विवाद के किसी भी पक्षकार का प्रतिनिधित्व किसी अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समक्ष किसी कार्यवाही में, कार्यवाही के अन्य पक्षकारों की सहमति से, यथास्थिति, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण की अनुमति से विधि-व्यवसायी द्वारा किया जा सकेगा ।

अधिनिर्णय या समझौते के निर्वचन में शंकाओं को दूर करना ।

95. (1) यदि, समुचित सरकार की राय में, किसी अधिनिर्णय या समझौते के किसी उपबंध के निर्वचन के बारे में कोई कठिनाई या शंका उद्भूत होती है तो वह उस प्रश्न को ऐसे अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को निर्दिष्ट कर सकेगी जो वह ठीक समझे ।

(2) अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण जिसको ऐसा प्रश्न निर्दिष्ट किया जाता है, पक्षकारों की सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, ऐसे प्रश्न का विनिश्चय करेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा तथा ऐसे सभी पक्षकारों पर आबद्धकर होगा ।

छूट देने की शक्ति ।

96. (1) जहां, समुचित सरकार का, किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों के किसी वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि इस संहिता के किन्हीं उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त उपबंध विद्यमान हैं, वहां वह अधिसूचना द्वारा, इस संहिता के उस उपबंध से ऐसे स्थापन या उपक्रम या स्थापनों या उपक्रमों के वर्ग को सशर्त या अशर्त छूट दे सकेगी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां समुचित सरकार का किसी नए औद्योगिक स्थापन या नए उपक्रम या नए औद्योगिक स्थापनों या नए उपक्रमों के वर्ग के संबंध में यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, तो वह अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसे नए औद्योगिक स्थापन या नए उपक्रम या नए स्थापनों या नए उपक्रमों के वर्ग की स्थापना की तारीख से ऐसी अवधि के लिए इस संहिता के सभी या किन्हीं उपबंधों से सशर्त या अशर्त छूट दे सकेगी, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए :

परन्तु इस संहिता के आरंभ होने से पहले, किसी राज्य सरकार द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन राज्य मे इस उपधारा मे यथा विनिर्दिष्ट प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए, जारी कोई अधिसूचना, इसकी शेष अवधि के लिए ऐसे आरंभ के पश्चात् भी ऐसे प्रवर्तन में रहेगी मानो इस संहिता के उपबंध उस सीमा तक प्रवृत्त नहीं किए गए हों जिस तक उस राज्य सरकार द्वारा जारी ऐसी अधिसूचना द्वारा प्राप्त किए जाने वाले किसी प्रयोजन को विफल करते हों । 1947 का 14

स्पष्टीकरण—इस उपधारा के प्रयोजनों के लिए, "नया औद्योगिक स्थापन या नया उपक्रम या नए औद्योगिक स्थापनों या नए उपक्रमों का वर्ग" पद से ऐसा औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या औद्योगिक स्थापनों या उपक्रमों का वर्ग अभिप्रेत है, जो अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट किसी अवधि के भीतर स्थापित किए गए हों ।

सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन ।

97. किसी ऐसे विषय के संबंध में, जिसको इस संहिता का कोई उपबंध लागू होता है, सिविल न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी और किसी सिविल न्यायालय द्वारा इस संहिता के द्वारा या इसके अधीन की गई किसी बात या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के संबंध में कोई व्यादेश मंजूर नहीं किया जाएगा ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

98. कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही इस संहिता या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होगी ।

समुचित सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

99. (1) समुचित सरकार, पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए, इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए नियम बना सकेगी:

परन्तु समुचित सरकार का, यदि यह समाधान हो जाता है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिनसे लोक हित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह पूर्व प्रकाशन की शर्त से अभिमुक्ति दे सकेगी या ऐसे पूर्व प्रकाशन पर उस सीमा तक जो वह ठीक समझे, आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए अपेक्षित समयावधि को कम कर सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी विषयों के लिए या उनमें से किसी के लिए उपबंध कर सकेंगे, —

(क) धारा 2 के खंड (यझ) के अधीन किसी समझौते पर पहुंचने के लिए सुलह कार्यवाही के अनुक्रम में से भिन्न अनुक्रम में नियोजक और कर्मकार के मध्य किया गया लिखित करार ;

(ख) कार्य समिति का गठन और धारा 3 के अधीन स्थापन में लगे हुए नियोजक और कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (2) के अधीन शिकायत निवारण समिति के लिए नियोजक और कर्मकारों में से सदस्यों का चयन करने की रीति ;

(घ) किसी विवाद के संबंध में किसी व्यथित कर्मकार द्वारा धारा 4 की उपधारा (5) के अधीन शिकायत निवारण समिति के समक्ष आवेदन का फाइल किया जाना ;

(ड.) धारा 4 की उपधारा (8) के अधीन सुलह अधिकारी के समक्ष शिकायत निवारण समिति के विनिश्चय के विरुद्ध शिकायत के सुलह के लिए आवेदन फाइल करने की रीति;

(च) धारा 7 के खंड (च) के अधीन व्यवसाय संघ के सदस्यों द्वारा अभिदान का संदाय और ऐसे सदस्यों और अन्य व्यक्तियों से दान ;

(छ) धारा 7 के खंड (ञ) के अधीन वार्षिक संपरीक्षा की रीति ;

(ज) धारा 8 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन शपथपत्र द्वारा की जाने वाली घोषणा का प्ररूप और उसे करने की रीति ;

(झ) धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन ऐसे प्ररूप में तैयार और ऐसी

IndiaCode

विशिष्टियां अंतर्विष्ट करने वाले व्यवसाय संघ की आस्तियों और दायित्वों का साधारण विवरण ;

(ञ) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन का प्ररूप और उपधारा (2) के अधीन आवेदक व्यवसाय संघ को रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया जाने वाला रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने का प्ररूप ;

(ट) धारा 9 की उपधारा (3) के अधीन इस निमित्त रजिस्ट्रार द्वारा रखे गए रजिस्टर में व्यवसाय संघ का नाम और अन्य विशिष्टियां प्रविष्ट करने का प्ररूप ;

(ठ) धारा 9 की उपधारा (5) के अधीन व्यवसाय संघ के आवेदन का सत्यापन;

(ड) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन वह अवधि जिसके भीतर व्यवसाय संघ द्वारा अधिकरण को अपील प्रस्तुत की जानी है ;

(ढ) धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन संसूचना और सूचनाएं भेजना तथा उपधारा (3) के अधीन रजिस्ट्रार को सूचित करने की रीति ;

(ण) धारा 14 की उपधारा (1) के अधीन वे मामले, जिस पर, यथास्थिति, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् किसी औद्योगिक स्थापन में औद्योगिक स्थापन के नियोजक के साथ समझौता कर सकेंगे और उपधारा (2) के अधीन औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा अनुसरण किया जाने वाला मानदंड;

(त) धारा 14 की उपधारा (3) और उपधारा (4) के अधीन, औद्योगिक स्थापन के मस्टर रोल पर कर्मकारों के सत्यापन की रीति और उपधारा (7) के अधीन औद्योगिक स्थापन द्वारा वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् को प्रदान की जाने वाली सुविधाएं ;

(थ) धारा 15 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के अधीन उद्देश्य और उपधारा (4) के अधीन संदेय अभिदान ;

(द) धारा 22 की उपधारा (1) के अधीन अधिकरण के समक्ष अधिनिर्णयन के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ध) धारा 24 की उपधारा (2) के अधीन समामेलन की रीति और उपधारा (3) के अधीन किसी भिन्न राज्य के रजिस्ट्रार को हस्ताक्षरित समामेलन भेजने की रीति ;

(न) धारा 25 की उपधारा (2) के अधीन रजिस्ट्रार द्वारा विघटन पर व्यवसाय का वितरण ;

(प) धारा 26 की उपधारा (1) के खंड (क) के अधीन वह तारीख, जिससे पहले कोई साधारण विवरण, रजिस्ट्रार को वार्षिक रूप से भेजा जाएगा, साधारण विवरण और इसके प्ररूप में अन्तर्विष्ट की जाने वाली विशिष्टियां, वह व्यक्ति, जिसके द्वारा और वह रीति, जिसमें ऐसा साधारण विवरण संपरीक्षित किया जाएगा ;

(फ) धारा 27 की उपधारा (2) के अधीन राज्य सरकार द्वारा राज्य व्यवसाय संघ के रूप में राज्य स्तर पर किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघ के किसी परिसंघ को मान्यता देने की रीति और प्रयोजन और इसके द्वारा विवादों के विनिश्चय करने का प्राधिकार और रीति ;

(ब) धारा 30 की उपधारा (3) के अधीन प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करने की रीति और वह अवधि जिसके भीतर स्थायी आदेश का संशोधन किया जाना है, जैसा कि उसके परन्तुक के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा पालन किया जाए ;

(भ) जहां धारा 30 की उपधारा (5) के अधीन कोई व्यवसाय संघ कार्य नहीं कर रहा है, वहां प्रमाणन अधिकारी द्वारा नोटिस जारी करने के लिए औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति; धारा 30 की उपधारा (8) के अधीन प्रमाणित स्थायी आदेशों के अधिप्रमाणन की रीति;

(म) धारा 30 की उपधारा (9) के अधीन वह विवरण जिसके साथ प्रारूप स्थायी आदेश संलग्न किए जाने हैं ;

(य) धारा 30 की उपधारा (10) के अधीन समरूप स्थापन में नियोजकों के समूह द्वारा प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रस्तुत करने की शर्तें ;

(यक) धारा 32 के अधीन अपील प्राधिकारी द्वारा अपील निपटाने की रीति ;

(यख) धारा 33 की उपधारा (1) के अधीन अपील प्राधिकारी के आदेश की प्रतियों को भेजने की रीति और उपधारा (2) के अधीन स्थायी आदेश बनाए रखने की भाषा और रीति ;

(यग) धारा 34 के अधीन प्रमाणन अधिकारी द्वारा अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों को फाइल करने के लिए रजिस्टर का प्ररूप और ऐसे आदेशों की प्रमाणित प्रति देने के लिए फीस ;

(यघ) धारा 35 की उपधारा (2) के अधीन प्रमाणन अधिकारी के समक्ष स्थायी आदेशों में किए जाने वाले उपांतरण के लिए आवेदन ;

(यङ) धारा 40 के खंड (i) के अधीन किए जाने वाले प्रस्तावित परिवर्तन की प्रकृति का नोटिस देने की रीति ;

(यच) धारा 42 की उपधारा (3) के अधीन माध्यस्थम् करार का प्ररूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने की रीति ;

(यछ) धारा 42 की उपधारा (5) के अधीन जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम् के लिए निदेशित किया गया है वहां अधिसूचना जारी करने की रीति ;

(यज) धारा 42 की उपधारा (5) के परन्तुक के अधीन कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करने की रीति, जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं हैं ;

(यझ) धारा 44 की उपधारा (9) के अधीन रिक्ति भरने की रीति ;

(यञ) धारा 46 की उपधारा (6) के अधीन राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों के चयन की प्रक्रिया, वेतन और भत्ते तथा अन्य निबंधन और शर्तें ;

(यट) धारा 49 की उपधारा (3) के अधीन, ऐसे अन्य मामले जिनके संबंध में किसी सुलह अधिकारी, अधिकरण और राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण को वही शक्तियां प्राप्त होंगी जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन की किसी सिविल न्यायालय में निहित होती है ;

1908 का 5

(यठ) धारा 53 की उपधारा (1) के अधीन सुलह कार्यवाही करने की रीति और उपधारा (4) के अधीन पूर्ण रिपोर्ट का प्ररूप और उपधारा (6) के अधीन आवेदन का प्ररूप तथा ऐसे आवेदन पर विनिश्चिय करने की रीति ;

(यड) धारा 62 की उपधारा (4) के अधीन ऐसे व्यक्तियों की संख्या, जिनके द्वारा हड़ताल का नोटिस दिया जाएगा, वह व्यक्ति या वे व्यक्ति, जिसको या जिनको ऐसा नोटिस दिया जाएगा और ऐसा नोटिस देने की रीति ;

(यढ) धारा 62 की उपधारा (5) के अधीन तालाबंदी का नोटिस देने की रीति और उपधारा (6) के अधीन प्राधिकारी ;

(यण) उद्योग में नियोजित किसी कर्मकार को, जो एक वर्ष से अन्यून निरंतर सेवा में रहा है, किसी नियोजक द्वारा समुचित सरकार या ऐसे प्राधिकारी, जो धारा 70 के खंड (ग) के अधीन अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, की छंटनी से पूर्व नोटिस तामील करने की रीति ;

(यत) धारा 72 के अधीन ऐसी रीति जिसमें नियोजक छंटनी किए गए कर्मकारों को, जो भारत के नागरिक हैं, पुन:नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत करने के लिए कोई अवसर देगा ;

(यथ) धारा 74 की उपधारा (1) के अधीन वह रीति, जिसमें नियोजक उपक्रम के आशयित बंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए समुचित सरकार को सूचना तामील करेगा ;

(यद) धारा 78 की उपधारा (2) के अधीन आशयित कामबंदी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यध) धारा 78 की उपधारा (3) के अधीन नियोजक द्वारा कामबंदी जारी रखने की अनुज्ञा के लिए समुचित सरकार को आवेदन करने की रीति;

(यन) धारा 78 की उपधारा (7) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा ;

(यप) धारा 79 की उपधारा (2) के अधीन आशयित छंटनी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यफ) धारा 79 की उपधारा (6) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा ;

(यब) धारा 80 की उपधारा (1) के अधीन किसी औद्योगिक स्थापन के किसी उपक्रम के आशयित बन्दी के लिए स्पष्ट रूप से कारणों का कथन करते हुए नियोजक द्वारा आवेदन करने की रीति और कर्मकारों के प्रतिनिधियों पर ऐसे आवेदन की प्रति को तामील करने की रीति ;

(यभ) धारा 80 की उपधारा (5) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए समय-सीमा;

(यम) धारा 83 की उपधारा (2) के खंड (ख) के अधीन कर्मकार पुनः कौशल निधि में किए जाने वाले ऐसे अन्य स्रोतों से अभिदाय ;

(यय) धारा 83 की उपधारा (3) के अधीन निधि के उपयोग की रीति;

(ययक) धारा 89 की उपधारा (1) के अधीन किसी विनिर्दिष्ट राजपत्रित अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की रीति ;

IndiaCode

(ययख) धारा 89 की उपधारा (4) के अधीन विनिर्दिष्ट किसी अपराध का प्रशमन करने के लिए आवेदन करने की रीति ;

(ययग) धारा 91 के अधीन किसी व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत करने की रीति ;

(ययघ) धारा 94 की उपधारा (1) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययङ) धारा 94 की उपधारा (2) के अधीन किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोजक को प्राधिकार देने की रीति ;

(ययच) कोई अन्य विषय, जो इस संहिता के उपबंधों के अधीन अपेक्षित है या विहित किया जाए ।

(3) केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित के लिए नियम बनाएगी—

(क) धारा 27 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय स्तर पर किसी केन्द्रीय व्यवसाय संघ के रूप में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के परिसंघ की मान्यता की रीति और इसके द्वारा विवाद का विनिश्चय करने की रीति ; और

(ख) धारा 85 की उपधारा (1) के अधीन कोई जांच करने की रीति ।

(4) इस धारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाए गए सभी नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाएंगे ।

(5) इस धारा के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम और धारा 2 के खंड (त) के अधीन जारी की गई अधिसूचना, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम या अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि वह नियम या अधिसूचना नहीं बनाई जानी चाहिए तो तत्पश्चात् वह नियम या अधिसूचना, यथास्थिति, ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव हो जाएगा । किन्तु नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

शक्तियों का प्रत्यायोजन ।

100. समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य कोई शक्ति ऐसे विषयों के संबंध में और ऐसी शर्तों के, यदि कोई हो, जिन्हें निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए, अधीन रहते हुए निम्नलिखित द्वारा भी प्रयोक्तव्य होंगी—

(क) जहां समुचित सरकार, केन्द्रीय सरकार है वहां केन्द्रीय सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ;

(ख) जहां कि समुचित सरकार, राज्य सरकार हो, वहां राज्य सरकार के अधीनस्थ ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

अनुसूचियों का संशोधन करने की शक्ति ।

101. (1) केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा पहली अनुसूची या दूसरी अनुसूची या तीसरी अनुसूची में परिवर्धन या परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी और ऐसी किसी अधिसूचना के जारी किए जाने पर, यथास्थिति, पहली अनुसूची या दूसरी या तीसरी अनुसूची तदनुसार संशोधित समझी जाएगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार द्वारा उपधारा (1) के अधीन जारी प्रत्येक अधिसूचना, जारी किए जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, तीस दिन की कुल अवधि के लिए रखी जाएगी जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत होते हैं तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगी । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत होते हैं कि उस अधिसूचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगी । किन्तु इस अधिसूचना के अनुसरण में ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पूर्व उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

2017 के अधिनियम संख्यांक 7 का संशोधन ।

102. वित्त अधिनियम, 2017 की आठवीं अनुसूची में क्रम संख्यांक 1 के सामने,—

(क) स्तंभ (2) में "केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्दों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 44 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित औद्योगिक अधिकरण" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे ;

(ख) स्तंभ (3) में "औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947" शब्दों और अंकों के स्थान पर "औद्योगिक संबंध संहिता; 2020" शब्द और अंक रखे जाएंगे । 1947 का 14

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

103. (1) यदि इस संहिता के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस संहिता के उपबंधों से जो असंगत न हों और जो कठिनाई दूर करने के लिए उसे आवश्यक प्रतीत हो :

परन्तु इस धारा के अधीन ऐसा कोई आदेश इस संहिता के प्रारंभ होने की तारीख से तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्तियां ।

104. (1) इस संहिता के किसी उपबंध के प्रारंभ के लिए धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन जारी अधिसूचना में, केन्द्रीय सरकार यह विनिर्दिष्ट कर सकेगी, कि—

(क) व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 ; 1926 का 16

(ख) औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946 ; और 1946 का 20

(ग) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947, 1947 का 14

के उपबंध इस निमित्त अधिसूचना में नियत तारीख से निरसित हो जाएंगे और खंड (क) से खंड (ग) में निर्दिष्ट अधिनियमितियों के शेष उपबंध तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक उन्हें वैसी ही रीति में वैसी अधिसूचनाओं द्वारा निरसित नहीं कर दिया जाता है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन ऐसे निरसन के होते हुए भी, इस प्रकार निरसित अधिनियमितियों के उपबंधों के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, जिसके अंतर्गत तद्धीन बनाया गया कोई नियम, विनियम, अधिसूचना, नामनिर्देशन, नियुक्ति, आदेश या निदेश भी हैं, इस संहिता के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी और वे उस सीमा तक, जहां तक वे इस संहिता के उपबंधों के प्रतिकूल न हो, प्रवृत्त होंगे ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध ऐसी अधिनियमितियों के निरसन को लागू होंगे । 1897 का 10

IndiaCode

पहली अनुसूची

[धारा 2(यत्र), धारा 30(1) और (6) तथा धारा 101(1) देखिए]

इस संहिता के अधीन स्थायी आदेशों में उपबंधित किए जाने वाले विषय

1. कर्मकारों का वर्गीकरण, चाहे वे स्थायी, अस्थायी, प्रशिक्षु, परिवीक्षार्थी, बदली या नियत अवधि नियोजन हो ।

2. कर्मकारों की काम की कालावधियां और कार्य घंटे, अवकाश दिन, वेतन दिवस और मजदूरी की दरें सूचित करने की रीति ।

3. पारी में काम ।

4. हाजिरी और विलम्ब से आना ।

5. छुट्टी और अवकाश दिनों की शर्तें, उनके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया, और वह प्राधिकारी जो उन्हें मंजूर कर सकेगा ।

6. परिसर में कतिपय द्वारों से प्रवेश करने की अपेक्षा और तलाशी का दायित्व ।

7. औद्योगिक स्थापन के अनुभागों को बंद करना और उनकी रिपोर्ट करना, काम का अस्थायी रूप से रोका जाना तथा नियोजक और कर्मकारों के उनसे उद्भूत अधिकार और दायित्व ।

8. नियोजन का पर्यवसान तथा नियोजक और कर्मकारों द्वारा उसकी सूचना का दिया जाना ।

9. अवचार और कार्य या लोप, जो अवचार गठित करते हैं, के लिए निलबंन या पदच्युति ।

10. नियोजक या उसके अभिकर्ताओं या सेवकों द्वारा अनुचित व्यवहार या सदोष आहरणों के प्रति कर्मकारों के लिए प्रतितोष के साधन ।

11. ऐसा कोई अन्य विषय, जो अधिसूचना द्वारा समुचित सरकार विनिर्दिष्ट करे ।

IndiaCode

दूसरी अनुसूची

(धारा 2 (यण), धारा 84, धारा 86 (5) और धारा 101(1) देखिए)

अनुचित श्रम व्यवहार

I. नियोजकों और नियोजकों के व्यवसाय संघों की ओर से

(1) व्यवसाय संघ को संगठित करने, बनाने, उसमें सम्मिलित होने या उसकी सहायता करने या सामूहिक सौदेबाजी, या अन्य पारस्परिक सहायता या संरक्षा के प्रयोजनों के लिए सम्मिलित क्रियाकलापों में लगने के लिए कर्मकारों द्वारा अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए उनके साथ हस्तक्षेप करना, उन्हें अवरुद्ध करना, या प्रपीड़ित करना, अर्थात्: —

(क) कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करने की धमकी देना, यदि वे किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होते हैं ;

(ख) तालाबंदी या कामबन्दी की धमकी देना, यदि किसी व्यवसाय संघ को संगठित किया जाता है ;

(ग) व्यवसाय संघ, संगठन के प्रयासों को कम करने की दृष्टि से व्यवसाय संघ संगठन के निर्णायक अवधियों में कर्मकारों को बढ़ी हुई मजदूरी मंजूर करना ।

(2) किसी व्यवसाय संघ पर प्रभुत्व जमाना, उसमें हस्तक्षेप करना या उसे अवलंब, वित्तीय या अन्यथा में सहयोग करना, अर्थात् : —

(क) किसी नियोजक का अपने कर्मकारों के किसी व्यवसाय संघ को संगठित करने में सक्रिय रुचि लेना ; और

(ख) जहां ऐसा व्यवसाय संघ मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघ नहीं है, वहां कोई नियोजक जो अपने कर्मकारों या उसके सदस्यों को संगठित करने का प्रयास करने वाले अनेक व्यवसाय संघों में से किसी एक व्यवसाय संघ के प्रति पक्षपात दर्शाता है या उसका समर्थन करता है ।

(3) कर्मकारों के नियोजक द्वारा प्रायोजित व्यवसाय संघों को स्थापित करना ।

(4) किसी व्यवसाय संघ में किसी कर्मकार के विरुद्ध भेदभाव करके उसकी सदस्यता को प्रोत्साहित या हतोत्साहित करना, अर्थात् :—

(क) किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त या दण्डित करना क्योंकि उसने अन्य कर्मकारों को किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या संगठित करने के लिए आग्रह किया था ;

(ख) किसी कर्मकार को, किसी हड़ताल (जो ऐसी हड़ताल न हो जिसे इस संहिता के अधीन अवैध हड़ताल समझा गया है) में भाग लेने के कारण सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना ;

(ग) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों की ज्येष्ठता निर्धारण में परिवर्तन करना;

(घ) व्यवसाय संघ क्रियाकलापों के कारण कर्मकारों को उच्चतर पदों पर प्रोन्नत करने से इंकार करना ;

(ङ) कतिपय कर्मकारों को, अन्य कर्मकारों के बीच मतभेद उत्पन्न करने की दृष्टि से या उनके व्यवसाय संघ की संख्या को कम करने के लिए, बिना गुणागुण के आधार पर प्रोन्नति देना;

(च) व्यवसाय संघ के पदधारियों या सक्रिय सदस्यों को उनके व्यवसाय संघ क्रियाकलाप के कारण सेवोन्मुक्त करना ।

(5) निम्न कारणों से कर्मकारों को सेवोन्मुक्त या पदच्युत करना :—

(क) उत्पीड़न के माध्यम से ;

(ख) असद्भाव, किन्तु नियोजक के अधिकारों का आभासी प्रयोग करके ;

(ग) मिथ्यासाक्ष्य पर या गढ़े हुए साक्ष्य पर किसी आपराधिक मामले में किसी कर्मकार को मिथ्या रूप से आलिप्त करके ;

(घ) प्रत्यक्षतः मिथ्या कारणों से ;

(ङ) छुट्टी बिना अनुपस्थिति के लिए असत्य या गढ़े हुए अभिकथनों पर ;

(च) आंतरिक जांच के संचालन में नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों की पूर्णतः अवहेलना करके या असम्यक् जल्दबाजी करके ;

(छ) लघु या तकनीकी प्रकृति के अवचार के कारण, उस विशिष्ट अवचार की प्रकृति पर या कर्मकार के पिछले अभिलेख या सेवा पर ध्यान दिए बिना, जिसका परिणाम अननुपाती दंड हो ।

(6) कर्मकारों द्वारा किए जा रहे नियमित प्रकृति के कार्य को समाप्त करने के लिए और ऐसे कार्य को ठेकेदारों को देने के लिए जो हड़ताल तोड़ने के लिए हो ।

(7) प्रबंधन नीति का अनुसरण करने के बहाने से असद्भावपूर्वक किसी कर्मकार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण करना ।

(8) वैयक्तिक कर्मकारों को, जो वैध हड़ताल पर हैं, पुनः काम आरंभ करने की अनुज्ञा देने की पूर्व शर्त के रूप में सदाचरण बंधपत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए बल देना ।

(9) गुणागुण को ध्यान में न रखते हुए, कर्मकारों के एक सेट के प्रति पक्षपात या तरफदारी दर्शाना ।

(10) कर्मकारों को बदली कर्मकारों, आकस्मिक या अस्थायी कर्मकारों के रूप में नियोजित करना और उन्हें स्थायी कर्मकारों की प्रास्थिति और विशेषाधिकारों से वंचित करने के उद्देश्य से वर्षों तक उसी रूप में चलते रहने देना ।

(11) किसी औद्योगिक विवाद से संबंधित किसी जांच या कार्यवाही में किसी नियोजक के विरुद्ध आरोप फाइल करने या साक्ष्य देने के लिए किसी कर्मकार को सेवोन्मुक्त करना या उसके प्रति भेदभाव करना ।

(12) कर्मकार को ऐसी हड़ताल के दौरान भर्ती करना, जो अवैध हड़ताल नहीं है ।

(13) अधिनिर्णय, समझौता या करार कार्यान्वित करने में असफलता ।

(14) बल या हिंसात्मक के कार्यों में लिप्त होना ।

(15) मान्यताप्राप्त व्यवसाय संघों के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदेबाजी से इंकार करना ।

(16) इस संहिता के अधीन अवैध समझी गई तालाबंदी के लिए प्रस्ताव करना या उसे चालू रहने देना ।

II. कर्मकारों और कर्मकारों के व्यवसाय संघ की ओर से

(1) इस संहिता के अधीन अवैध समझी जाने वाली किसी हड़ताल के लिए सलाह देना या सक्रिय रूप से समर्थन करना या उकसाना ।

(2) कर्मकारों को उनके स्व-संगठन के या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने या किसी व्यवसाय संघ में सम्मिलित होने से, प्रविरत रहने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए प्रपीड़ित करना, अर्थात् : —

(क) किसी व्यवसाय संघ या उसके सदस्यों के लिए, ऐसी रीति से धरना देना कि हड़ताल न करने वाले कर्मकार अपने कार्य स्थलों पर प्रवेश करने से भौतिक रूप से विवर्जित किए जाते हैं ;

(ख) हड़ताल न करने वाले कर्मकारों के विरुद्ध या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद के विरुद्ध हड़ताल के संबंध में बल या हिंसात्मक कार्यों में लिप्त होना या अभित्रास की धमकियां देना ।

(3) मान्यताप्राप्त संघ द्वारा नियोजक के साथ सद्भावपूर्वक सामूहिक रूप से सौदेबाजी से इंकार करना ।

(4) सौदेबाजी करने वाले प्रतिनिधि के प्रमाणन के विरुद्ध प्रपीड़क क्रियाकलापों में लिप्त होना ।

(5) प्रपीड़क कार्य, जैसे जानबूझकर "कार्यमंदन" कार्य घंटों के पश्चात् कार्य परिसर में बैठ जाना या प्रबंधकीय सदस्यों में से किसी एक सदस्य का या अन्य कर्मचारिवृन्द का घेराव आयोजित करना, उसके लिए प्रोत्साहित करना या उकसाना ।

स्पष्टीकरण 1—संदेहों को दूर करने के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कार्यमंदन" से ऐसा अवसर अभिप्रेत होगा जब किसी स्थापन में एक से अधिक कर्मकार एक साथ मिलकर अधिक धीमी गति से काम करते हैं और प्रायः कम प्रयास करके उच्चतर वेतन या बेहतर सेवा शर्त या ऐसी अन्य मांग को पूरा करवाने के लिए स्थापन के नियोजक मनाने का प्रयास करता है ।

स्पष्टीकरण 2—स्पष्टीकरण 1 के प्रयोजनों के लिए, "सामान्य" पद से निम्नलिखित अभिप्रेत है—

(i) जहां किसी कर्मकार के लिए, उसके कार्य हेतु या तो दैनिक, साप्ताहिक या मासिक आधार पर ऐसे कार्य के लिए मानक विनिर्दिष्ट किया गया है ; और

(ii) जहां ऐसा कोई मानक विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, कार्य की ऐसी दर जो, यथास्थिति, दैनिक या साप्ताहिक या मासिक आधार पर संगणित पूर्ववर्ती तीन मास में औसत कार्य है ।

(6) नियोजकों या प्रबंधकीय कर्मचारिवृंद सदस्यों के निवास-स्थान पर प्रदर्शन करना ।

(7) उद्योग से संबंधित नियोजक की संपत्ति को जानबूझकर क्षति पंहुचाने के लिए उकसाना या उसमें लिप्त होना ।

(8) किसी कर्मकार को कार्य पर जाने से उसे रोकने की दृष्टि से उसके विरुद्ध बल या हिंसात्मक कार्य में लिप्त होना या अभित्रास की धमकी देना ।

IndiaCode

तीसरी अनुसूची

[धारा 40 और धारा 101(1) देखिए]

सेवा की वे शर्तें जिन्हें बदलने के लिए सूचना दी जानी है

1. मजदूरी, जिसके अंतर्गत संदाय की कालावधि और ढंग आता है ।

2. तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन नियोजक द्वारा किसी भविष्य निधि या पेंशन निधि में या कर्मकारों के फायदे के लिए, संदत् या संदेय अभिदाय ।

3. प्रतिकरात्मक और अन्य भत्ते ।

4. कार्य के घंटे और विश्राम-अंतराल ।

5. मजदूरी सहित छुट्टी और अवकाश ।

6. स्थायी आदेशों के अनुसार से भिन्न पारी में काम आरंभ किया जाना, उसमें परिवर्तन करना या उसका बन्द किया जाना ।

7. श्रेणियों अनुसार वर्गीकरण ।

8. किसी रूढ़ीगत रियायत या विशेषाधिकार का प्रत्याहरण या प्रथा में परिवर्तन ।

9. अनुशासन के नए नियमों का आरंभ किया जाना या विद्यमान नियमों में परिवर्तन करना सिवाय वहां के जहां तक उनके स्थायी आदेशों में उपबंध किया गया है ।

10. संयंत्र या तकनीक का ऐसा सुव्यवस्थीकरण, मानकीकरण या सुधार जिससे कर्मकारों की छंटनी होने की संभावना हो ।

11. किसी उपजीविका या प्रक्रिया या विभाग या पारी में नियोजित या नियोजित किए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या में (आकस्मिक से भिन्न) ऐसी कोई वृद्धि या कमी करना जो ऐसी परिस्थितियों के कारण उद्भूत न हुई हो, जिन पर नियोजक का कोई नियंत्रण नहीं है ।

IndiaCode